foHkkxh; i'kkldh; ifronu
o"k 2014&15
<u>e/; insk 'kklu ou foHkkx</u>

foHkkx dk uke	:	ou foHkkx
ekuuh; ou ea=h	:	डॉ. गौरीशंकर शेजवार

lfpoky;

ize[k lfpo	:	श्री बसंत प्रताप सिंह	(21.08.2014 तक)
		श्री ए.पी. श्रीवास्तव	(21.08.2014 से)
lfpo	:	श्री प्रशांत कुमार,	
fo'k"k drO; vf/kdkjh	:	डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव,	
vij lfpo	:	श्री अनूप सिंह राजपूत,	
mi lfpo	:	श्री अशोक कुमार शर्मा,	
voj lfpo	:	सुश्री बबीता वसुनिया	(06.01.2015 तक)
voj lfpo	:	श्री नानक राम लालवानी,	

foHkkxk/;{k

i/kku e[; ou lj{kd e-i-	:	श्री अनिल ओबेराय,
i/kku e[; ou lj{kd oU; i.kh	:	श्री नरेन्द्र कुमार
i/kku e[; ou lj{kd dk;l vk;kstuk ,o ou Hk&vfHkys[k	:	श्री अजित सोनकिया

i'kkldh; ifronu o"k 2014&15

fo"k; Øe

	Hkkx &1	i"B Øekd
	v/;k;& ,d	
1.1	सामान्य	1
1.2	विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	1
1.3	प्रशासित अधिनियम	2
	v/;k;&nks	
1.4	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	
	विभागीय संरचना	4
	स्थापना	7
	मानव संसाधन विकास	9
	संयुक्त वन प्रबंधन	10
	अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी	12
	भू–प्रबंध	13
	सूचना प्रौद्योगिकी	18
1.5	वन संरक्षण एवं उत्पादन	20
1.6	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी	23
1.7	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना	27
	v/;k;&rhu	
	विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं	
1.8	मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड	30
1.9	मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ	32
1.10	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम	39
1.11	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड	42
1.12	मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन	42
1.13	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	44
	Hkkx&2	
	बजट विहंगावलोकन	
2.1	आयोजना व्यय	46
2.2	आयोजनेत्तर व्यय एवं राजस्व	47
	Hkkx&3	
	योजनाएं	
3.1	कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन	49
3.2	वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	50
3.3	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/ परियोजनाएं	50
	Hkkx&4	
4.1	पुरस्कार	52
4.2	अभिनव योजना	53
4.3	महत्वपूर्ण सांख्यिकी	56
	Hkkx&5	
	विभाग के प्रकाशन	58

	Hkkx&6	i"B Øekd
	ifjf'k"V	
1	क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण	62
2	क्षेत्रीय इकाईयों के विभिन्न पदों के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य	63
3	गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि प्रकरण	64
4	भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण – वर्ष 2014–15	65
5	कैम्पा मद से वन्य जीव संरक्षण एवं एन.पी.व्ही. मद के कार्यो हेतु आवंटित राशि का विवरण	66
6	वृत्तवार, वन मण्डलवार, वर्षवार अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण	67
7	वनमंडलवार अवैध चराई के दर्ज प्रकरण	69
8	वनमंडलवार अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण	71
9	वन मण्डलवार म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण	73
10	वन मण्डलवार अतिक्रमण के दर्ज प्रकरण	75
11	वन मण्डलवार अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण	77
12	वनमंडलवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र	79
13	वनमंडलवार दर्ज वन अपराध प्रकरण	81
14	वनमंडलवार जप्त वाहनों की संख्या	83
15	वृत्तवार न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण	85
16	वृत्तवार वन अपराध में वसूल राशि	86
17	वन उत्पादन (इमारती का ध.मी.)	87
18	जलाऊ लकड़ी	88
19	औद्योगिक बांस उत्पादन	89
20	व्यापारिक बांस उत्पादन	90
21	राजस्व प्राप्ति	91
22	मध्यप्रदेश के वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र	94
23	मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य	95
24	जिलेवार बांस योजनाओं का क्रियान्वयन व 2014–15	96
25	भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन	97
26	वितरीत किये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण	98

Hkkx &1

v/;k; ,d

1-1 I kekU;

वन विभाग का प्रमुख दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, जिससे उनका संरक्षण तथा संवर्धन किया जा सके। प्रदेश के वनों मे प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। मंडला, डिण्डोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल वन है। चम्बल क्षेत्र, ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड तथा दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन है। शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है। वनों से लकड़ी के अलावा बांस एवं प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की लघुवनोपज तथा औषधियाँ मिलती है। प्रदेश की जनसंख्या का बड़ा भाग वनों पर निर्भर है तथा आदिवासी एवं ग्रामीणों के जीविकोपार्जन हेतु वनों का विशिष्ट महत्व है।

शासन स्तर पर वनमंत्री की सहायता प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष कर्तव्य अधिकारी, अपर सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के दल द्वारा की जाती है। वन विभाग अधीन गतिविधियां, विभिन्न विभागाध्यक्षों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनके मध्य समन्वय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) करते हैं।

1-1-1 i/kku e[; ou l j{kd ¼ou cy i e[k½ द्वारा प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही वे अन्य विभाग प्रमुख एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल, उपक्रम एवं संस्थाओं के साथ समन्वय करते हैं।

1-1-2 i/kku e[; ou l j{kd ¼oU; i k.kh½ द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर पूरे प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण किया जाता है।

1-1-3 i/kku e[; ou l j{kd ¼dk;l vk;ktuk ,o ou Hk&vfHky[k½ द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण तथा वन भू–अभिलेख का संधारण किया जाता है।

1-1-4 foHkkx d vUrxr vkus okys eMy@miØe@l LFkk,

1. **tb fofo/krk cksM &** राज्य शासन द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक/378 भोपाल दिनांक 25 अगस्त 2014 में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है। बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करना है।
2. **e/; in'k jkT; ou fodkl fuxe &** राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. राज्य वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।
3. **e/; in'k jkT; y?kq oukit ¼O;kikj ,o fodkl½ lgdkjh l?k &** मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. jkT; ou vuqla/kku laLFkku & राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।
5. e/;izns'k bZdksi;ZVu fodkl cksMZ & वन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12 जुलाई, 2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाता है।
6. e/;izns'k jkT; ckal fe'ku & मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन किया जा रहा है।

1-2 foHkkx esa izfrikfnr uhfr laca/kh fo"k;

वन विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनसे वन उत्पाद प्राप्त किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वन विभाग की निम्नानुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. राज्य में वनों की जैव विविधिता का संरक्षण, जिसमें वन्य पशुओं एवं वनस्पति का संरक्षण सम्मिलित है।
2. राज्य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर–वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्य निस्तार सुविधाओं का निर्धारण।
3. संयुक्त वन प्रबंध के संबंध में विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण।
4. जनहानि, पशु हानि के संबंध मे नियमन तथा हिंसक हुए वन पशुओं के आखेट के लिये नियम।
5. वन तथा वन्य प्राणी संबंधी।
6. गैर–वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्तार।
7. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोडकर),
   mnkgj.kkFkZ ¼&नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुटटी, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति वेतन, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
8. चिड़ियाघर का पर्यवेक्षण ।

1-2 iz'kkflr vf/kfu;e

1- Hkkjrh; ou vf/kfu;e] 1927 ¼Øekad 69@1980½ & उक्त अधिनियम वनों, वनों की उपज की अभिवहन और इमारती लकड़ियों तथा वन–उपज पर उगाहने योग्य शुल्क से संबंधित विधि के समेकन के लिए अधिनियम – उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में 01 नवम्बर 1956 से प्रभावशील है।

2- oU; tho ¼laj{k.k½ vf/kfu;e] 1972 ¼Øekad 53@1972½ & उक्त अधिनियम देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। यह अधिनियम 09 सितम्बर, 1972 से प्रभावशील है।

3- e-i- dk"B fpjku ¼fofu;eu½ vf/kfu;e] 1984 ¼Øekad 13@1984½ & उक्त अधिनियम वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये–आरा मिलों की स्थापना और प्रवर्तन–संक्रिया तथा काष्ठ चिरान के व्यापार का लोक हित में विनियमन करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम। अधिसूचना क्रमांक 3415–X–3–83 दिनांक 15 दिसम्बर 1983 द्वारा अध्यादेश क्रमांक 11/1983 प्रवृत किया गया था जिसका स्थान मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13/ 1984 ने ग्रहण किया। अधिनियम क्रमांक 13/ 1984 को भूतलक्षी प्रभाव देकर 15 दिसम्बर, 1983 से ही प्रवृत किया गया।

4- ou laj{k.k vf/kfu;e] 1980 ¼Øekad 69@ 1980½ & उक्त अधिनियम वनों के संरक्षण के लिये और उससे जुड़े मामलों के लिए या उसके सहायक या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम। यह अधिनियम दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 से प्रभावशील है।

5- e-i- ou mit ¼O;kikj fofu;eu½ vf/kfu;e] 1969 & उक्त अधिनियम bekjrh लकड़ी को छोड़कर समस्त वन उपज के व्यापार विनियमन हेतु है, जो 01 नवम्बर, 1969 से प्रभावशील है।

6- e-i-ou mit dh djkjksa dk iqujh{k.k vf/kfu;e] 1987 ¼Øekad 23@1987½ & उक्त अधिनियम सरकार द्वारा क्रेताओं को दीर्घकालिक अवधि के लिये बेची गई या प्रदाय की गई वन उपज के लिए उचित कीमत प्राप्त करने हेतु, कतिपय करारों को समय–समय पर पुनरीक्षित करने की शक्ति प्राप्त करने और आय की हानि को रोकने तथा पुनरीक्षित करारों को प्रवृत करने और कतिपय अन्य विषयों के लिए उपबंध करने हेतु है। यह अधिनियम 12 अगस्त, 1987 से प्रभावशील है।

7- e-i- rsUnw iRRkk ¼O;kikj fofu;eu½ vf/kfu;e] 1964 ¼Øekad 29@1964½ & उक्त अधिनियम तेंदूपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु है। यह अधिनिमय 28 नवम्बर, 1964 से प्रभावशील है।

8- e-i- ou Hkfe 'kk'or iVVk ifrlgj.k vf/kfu;e] 1973 & उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भममि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिये है। यह अधिनिमय 01 अक्टूबर, 1973 से प्रभावशील है।

9- e-i-yksd okfudh vf/kfu;e] 2001 ¼Øekad 10@ 2001½ & उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्दादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुकर बनाने हेतु है। यह अधिनिमय 12 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील है।

10- tSofofo/krk vf/kfu;e] 2002 & उक्त अधिनियम जैविक संसाधनों और / या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तक अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की पक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग हेतु है। यह अधिनियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21, नवंबर, 2014 से संशोधित होकर दिनांक 21, नवंबर, 2014 से प्रभावशील है।

——————

v/;k;&nk

i/kku e[; ou lj{kd
¼ou cy ie[k½

1-4 foHkkxh; ljpuk

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशानिर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अंतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

e[;ky; Lrj ij dk;jr 'kk[kk,

- समन्वय
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- भू–अभिलेख
- वन्यप्राणी प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रंबधन एवं वन विकास अभिकरण
- नीति विश्लेषण

1-4-1 v/khuLFk {k=h; dk;ky; %&

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.1 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 1-1
{k=h; bdkb;k dk fooj.k

bdkb;k dk idkj	l[;k
वृत्त	16
वनमंडल	63
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का दैनन्दिन क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक, उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं।

उप वन मंडलाधिकारी एक अथवा अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उप वन मंडल) के प्रभारी होते हैं, वे वन मण्डलाधिकारी के साथ सतत् एवं नियमित सम्पर्क में रहते हुए समस्त विभागीय कार्यों में क्षेत्रीय स्तर से सहयोग तथा प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। उप वनमण्डलाधिकारी, परिक्षेत्राधिकारी के माध्यम से कार्य आयोजना के प्रावधानों एवं उसके तहत वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार वन वर्द्धनिक कार्यों का सम्पादन कराते हैं। इस हेतु

वे व्यापक क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार क्षेत्रीय कार्यों का समय सीमा के अंतर्गत मितव्ययता से सम्पादन एवं उनके सामयिक भुगतान को सुनिश्चित कराते हैं। उप वनमण्डलाधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र के समस्त भण्डार सामग्री, भवनों तथा सड़कों के प्रभारी होते हैं एवं उनके समुचित उपयोग एवं संधारण हेतु उत्तरदायी होते हैं। वनोपज विक्रय से संबंधित काष्ठागार उप वनमण्डलाधिकारी के प्रभार में होते हैं, अतः वे काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा एवं व्यवस्था तथा विक्रय हेतु प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उपवनमण्डलाधिकारी राजस्व के संकलन एवं खजाना दाखिली हेतु भी उत्तरदायी होते हैं। वनों की अग्नि, अतिक्रमण, अवैध कटाई एवं चराई से सुरक्षा उप वनमण्डलाधिकारी का दायित्व है, साथ ही वे परिक्षेत्रों में पदस्थ अमले में समुचित अनुशासन बनाए रखने हेतु भी उत्तरदायी होते हैं। उप वनमण्डलाधकारी जन सामान्य से विभागीय अमले के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के सामयिक निराकरण एवं समाधान हेतु उत्तरदायी होते हैं, साथ ही वनग्रामों के समुचित प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी उप वनमण्डलाधिकारी का होता है। उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यों के मासिक लेखों का परीक्षण कर व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है, इसी प्रकार वे वन अपराधों के विधि अनुसार प्रश्मन हेतु भी उत्तरदायी होते हैं।

वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल के राजस्व एवं व्यय लेखा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होते हैं। वन मण्डलाधिकारी अपने वन मण्डल में वनों का कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण, वन वर्द्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठ बांस तथा जलाऊ का व्यावसायिक निर्वरतन, निस्तार आपूर्ति, लघु वनोपज का संवहनीय संग्रहण एवं विपणन तथा वनग्रामों का प्रबंधन करते हैं। इस हेतु वे वन क्षेत्रों का व्यापक क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं तथा प्रत्येक परिक्षेत्र कार्यालयों का प्रतिवर्ष निरीक्षण करते हैं।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत वन क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण करते हुए वन सर्वेक्षण एवं वन व्यवस्थापन, कार्य आयोजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन, वनों का सीमांकन, वनमार्ग एवं भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, कार्यपालिक एवं वन सुरक्षा में संलग्न अमले की कार्यक्षमता एवं अनुशासन, वनों की स्थिति तथा उपचार विधियों का उपयोग, प्राकृतिक पुनरूत्पादन एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक वनों की सुरक्षा तथा नियमों का पालन, वनों की उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्य, सहायक वन वर्द्धनिक कार्य, वृक्षारोपण एवं रोपणी प्रबंधन, वन शस्य का विरलन कार्य, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रबंधन विधियों से वनों को लाभ एवं प्रभाव, इन समस्त कार्यों पर हुए व्यय तथा उसके परिणाम, काष्ठागारों का प्रबंधन एवं अभिलेखों का रखरखाव तथा घोष विक्रय का क्रियान्वयन आदि कार्यों का निरीक्षण कर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। विभागीय कार्यों पर प्रचलित नियमों के अनुरूप हो रहे व्यय पर नियंत्रण रखने के साथ–साथ वन मण्डलाधिकारी एवं अधीनस्थ अमले द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन पर्याप्त ज्ञान, उत्तरदायित्व एवं अनुशासन के साथ संपन्न कराने का उत्तरदायित्व भी मुख्य वन संरक्षक का है। मुख्य वन संरक्षक अपनी अधिकारिता क्षेत्र के समस्त वनमण्डल कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित करते हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/ 03/ 2008–AIS–I(**A**) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्यक्षेत्र में कार्यआयोजना के साथ–साथ वन भू अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही

अपेक्षित होती है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है, इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित तकनीकी मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों, विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग द्वारा वन महानिर्देशक, भारत सरकार के साथ व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों पर पत्राचार प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक निर्माणाधीन वन की कार्य आयोजनाओं का पर्यवेक्षण करते हैं एवं उनकी औपचारिक पूर्णता का आदेश जारी करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज्य की वन नीति की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु वन संरक्षण एवं वन वर्धनिक सुधारों पर प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करते हैं। वे शासकीय वनोपज के विक्रय, आपूर्ति, मूल्यवान वनोपज के संग्रहण तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिर्देशक की सलाह से राज्य में वानिकी अनुसंधान का संचालन करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के सामान्य कर्तव्यों में बजट व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तथा बजट प्रावधानों के युक्तियुक्तकरण के प्रास्ताव शासन को प्रस्तुत करना सम्मिलित है। विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाता है। अपने कार्यालय का निरीक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाता है, साथ ही अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण भी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाकर समीक्षा की जाती है।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु परिक्षेत्रों में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) वृत्त तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण ifjf'k"V&1 में संलग्न है। क्षेत्रीय इकाईयों की प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था तालिका क्रमांक 1.2 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-2

{ks=h; bdkb;ksa dh fu;a=.k 0;oLFkk

Ø-	{ks=h; bdkbZ dk fooj.k	fu;a=.k vf/kdkjh
1	परिसर रक्षक (बीट गार्ड)	वन परिक्षेत्र अधिकारी
2	परिक्षेत्र सहायक	
3	वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य / उत्पादन)	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी (सामान्य / उत्पादन)
4	उप वनमण्डल अधिकारी (सामान्य / उत्पादन)	
5	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी / वन मंडल अधिकारी (सामान्य / उत्पादन) तथा संचालक वन विद्यालय	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
6	वन परिक्षेत्र अधिकारी (अनुसंधान एवं विस्तार)	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त
7	मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर
8	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) म.प्र., भोपाल
9	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार) वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) म.प्र., भोपाल
10	क्षेत्र संचालक / संचालक राष्ट्रीय उद्यान	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) म.प्र., भोपाल
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय–समस्त) म.प्र., भोपाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश, भोपाल

1-4-2 & LFkkiuk

Hkkjrh; ou lsok

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008 ए.आई.एस.–दो (ए) दिनांक 26 अगस्त, 2008 द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ 3–20/2009/10–4, दिनांक 11.09.2009 एवं दिनांक 09.04.2010 से क्रमशः 5 एवं 6, कुल 11 मुख्य वन संरक्षक स्तर के संवर्गीय पदों को स्थगित रखते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के 11 पदों का सृजन किया गया है। इन अतिरिक्त संवर्गीय पदों के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No. 16017/03/2008–IFS–II, दिनांक 28.10.2010 एवं F.No. 16017/01/2012–IFS–II, दिनांक 18.12.2013 से सहमति प्राप्त है। विवरण तालिका क्रमांक 1.3 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-3

Hkkjrh; ou lsok ¼e/; izns'k laoxZ½ dh infLFkfr ¼1-12-2014 dh fLFkfr esa½

in	la[;k	dk;Zjr		fjDr
		पदों के विरूद्ध	लीव रिजर्व	
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3	3	–	–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	21	21	3	–
मुख्य वन संरक्षक	57	57	6	–
वन संरक्षक	34	28	–	6
उप वन संरक्षक	65	65	2	–
dqyofj"B in	180	174	11	6
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	24	–	–
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	46	–	–
प्रशिक्षण रिजर्व	6	–	–	–
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व	29	2	–	–
परिवीक्षाधीन	–	12	–	–
dqy ikf/kd`r la[;k	296	258	11	6

jkT; ou lsok

राज्य वन सेवा के अधिकारी उप वनमंडलाधिकारी/ सहायक वन संरक्षक के पदों पर कार्यरत हैं। ये वनमंडलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्यो में सहयोग करते हैं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त क्षेत्रीय कार्यो पर नियंत्रण रखते हैं। सेवा के लिए स्वीकृत पदों तथा उनके विरूद्ध कार्यरत अधिकारियों के पदों की स्थिति तालिका क्रमांक 1.4 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-4

jkT; ou lsok dh infLFkfr ¼1-12-2014 dh fLFkfr esa½

Ø-	laoxZ dk uke	Lohd`r inksa dh la[;k	dk;Zjr la[;k	fjDr
1	राज्य वन सेवा 'अ' – विभाग में कार्यरत	359	304	55
	'ब' – प्रतिनियुक्ति पर	98	94	4
	;ksx	457	398	59

v/khuLFk dk;Zikfyd lsok,a

वन विभाग के अधीनस्थ कार्यपालिक पदों के रूप में वनरक्षक, वनपाल, उपवन क्षेत्रपाल एवं वनक्षेत्रपाल के पद स्वीकृत हैं। वन विभाग की सबसे छोटी इकाई परिसर रक्षक के पद पर वनरक्षक कार्य करते हैं। इनका प्रशासकीय नियंत्रण परिक्षेत्र सहायक करते हैं जो उप वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। परिक्षेत्र सहायक वनपरिक्षेत्रधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जो वनक्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी हैं। इन सभी का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त वनवर्धनिक एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा सुनिशिचत करना है। इनके कार्यों का विस्तृत विवरण ifjf'k"V&2 में दर्शित है। अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं के स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.5 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-5

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाओं के पदों का विवरण (31.12.2014 की स्थिति में)

Øa-	lsoxZ	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1	वनरक्षक	14009	11354	2655
2	वनपाल	4189	3679	510
3	उपवनक्षेत्रपाल	1258	1057	201
4	वनक्षेत्रपाल	1194	781	413
	;ksx %&	20650	16871	3779

fyfidh; lsok,a

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ लिपिकीय सेवाओं के लिए स्वीकृत पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.6 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-6

fyfidh; lsokvksa ds fy, Lohd`r inksa dk fooj.k ¼fnukad 31-12-2014 dh fLFkfr esa½

Øa-	lsoxZ	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1	सहायक ग्रेड–3	1487	1287	200
2	सहायक ग्रेड–2	379	433	.54
3	लेखापाल	244	167	77
4	सहायक ग्रेड–1	192	120	72
5	लेखा अधीक्षक	75	75	0
6	अधीक्षक	35	35	0
7	प्रशासकीय / लेखा अधिकारी	20	13	7
8	शीघ्रलेखक	197	143	54
9	मानचित्रकार	203	115	88
	;ksx %&	2832	2388	444

prqFkZ Js.kh lsok,a

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण तालिका क्रमांक 1.7 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-7

prqFkZ Js.kh lsokvksa ds fy, Lohd`r inksa dk fooj.k ¼fnukad 31-12-2014 dh fLFkfr esa½

Øa-	lsoxZ	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1	सुपरवाईजर	20	14	6
2	दफ्तरी	195	149	46
3	भृत्य/अर्दली/खलासी /फर्रास	950	833	117
	;ksx %&	1165	996	169

fofo/k lsok,¡

वन विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत अन्य विविध पदों का विवरण तालिका क्रमांक 1.8 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-8
fofo/k inksa dk fooj.k

Ø-	in	Lohd`r	dk;Zjr	fjDr
1	मुख्य आरक्षक	5	0	05
2	आरक्षक	15	0	15
3	महावत / मुख्य महावत	49	8	41
4	वाहन चालक	613	418	195
5	चाराकटर	49	27	22
	;ksx %&	731	453	278

vuqdEik fu;qfDr

असामयिक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के योग्य उत्तराधिकारियों को सहायक ग्रेड–3, वनरक्षक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में रिक्त पदों पर प्रवर्ग अनुसार नियुक्ति का प्रावधान है। विगत पॉच वर्षों में विभाग के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति का विवरण तालिका क्रमांक 1.9 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-9
izdj.kksa dk fooj.k ¼o"kZ 2010 ls fnlEcj 14 rd½

fooj.k		o"kZ				
		2010	2011	2012	2013	2014
प्रकरण संख्या		169	220	281	294	281
निराकृत (नियुक्ति)		48	41	90	100	192
अमान्य प्रकरण		4	2	1	5	5
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	29	43	21	100	43
	प्रक्रियाधीन	88	134	169	89	41
	;ksx izdj.k	117	177	190	189	84

1-4-3 ekuo lalk/ku fodkl

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।

विभिन्न संवर्गो में भर्ती उपरान्त संबंधित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वनक्षेत्रपाल एवं वनरक्षकों के लिये निर्धारित समयाविधि में क्षेत्रीय वनमंडलों में प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। प्रदेश में वर्ष 2014–15 में सीधी भर्ती से नवनियुक्त अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.10 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-10
izf'k{k.kkfFkZ;ksa dk fooj.k

vuq-Ø-	laoxZ	la[;k
1	भारतीय वन सेवा	6
2	सहायक वन संरक्षक	10
3	वनक्षेत्रपाल	52
4	वनरक्षक	620

वनरक्षक से वनपाल एवं उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल पद पर पदोन्नति उपरांत क्रमशः 45 दिवस एवं 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सेवारत वनकर्मचारियों के लिये विशिष्ट वन्यप्राणी प्रबंधन एवं समकालीन वानिकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदेश के 9 वन विद्यालयों में आयोजित किये जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यों एवं कार्य आयोजना के क्रियान्वयन के लिये प्रशिक्षण हेतु वृत्त, वनमंडल, उपवनमंडल एवं परिक्षेत्र स्तर पर स्थानीय कर्मचारियों के लिये प्रतिवर्ष माह जुलाई–सितम्बर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

v/kkslajpuk

प्रदेश में वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये 9 प्रशिक्षण संस्थायें स्थित हैं। यह प्रशिक्षण संस्थायें प्रदेश के प्रत्येक भाग में स्थित हैं, ताकि प्रशिक्षण के लिये सुविधाजनक स्थिति निर्मित हो सके। वनरक्षक प्रशिक्षण वन विद्यालयों में वनरक्षक एवं पदोन्नत वनपालों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त सेवारत रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में निम्नानुसार प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। विवरण तालिका क्रमांक 1.11 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-11
izf'k{k.k laLFkkuksa dk fooj.k

vu-Ø-	laoxZ	izf'k{k.k laLFkku
1	वनक्षेत्रपाल	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट
2	वनरक्षक	वन विद्यालय, अमरकंटक
3	वनरक्षक	वन विद्यालय, बैतूल
4	वनरक्षक	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़
5	वनरक्षक	वन विद्यालय, झाबुआ
6	वनरक्षक	वन विद्यालय, लखनादौन
7	वनरक्षक	वन विद्यालय, शिवपुरी
8	वनरक्षक	वन विद्यालय,पचमढ़ी
9	–	जैवविविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला

टीप :– ताला उमरिया स्थिति जैवविविधता प्रशिक्षण केन्द्र वन्यप्राणी शाखा द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

1-4-4 la;qDr ou izca/k

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्य शासन द्वारा 22 अक्टूबर, 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें निम्नानुसार तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान हैः –

(i) ou lqj{kk lfefr : सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अन्तर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते है।

(ii) xzke ou lfefr % बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में आने वाली समितियों को ग्राम वन समिति कहा जाता है। यह ऐसे वन क्षेत्र हैं जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण पुनः स्थापन किया जाना आवश्यक है।

(iii) bZdks fodkl lfefr % राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन–सहयोग प्राप्त करने हेतु बनाई गई समिति को ईको विकास समिति कहा जाता है।

संकल्प अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.01.08 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 के संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुए अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष / उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

वन समितियों की कुल संख्या 15]228 है, जिनके द्वारा 66,874 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.12 में दर्शित है।

rkfydk Øekad & 1-12
lfefr;ksa ,oa dk;ksZa dk fooj.k

lfefr dk izdkj	lfefr;ksa dh la[;k	izcaf/kr {ks= ¼oxZ fdeh½
ग्राम वन समिति	9650	37268
वन सुरक्षा समितिः	4747	25904
ईको विकास समिति	831	3702
;ksx&	15228	66874

वर्ष 2014 में पूरे प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित एवं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु 93 जागरूकता एवं प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किये गये। समितियों के सशक्तीकरण हेतु शासन द्वारा ग्रामीण सदस्यों को सचिव बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत आज की स्थिति में 3938 ग्रामीण सदस्यों, जिन्होंने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है, को समिति का सचिव बनाया जा चुका है। शासन का यह निर्णय समितियों को स्वाबलम्बी बनाने और स्वतः निर्णय लेने में सहायक होगा।

ykHkka'k forj.k &

शासनादेश दिनांक 30.05.12 के द्वारा बांस के विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ का शत–प्रतिशत कटाई में संलग्न श्रमिकों को उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप वितरित किया जा रहा है। काष्ठ लाभांश की राशि का 10 प्रतिशत वर्तमान में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जा रहा है। लाभांश वितरण की विवरण तालिका क्रमांक 1.13 में दर्शित है।

rkfydk Øekad & 1-13
forfjr ykHkka'k fooj.k

¼jkf'k djksM+ esa½

ykHkka'k o"kZ	forj.k o"kZ	dk"B ykHkka'k	ckal ykHkka'k	dqy ykHkka'k
2009–10	2010–11	25.63	0.14	25.77
2010–11	2011–12	22.04	0.46	22.50
2011–12	2012–13	24.13	8.76	32.89
2012–13	2013–14	22.92	14.94	37.86
2013–14	2014–15	20.43	18.27	38.70

jkT; ou fodkl vfHkdj.k &

राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19.04.2010 को किया गया था, जिसका उद्‌देश्य संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा रिक्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराना है। राज्य वन विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत कराये गये वृक्षारोपण का विवरण तालिका क्रमांक 1.14 में दर्शित है।

rkfydk Øekad & 1-14

jk"Vªh; ouhdj.k ;kstukUrxZr o"kZokj o{kkjksi.k

fooj.k	o"kZ				
	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	3038.98	2253.39	914.54	2210.21	2100.00
क्षेत्र तैयारी (हे.में)	16645	7105	4925	4890	4786
रोपण कार्य (हे.में)	27768	16645	7105	4925	4890

1-4-5 vuqla/kku ,oa foLrkj

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण का कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के अन्तर्गत उच्च तकनीकी रोपणियॉ स्थापित की गई है। वर्तमान में 161 रोणणियॉ विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में कार्यरत हैं, जहॉ सभी प्रजातियों के उचित गुणवत्ता के सामान्य एवं ग्राफ्टेड पौधे तैयार किये जा रहें।

अनुसंधान विस्तार वृत्त की विभिन्न रोपणियों में विगत पॉच वर्षों में तैयार किये गये पौधे, उनका निर्वतन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका क्रमांक 1.15 में दर्शित है।

rkfydk Øekad &1-15

jksif.k;ksa esa rS;kj ikS/ks ¼31-01-15 rd½

fooj.k	o"kkZokj rS;kj ikS/ks ¼la[;k yk[k esa½				
	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
तैयार पौधे	625.01	744.48	814.58	941.25	1071.53
jksif.k;ksa ls fuofrZr ikS/ks ¼31-01-15 rd½					
विभागीय रोपण हेतु प्रदाय	165.03	212.32	282.30	341.75	405.33
अन्य शासकीय विभागों/पंचायतों को विक्रय	49.32	22.85	26.15	14.62	8.14
निजी व्यक्ति / संस्था को विक्रय	14.66	18.40	14.22	12.94	20.50
;ksx	229-06	253-57	322-67	369-31	433-97
ikS/kk foØ; ls izkIr jktLo ¼31-01-2015½					
वन विभाग से	61.27	1.12	0.00	7.95	0.00
अन्य विभागों से	315.52	161.80	178.63	95.81	51.71
निजी व्यक्ति / संस्था से	94.53	94.87	100.51	90.07	99.00
;ksx	471-32	257-79	279-14	193-83	150-71

ykdokfudh

लोकवानिकी अधिनियम, 2001, का मुख्य उद्देश्य निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन करते हुए निजी वानिकी का प्रोत्साहन एवं उसे लाभदायक व्यवसाय बनाना है। लोकवानिकी योजना 01 मई 2003 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश लोकवानिकी नियम 2002 बनाये गये हैं। लोकवानिकी अंतर्गत 10 हे0 से कम क्षेत्र की प्रबंध

योजनाओं की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी एवं 10 हे0 से अधिक क्षेत्र की प्रबंध योजनाएं भारत शासन द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। सक्षम अधिकारी से प्रबंध योजना की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात यथास्थिति प्रत्येक भूमिस्वामी, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा प्रबंध योजना के विधानों तथा शर्तों के अनुरूप उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। लोकवानिकी योजना अंतर्गत अब तक 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की 2846 योजनाएं एवं 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की 31 प्रबंध योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

1-4-6 Hk&i:c/k

वन भूमि व्यपवर्तन

आरक्षित एवं संरक्षित वनों में प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति दिये जाने के विशेष अधिकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत राज्य सरकार तथा वन अधिकारियों में निहित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे। इस प्रावधान द्वारा राज्य सरकार तथा वन अधिकारियों के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति देने के असीमित अधिकारों को सीमित किया गया है। **इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं :–**

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा :

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।''

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है। गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि प्रकरणों की जानकारी **परिशिष्ट –3** में संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात् से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति दर्शानेवाली तालिका क्रमांक 1.16 में दर्शित है।

rkfydk Øekd &1-16

प्राप्त आवेदन एवं निराकरण

क्र.	विवरण	2011	2012	2013	2014
1	प्राप्त आवेदन	1167	38	39	36
2	स्वीकृत प्रकरण	800	36	33	35
3	अस्वीकृत प्रकरण	191	18	–	–
4	विचाराधीन प्रकरण	–	–	–	225
	(अ) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	–	–	–	93

	(ब) औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	—	—	—	132

वर्ष 1980 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा तालिका क्रमांक 1.17 दर्शित है :–

rkfydk Øekad &1-17

उपयोगवार वन भूमि का व्यपवर्तन

क्र.	उपयोग	1980&1990		1991&2000		2001&2010		2011&2013		कुल व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत
		व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत	व्यपवर्तित वन भूमि	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई	62793.520	75.683	6367.356	16.231	8947.758	53.876	537.633	11.496	78646.267	54.812
2	विद्युत	2524.101	3.042	487.395	1.242	2369.214	14.266	1111.551	23.768	6492.261	4.525
3	खनिज	4491.253	5.413	5488.059	13.989	4071.873	24.518	2569.446	54.941	16620.631	11.584
4	विविध	702.291	0.846	4652.352	11.859	1211.598	7.295	458.104	9.795	7024.345	4.896
5	रक्षा	12458.038	15.015	22235.491	56.679	7.519	0.045			34701.048	24.185
योग		82969-	100-	39230-	100-	16607-	100-	4676-	100-	143484-	100-

पिछले 4 दशकों में वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन सतत् रूप से कम हुआ है तथा वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात् से अधिकतम (54.8 प्रतिशत वन भूमि का व्यपवर्तन सिंचाई उपयोग हेतु किया गया है। 7 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में कुल 61566.247 हेक्टेयर एवं 189 लघु सिंचाई परियोजनों में 17080.020 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हुआ है। माह जनवरी, 2014 से दिसंबर, 2014 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या rkfydk Øekad &1-18 esa nf'kZr gSA

अतः वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि का उपयोग अनुसार विवरण **परिशिष्ट–3** में संलग्न है।

rkfydk Øekad &1-18

tuojh 2014 ls fnlEcj 2014 rd

Ø-	mi;ksxdrkZ ,tsUlh	izdj.k la[;k	O;iofrZr ou [illegible]	izfr'kr
1	सिंचाई	24	1332.466	45.851
2	विद्युत	7	515.759	17.748
3	खनिज	1	967.650	33.298
4	विविध (मार्ग/रेलवे आदि)	3	90.177	3.103
5	रक्षा	0	0	0
;ksx		35	2906-052	100-00

उपरोक्तानुसार वर्ष 2014 में अधिकतम (45.8 प्रतिशत) वन भूमि का व्यपवर्तन सिंचाई कार्यो हेतु किया गया है जो कि इससे पूर्व वर्ष 2011 से 2013 (तीन वर्ष) में सिंचाई हेतु व्यपवर्तित वन भूमि (537.63 हेक्टेयर) के दोगुने (1332.46 हेक्टेयर) से भी अधिक है।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों मे (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भारत सरकार के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

विगत वर्षों में स्वीकृत कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों की सूची **परिशिष्ट–4** में संलग्न है।

lkekU; Lohd`fr

,d gsDVs;j ls de ou {ks= gsrq & भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कुछ शर्तो के अधीन स्थानीय विकास के कार्यों हेतु एक हैक्टेयर से कम वनभूमि के व्यपवर्तन की सामान्य स्वीकृति दी गई है। इसके उपयोग की समय–सीमा 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाई गई है। इसके अन्तर्गत स्कूल, मार्ग मरम्मत, अस्पताल, विद्युत व संचार लाईने, पेयजल की व्यवस्था, रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत सब स्टेशन, छोटी सिचाई नहरे, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वाचटावर इत्यादि निर्माण कार्य लिये जा सकते है। ,d gsDVs;j ls de ou Hkwfe O;ioZru dk fooj.k rkfydk Ø- 1-19 esa nf'kZr gSA

rkfydk Øekad &1-19

एक हेक्टेयर से कम वन भूमि व्यपवर्तन की जानकारी

(03.01.2005 से 31.12.2013 तक)		(01.01.2014 से 31.12.2014 तक)	
संख्या	हेक्टेयर	संख्या	हेक्टेयर
313	129.092	31	21.475

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–5–11/2006/10–3 दिनांक 13.6.2014 द्वारा एल.डब्ल्यू.ई. (Left wing Extremism) प्रभावित जिलो, अनूपपुर, बालाघाट, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सीधी, उमरिया, छिन्दवाड़ा एवं सिंगरौली में जनपयोगी विकास कार्यो हेतु भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदत्त 2.00 हेक्टेयर के स्थान पर 5.00 हेक्टेयर तक वनभूमि व्यपवर्तन की सामान्य स्वीकृति अनुसार क्षेत्रीय वन मण्डल अधिकारियों को वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है। इससे संबंधित वन भूमि व्यपवर्तन की जानकारी तालिका क्रमांक 1.20 में दर्शित है।

rkfydk Øekad &1-20

5 gsDVs;j rd Lohd`r ou Hkwfe

¼28-01-2011 ls 31-12-2013 rd½		¼01-01-2014 ls 31-12-2014 rd½	
Lohd`r	gsDVs;j	Lohd`r	gsDVs;j
95	74.286	18	24.472

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3 (2) के तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हेक्टेयर से कम वनभूमि, जिनमें प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यों के लिये व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तों पर अनुमति दी गई है:–

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिये पाइप लाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़के तथा सामुदायिक केन्द्र।

स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया भारत सरकार के पत्र क्रमांक 23011/15/2008 एसजी दिनांक 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29. 05.2009 को जारी किए गए हैं।

दिसम्बर 2014 की स्थिति में मुख्यतः वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु जलाशय, तालाब निर्माण, सड़कें, पाठशाला, विद्युत, अन्य मार्ग उन्नयन कार्य आदि प्रयोजनों के लिये, 493 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें व्यपवर्तित वनक्षेत्र 245.901 हेक्टेयर है।

dPps ekxksZ dk mUu;u & भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 द्वारा वन क्षेत्र से गुजर रहे 1980 के पूर्व निर्मित कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई है। म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10. 1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। इससे संबंधित जानकारी तालिका क्रमांक 1.21 में दर्शित है।

rkfydk Øekad &1-21

मार्गों का उन्नयन

;kstuk	¼o"kZ 1980 ls fnlEcj 2013 rd½		¼tuojh 2014 ls fnlEcj 2014 rd½	
	izkIr	Lohd`r	izkIr	Lohd`r
iz/kku ea=h xzke lM+d ;kstuk	2434	2423	101	90
eq[; ea=h xzke lM+d ;kstuk	—	624	—	37

o{kZ fonksgu

कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन किए जाने वाले कूपों में वर्ष 2009–10 से वर्ष 2014–15 तक भारत सरकार से विदोहन की अनुमति प्राप्त की गई, जिसकी जानकारी तालिका क्रमांक –1.22 में दर्शित है।

rkfydk Øekad &1-22

भारत सरकार से विदोहन हेतु प्राप्त अनुमतियां

o"kZ	fonksgu {ks= ¼gs-eh-½
2009–10	165622.556
2010–11	150885.948
2011–12	167799.010
2012–13	149830.210
2013–14	144640.759
2014–15	127130.630

कैम्पा (CAMPA)

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि उपयोग पर देने की भारत सरकार की अनुमति में अन्य शर्तों के अतिरिक्त मुख्य रूप से दो शर्तें निहित रहती हैं :–

1. आवेदक से व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने वन क्षेत्र पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि जमा करना।

इन दो शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकरणों मे जो धन राशि प्राप्त होती थीं, वह राज्य सरकार के पास जमा होती थीं तथा इसका उपयोग राज्य शासन द्वारा इन शर्तों की पूर्ति हेतु किया जाता था। इस धनराशि के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.04.2004 द्वारा कैम्पा (Compensatory Afforestation Management & Planning Authority) का गठन किया गया है।

इस व्यवस्था अंतर्गत व्यपवर्तन की स्वीकृति योग्य परियोजनाओं में प्राप्त होने वाली समस्त धन राशि भारत सरकार द्वारा संचालित कैम्पा खाते में जमा कराई जाती हैं तथा राज्य शासन के वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) के अनुसार राशि भारत सरकार से प्राप्त कर विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वित की जाती हैं। कैम्पा से स्वीकृत योजनाओं के लिये राशि प्राप्त करने की लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया से योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब होता है। इस कारण योजना की लागत बढ़ने के साथ

पर्यावरणीय हानि की क्षतिपूर्ति समय पर नहीं हो पाती है। कैम्पा मद में वर्षवार जमा एवं प्राप्त राशि का विवरण तालिका क्रमांक –1.23 में दर्शित है।

rkfydk Øekd &1-23
dEik en e o"kokj tek jkf'k dk fooj.k

(राशि रू. लाख में)

Ø-	o"k	tek jkf'k	jkT; dk iklr jkf'k	0;; jkf'k
1	2	3	4	5
1	2007–08	34884.78		
2	2008–09	5537.43		
3	2008–09	9858.94		
4	2009–10	17454.53	5304.82	–
5	2010–11	30261.25	5096.56	3528.09
6	2011–12	21394.92	5352.09	5277.13
7	2012–13	36729.81		4593.63
8	2013–14	102735.44	6150.00	5079.04
9	2014–15	21708.52	8950.00	5809.86
;kx		280565-60	30853-47	24287-75

कैम्पा में जमा राशि के समय पर उपयोग हेतु सुझाव है कि भारत सरकार के अधीन एड–हॉक कैम्पा मद में जमा राशि का हस्तांतरण राज्य स्तर पर किया जावे ताकि वैकल्पिक वृक्षारोपण इत्यादि हेतु राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से राशि का उपयोग किया जा सके।

वैकल्पिक वृक्षारोपण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति की शर्तों के अनुसार कराये गये वैकल्पिक वृक्षारोपण की स्थिति तालिका क्रमांक 1.24 में दर्शित है :–

rkfydk Øekd &1-24
oSdfYid o{kkjki.k

Ø-	en	jki.k ;kstuk,¡	vof/k	iko/kkfur jki.k		djk;k x;k jki.k	
				Hkkfrd ¼gDV- e½	vkfFkd ¼djkM+ e½	Hkkfrd ¼gDV- e½	vkfFkd ¼djkM+ e½
1	राजस्व मद	–	1980–2000		–	41586.121	–
2	पी.डी. खाता	49	2002–2005			4198.217	
3	कैम्पा मद						
	रोपण	391	2010–2014		349.85	15524.711	
	भूमि तैयारी	59	2014–15	154162.722	146.97	5377.192	214.78
	प्रस्तावित	69	2015		238.52	13882.857	–
4	एन.वी.डी.ए.	–	–		–	60548.77	–
			योग	154162.722		141117.868	

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु शेष 13441 हेक्टेयर क्षेत्र में से उपयोगकर्ता एजेन्सियों से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त राशियां जो तत्समय राज्य के राजस्व मद में जमा की गई थी, राजस्व मद में जमा ऐसी राशियों के विरुद्ध तत्समय पर्याप्त बजट आवंटन प्राप्त न होने के कारण 9506 हेक्टेयर

क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं कराया जा सका था। रोपण कार्यों के अतिरिक्त वन्य प्राणी संरक्षण सहित अन्य कार्यों पर किये गये व्यय रु.6402.71 लाख का विवरण परिशिष्ट–5 में संलग्न है।

1-4-7 lpuk ik|kfxdh

सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकी का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जो निम्नानुसार हैः–

th-vkb-,l- ¼Hkkxkfyd lpuk ç.kkyh½

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों (1:15,000 स्केल) का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के डिजीटल नक्शों को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजीटल मानचित्र तैयार भी कर लिया गया है। इन डिजीटाईज्ड नक्शों का उपयोग " Integrated Works Monitoring & Geo Mapping System," Plantation Monitoring System", " Working Plan Execution System", एवं Working Plan बनाने में किया जा रहा है। सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के द्वारा मांग किये जाने पर निर्धारित दर पर डिजीटाईज्ड नक्शे हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (पी.डी.एफ. फार्मेट में) प्रदाय किये जाते हैं।

foHkkxh; MkVk lVj ,o lpkj 0;oLFkk

विभागीय आंकडों के सुरक्षित भण्डारण एवं संधारण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल मुख्यालय में राज्य स्तर का विभागीय डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। यह डाटा सेंटर जिला स्तर के कार्यालयों से 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जुडा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय इन्टरनेट के द्वारा इससे जुड़कर विभागीय एप्लीकेशन्स का उपयोग करते है। आंकड़ों का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एवं डिजीटल नक्शों के रूप में किया गया है।

विभागीय डाटा सेंटर को माह फरवरी 2013 में मध्य प्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित स्टेट डाटा सेंटर में स्थानांतरित किया जा चुका है जिसका प्रबंधन एवं रखरखाव वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन, भोपाल से किया जा रहा है।

,MlV uVod

वानिकी क्षेत्र तेजी से बदलने परिदृश्य में उत्कृष्ठ नतीजे देने के लिये संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के द्वारा संचालित एजुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्य अंचलों में स्थित वन कर्मचारियों एवं समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल स्थित एडूसेट स्टूडियों से आवश्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल में स्थित एडूसेट स्टूडियों से वक्ता समस्त 52 प्रशिक्षण केन्द्र (SIT) पर न केवल प्रशिक्षण देते है बल्कि श्रोताओं से सीधे संवाद भी करते हैं।

ohfM;k dkUQl lfo/kk

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है।

lkj Åtk l fctyh mRiknu

केन्द्र शासन से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की 113 KV एवं 900 KV परियोजना हेतु स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन्य प्राणी कैम्प, वनोपज नाकों तथा वन चौकियों पर प्रत्येक में 1 kw, 5 kw क्षमता के Solar Photovoltaic System की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ok;jyl ckMcM uVod

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ऐसे स्थानों–परिक्षेत्र कार्यालय, नेशनल पार्क के परिक्षेत्र, डिपो तथा चौकियों जहां इंटरनेट की उपलब्धता की समस्या थी (14 जिले) पर 105 वायरलेस Canopy,

Radio link का उपयोग करके ब्राडबैंड लिंक की स्थापना कर उन स्थलों पर नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है।

,e&QkjLVh lV

विभागीय एप्लीकेशनों में मोबाईल, डेस्कटॉप एवं वेब जीआईएस माड्यूल का विकास किया जायेगा जिसके अन्तर्गत विभाग में चल रहे एप्लीकेशन में से एफओएमएस, प्लांटेशन मानीटरिंग सिस्टम, जियोमेपिंग, वाईल्ड लाइफ साईटिंग, बीट निरीक्षण आदि एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन किये जाने हेतु एस.आर.एस. का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं बीटा वर्जन पर कार्य प्रगति पर है।

fjekV lfslx

मध्यप्रदेश वन विभाग को वनों के आवरण में परिवर्तन की जाँच के लिये NRSC हैदराबाद से हाई रेज्यूलेशन सेटेलाईट इमेजरी WV–2 (अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013), Orthorectified Liss–3, (2011, 2013) एवं Liss–4, (2013), प्राप्त की गई। प्राप्त सेटेलाईट इमेजरी का उपयोग जियो पोर्टल के द्वारा NDVI Change Detection के लिये विकसित किया जा चुका है एवं उसकी टेस्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसका उपयोग डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एवं वनों की मानीटरिंग के लिये Web Based एप्लीकेशन में होगा।

l;Dr ou icU/ku lfefr;k dk vuJo.k

समिति के माध्यम से जो कार्य कराये जावेंगे उसके लिये राशि कार्य की प्रगति के आधार पर अर्जित राशि के रुप में समिति के खाते में तत्काल भुगतान की जावेगी। इस हेतु समस्त समितियों को प्रदाय व व्यय की जानकारी वनमंडल/परिक्षेत्र स्तर से अपलोड कराने हेतु साफ्टबेयर संयुक्त वन प्रबंधन अनुश्रवण प्रणाली बनाया गया है जिसमें समितियों में वनमंडल/परिक्षेत्र स्तर पर समिति खाते एवं विकास खाते दोनो के प्रदाय एवं व्यय की प्रविष्ठि की जायेगी।

dk;l vk;ktuk fØ;kUo;u ,o bUQkLVDpj Moyie.V ekfuVfjx flLVe

कार्य आयोजना के क्रियान्वयन के तहत किये जा रहे कार्यों एवं संबंधित व्यय के अभिलेखन एवं अनुश्रवण हेतु इस साफ्टवेयर का निर्माण किया गया है।

vU; mi;kxh ,lyhd'ku

वन एवं वन्य प्राणी प्रबंध को प्रभावशील बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नानुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये है :–

1. QkjLV Qk;j ,o elftx flLVe **(FAMS) -** वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर बीटगार्ड को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि को नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।
2. QkjLV vkQl eutelV flLVe **(FOMS) -** प्रणाली के माध्यम से वर्षवार पजीकृत वन अपराधों की जानकारी, परिक्षेत्र वन अपराध पंजी, जांच, अभिसंधान, वसूली एवं कालातीत प्रकरणों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।
3. okbYM ykbQ eutelV flLVe] **(WLMS) -** इस प्रणाली के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में की जा रही पेट्रोलिंग का मार्ग गूगल मैप पर देखा जा सकता है।
4. QkjLV ,Eiykbl MkVkcl eutelV flLVe] **(FEDMS) -** इस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जाता है इसमें उनकी सेवाओं का विवरण एवं नियुक्ति, पदस्थिति, आदि सम्मिलित होती है।
5. lykUV'ku ekfuVfjx flLVe **(PMS) -** इस प्रणाली के वृक्षारोपणों को पंजीकृत कर उनकी वास्तिविक भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र का विवरण, प्रजाति आदि का डाटाबेस तैयार कर उक्त प्रणाली से वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुश्रवण किया जा सकता है।

6. ''cnyh[k.M fo'ks"k iSdst Ql&**II Application -** इस प्रणाली की सहायता से वाटर शेड में कार्यों को क्षेत्रवार दर्ज कर नक्शे में देखा जा सकता है। बजट आवंटन की स्थिति एवं व्यय की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के द्वारा अनुश्रवण की जा सकती है।

7. fgrxzkgh ¼cka l] vkS"kf/k ,oa lxaf/kr ikS/ks½ iathdj.k iz.kkyh - हितग्राही पंजीयन एवं प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे –बाँस भिर्रो का संवर्धन एवं विक्रय, औषधि/सुगंधित पौधों का संवर्धन एवं क्रय, अन्य लघु वनोपज के अन्तर्गत वनक्षेत्र/गैरवन क्षेत्र के हितग्राहियों के संबंध में जानकारी जैसे–बैंक संबंधित जानकारी, आवंटित क्षेत्र, मजदूरी की लाभांश राशि हितग्राहियों के फोटो सहित मानीटरिंग की जा सकती है। कुल 35198 हितग्राहियों की जानकारी का पंजीयन किया जा चुका है।

1-5 ou lj{k.k ,oa mRiknu

1-5-1 <u>oulj{k.k dh xfrfof/k;ka</u>

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि हेतु जमीन की बढ़ती भूख के कारण वन क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में संगठित एवं हिसंक अतिक्रमण के प्रयास भी हो रहे है। कई अशासकीय संगठनों द्वारा भी वन क्षेत्र में अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने की घटनाये भी प्रकाश में आई है। वर्ष 2010 से पूर्व की स्थिति में कार्यालय में उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रदेश में अतिक्रमण से कुल प्रभावित वन क्षेत्र लगभग 4.37 लाख हेक्टेयर है।

जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सक्रियता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत पाच वर्षो में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका क्रमांक 1.25 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-25

ou vijk/kksa dk fooj.k

ou vijk/k izdj.k		2010	2011	2012	2013	2014
अवैध कटाई के प्रकरण		52927	55699	54634	54011	52613
अवैध चराई के प्रकरण		994	1325	1112	1031	877
अवैध परिवहन के प्रकरण		2525	2282	2082	2239	2137
अतिक्रमण	प्रकरण संख्या	1774	1479	2411	1699	1573
	नवीन प्रभावित क्षेत्र (हे.)	2692	2010	4997	3679	3140
अवैध उत्खनन	प्रकरण संख्या	1141	1014	758	1257	1186
	प्रभावित क्षेत्र (हे.)	1988	4375	3107	279	659
dqy iathc) ou vijk/k		63792	66514	64910	62293	60411
अवैध परिवहन मे जप्त वाहनों संख्या		1067	1001	1592	1126	1295
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण		1946	2110	2113	2885	3180
वन अपराध में वसूल राशि (लाख में)		247.61	296.47	318.98	429.87	451.49

पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से काष्ठ के चिरान एवं व्यापार को लोकहित में विनियमन करने के लिये बनाये गये म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर दर्ज किये गये वन अपराध प्रकरण का विवरण तालिका क्रमांक 1.26 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad 1-26

o"kZokj ntZ izdj.k

o"kZ	2010	2011	2012	2013	2014

प्रकरण संख्या	486	385	301	308	184

वनों की प्रभावी सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय कर्मचारियों की गतिशीलता बढ़ाने हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये है। अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। वर्ष 2014 स्थिति में 327 वन चौकियां कार्यरत हैं। प्रत्येक चौकी में गश्ती हेतु वाहन उपलब्ध है। परिक्षेत्र स्तर पर वन गश्ती एवं सुरक्षा हेतु वाहन अनुबंधित कर उपलब्ध कराये गये हैं।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में, जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

वर्ष 2014 में 3180 वन अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये गये तथा समस्त वन अपराधों में 2161 वाहन जप्त किये गये हैं जिसमें अवैध परिवहन में 1295 वाहन जप्त किये गये है। कर्तव्य के दौरान वन कर्मचारियों पर हमलें के 38 प्रकरण दर्ज हुये, जिसमें 1 कर्मचारी की मृत्यु हुई तथा 28 कर्मचारी हमले में गम्भीर रूप से घायल हुआ ।

वर्ष 2014 में रू. 4.52 करोड़ राशि अभिसंधानित प्रकरणों में वसूल की गई जो वर्ष 2013 में वसूल की गई राशि रू 4.30 करोड़ की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। वन अपराध प्रकरणों से संबंधित वनमण्डलवार/ वृत्तवार जानकारी परिशिष्ट क्रमांक 6 से 16 तक संलग्न है।

4-3-3 ou lqj{kk izc/ku esa lwpuk izkS|ksfxdh dk mi;ksx

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इंटरनेट आधारित "वन अपराध प्रबंधन प्रणाली" (एफ.ओ.एम.एस.) विकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत् समीक्षा की जाती है। अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु 'अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली' (फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम) विकसित की गई है। जिसके प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए है। वर्ष 2010 में 23030 हे. वनक्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ था जो 2014 में घटकर मात्र 3425 हे. वन क्षेत्र अग्नि से प्रभावित हुआ है। विगत पॉच वर्षो में अग्नि प्रभावित वन क्षेत्र की जानकारी तालिका क्रमांक 1.27 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad 1-27

o"kZokj vfXu izHkkfor ou {ks=

o"kZ	2010	2011	2012	2013	2014
अग्नि प्रभावित क्षेत्र (हे.)	23206	19055	14424	4892	3490

अवैध उत्खनन की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सेटेलाईट इमेजरी का प्रयोग किया जा रहा है।

1-5-2 mRiknu

राज्य में मुख्य रुप से सागौन,साल,बांस,खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ,बांस व खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता हैं। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत पांच वर्षो में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस उत्पादन का विवरण तालिका क्रमांक 1.28 में दर्शित है।

rkfydk Øekad & 1-28

dk"B] ckal mRiknu ,oa izkIr jktLo ¼uoEcj 2014½

fooj.k	o"kZ				
	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
ईमारती लकड़ी (घनमीटर)	2,78,083	2,43,357	2,53,474	2,35,456	89,794
जलाऊ चट्टें (नग)	2,20,816	2,04,227	1,90,125	1,73,679	55,443

बॉस (नो.टन)	64,177	75,914	1,05,358	79,168	5,557
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपयें)	837,14	871.25	989.66	1104.82	732.18

वन मंडलवार इमारती लकड़ी, जलाऊ चट्टे, बांस उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व की विस्तृत जानकारी ifjf'k"V 17 ls 21 पर संलग्न है।

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के अधीन क्षेत्र में भी काष्ठ, बांस एव जलाऊ का विदोहन किया जाता है। इससे संबंधित विवरण तालिका क्रमांक 1.29 में दर्शित है।

rkfydk Øekad & 1-29
dk"B] ckal mRiknu ,oa izkIr jktLo ¼uoEcj 2014½

fooj.k	o"kZ				
	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
ईमारती लकड़ी (घनमीटर)	87508	113656	125745	112867	40302
जलाऊ चट्टें (नग)	185820	178201	151911	124761	31802
बॉस (नो.टन)	3653	5304	5122	6994	981
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपयें)	160.00	181.49	213.24	211.77	160.00

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ द्वारा राष्ट्रीयकृत लघुवनोपजों का संग्रहण एवं विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। तेन्दूपत्ता संग्रहण से संबंधित आंकडे तालिका क्रमांक 1.30 में दर्शित है। लघुवनोपजों से संबंधित विस्तृत विवरण बिन्दु क्रमांक 1.9 पर दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-30
rsUnwiRrk laxzg.k ,oa fuoZru

(लाख मानक बोरा में) (राशि करोड़ में)

laxzg.k o"kZ	laxzg.k nj ¼#- izfr ek-cks-½	dqy xksnkeh d`r ek=k	vc rd fodz; dh xbZ ek=k	fodz; ewY;
2010	650	21.24	21.24	332.89
2011	650	17.06	17.06	310.06
2012	750	26.06	26.06	634.13
2013	950	19.93	19.60	400.58
2014	950	16.99	16.58	305.56

fuLrkj O;oLFkk

राज्य शासन की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 05 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है, जिन्हे घरेलू उपयोग के लिये बांस,छोटी इमारती लकड़ी (बल्ली), हल–बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपजों की पूर्ति के लिये राज्य में 1814 निस्तार डिपो संचालित है । इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिए वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी–पड़ी,मरी,सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। राज्य में 24,058 बसोड़ परिवार पंजीकृत है, जिन्हे रायल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे बैगा आदिवासियों,जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते है, को भी निस्तार दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग के पत्र दिनांक 09.09.2009 द्वारा लिया गया है। प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका क्रमांक 1.31 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-31
o"kZokj fuLrkj iznk;

(मात्रा लाख में) (रूपये लाख में)

fooj.k	iznk; fuLrkj lkexzh								
	2012			2013			2014		
ouksit dk uke	ckal	cYyh	tykÅ pV~Vs	ckal	cYyh	tykÅ pV~Vs	ckal	cYyh	tykÅ pV~Vs
मात्रा	59.60	1.45	00.96	60.03	1.43	00.91	58.25	1.26	0.84

विक्रय मूल्य	607.00	145.00	427.00	670.11	154.99	470.91	661.27	130.83	484.51
बाजार मूल्य	1155.00	215.00	1092.00	1390.55	234.80	1085.33	1394.36	224.85	1319.56
दी गई रियायत	1283-00			1414-67			1662-16		

1-6 i/kku e[; ou lj{kd oU;ik.kh

1-6-1 oU; tho izc/k

प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं प्रबंध वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के गठन एवं प्रबंधन के प्रावधान सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व तथा कम्यूनिटी रिजर्व बनाये जाने के भी प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियां है। प्रथम 5 अनुसूचियां वन्यप्राणियों को वर्गीकृत करती है। तथा अनुसूचि 6 में पादप प्रजातियां उल्लेखित है। अनुसूचियों में उल्लेखित प्राजातियों को संरक्षित क्षेत्र के अंदर एवं बाहर विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। शेष प्रजातियां संरक्षित क्षेत्र के भीतर होने पर ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधित होती है। संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध निर्जीव वस्तुयें भी वन्यजीवों के पर्यावास का भाग होने के कारण उनका विदोहन अधिनियमित है।

1-6-2 izns'k dk lajf{kr {ks=

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यानों तथा इनके निकटवर्ती 08 अभयारण्यों को समाहित कर प्रदेश में 06 टाइगर रिजर्व स्थापित है। विलुप्तप्रायः पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये करैरा एवं घाटीगांव; खरमोर के संरक्षण के लिये सैलाना एवं सरदारपुर तथा जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये चम्बल, केन एवं सोन घड़ियाल अभयारण्य गठित किये गये हैं। इसी प्रकार डिण्डौरी जिले में घुघवा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ 06 करोड़ वर्ष तक पुराने जीवाश्म संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में ''डायनोसोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग'' स्थापित किया गया है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सहयोग से केरवा में गिद्धों के संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त मुंकुन्दपुर जिला सतना में सफेद बाघ के लिए टाइगर सफारी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। बाघ, बारहसिंघा, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर एवं काला हिरण प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्य प्राणी प्रजातियॉ हैं। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची ifjf'k"V&22 में दी गई है।

1-6-3 oU;ik.kh lj{k.k

वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंध की मौलिक जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों – संरक्षित क्षेत्र एवं क्षेत्रीय वनमण्डल – की है। इनकी सहायता के लिये प्रदेश में निम्न अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई हैं :–

- वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण में सहायता के लिये राज्य में टाइगर स्ट्राइक फोर्स कार्यरत है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित हैं।
- वनों के समीपस्थ बसाहटों में वनों से भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ कर सुरक्षित रूप से अन्यत्र छोड़ने के लिये 09 रीजनल वन्यप्राणी रेस्क्यू स्क्वॉड कार्यरत थे। इस वर्ष से उज्जैन में एक नया रेस्क्यू स्क्वॉड स्थापित किया गया है।
- वन्यप्राणियों के अवयवों की तस्करी को रोकने हेतु 02 श्वानों तथा उनके 04 हेण्डलर्स को प्रशिक्षित कर होशंगाबाद एवं जबलपुर में रखा गया है। तीन अन्य श्वान दस्तों का प्रशिक्षण प्रगति पर है।
- टाइगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के बाघ विचरण वाले क्षेत्रों में स्थित 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेट्रोलिंग चौकी निर्माण तथा वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है।

- संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत वन्य पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज के लिए राज्य शासन से 10 पशु चिकित्सको के पृथक केडर निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई है।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत एक वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फोरेन्सिक केन्द्र वन विभाग की मदद से संचालित है।

1-6-4 oU; ikf.k;ksa dh vo/k f'kdkj ,oa vU; dkj.kksa ls eR;q

समस्त प्रयासों के बाद भी प्रदेश में प्रति वर्ष वन्य प्राणियों के अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत्यु के प्रकरण घटित होते हैं। विगत पांच वर्षों की प्रकरण संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.32 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 1-32
vo/k f'kdkj ,oa eR;q izdj.k

o"k	vo/k f'kdkj izdj.k	vU; eR;q izdj.k	;ksx
2010	386	553	939
2011	361	757	1118
2012	352	918	1270
2013	358	1098	1456
2014	347	1232	1579

उपरोक्त प्रकरणों में अवैध शिकार एवं अन्य कारणों से मृत विभिन्न वन्य प्राणियों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.33 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 1-33
vo/k f'kdkj ,oa e`r oU; ik.kh

o"k	vo/k f'kdkj	vU; dkj.kksa ls eR;q	;ksx
2010	383	581	964
2011	440	836	1276
2012	336	975	1311
2013	476	1189	1665
2014	434	1378	1812

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 से 2014 तक वन्यप्राणियों के अवैध शिकार के दर्ज प्रकरणों की संख्या में कमी हुई है परंतु दुर्घटना एवं अन्य कारणों से वन्यप्राणियों की मृत्यु के दर्ज प्रकरणों में वृद्धि हुई है। अवैध शिकार की दृष्टि से प्रदेश के सर्वाधिक संवेदनशील वृत भोपाल, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, छतरपुर एवं रीवा हैं।

1-6-5 ekuo rFkk oU; ikf.k;ksa ds chp }an de djus ds iz;kl

- सांप व गुहेरा को छोड़कर किसी भी वन्यप्राणी द्वारा जन हानि किये जाने पर वन विभाग द्वारा रू.1,50,000 अनुकम्पा अनुदान देने का प्रावधान है।
- जन घायल होने पर शासन के आदेश दिनांक 31.05.2014 अनुसार इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु अतिरिक्त रूप से रूपये 500/– प्रति दिन (अधिकतम सीमा रू.30,000) के अनुकम्पा अनुदान देने का प्रावधान है।
- स्थाई रूप से अपंग होने पर रू. 1,00,000/– के अनुकम्पा अनुदान देने का प्रावधान है।
- वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार वनाधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाती है एवं भुगतान किया जाता है।
- जनहानि, जनघायल, पशुहानि के प्रकरणों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल किया गया है

- प्रदेश स्तर पर 10 रीजनल रेस्क्यू स्क्वॉड का गठन किया गया है, जिनके कार्य क्षेत्र में प्रदेश के सभी जिले है। इनके द्वारा सभी वन्यप्राणियों के रेस्क्यू का काम सम्पन्न किया जाता है।
- संरक्षित क्षेत्रों के गठन से स्थानीय ग्रामवासियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे ग्रामों में इको विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

tugkfu idj.k

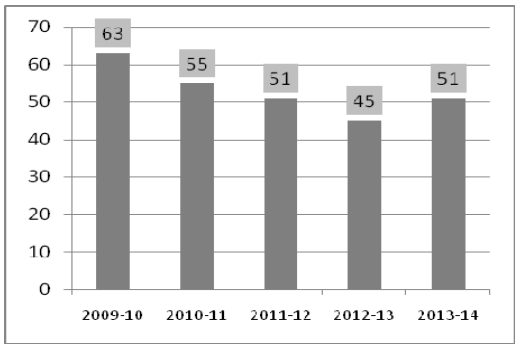

tugkfu ij evkotk Hkxrku ¼:-yk[k

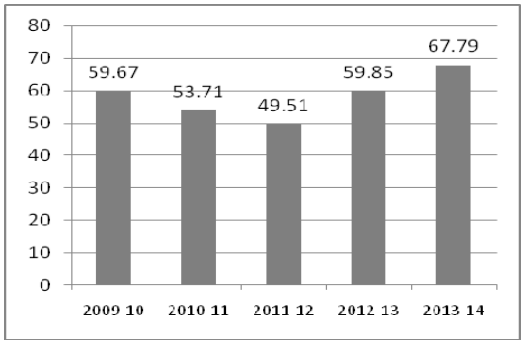

i'kgkfu idj.k

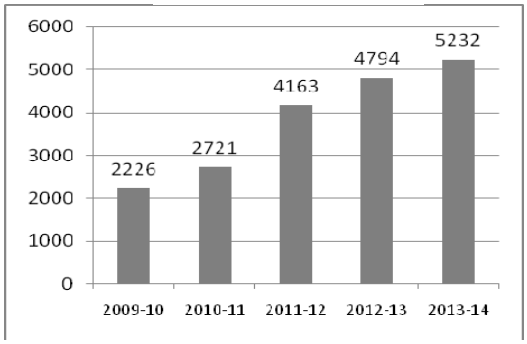

i'kgkfu ij evkotk Hkxrku ¼:-yk[k e½

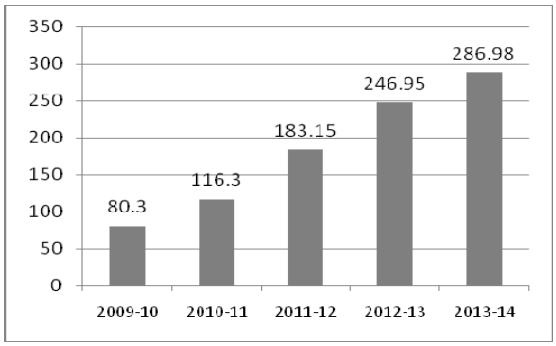

tu?kk;y idj.k

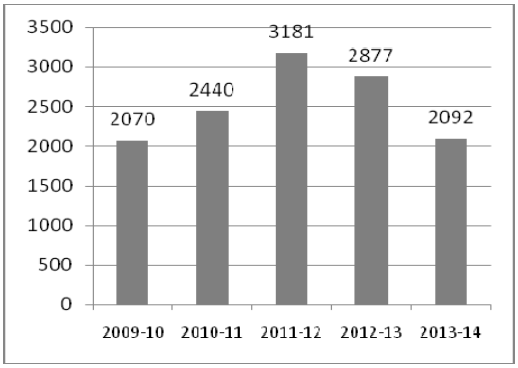

tu?kk;y ij evkotk Hkxrku ¼:-yk[k e½

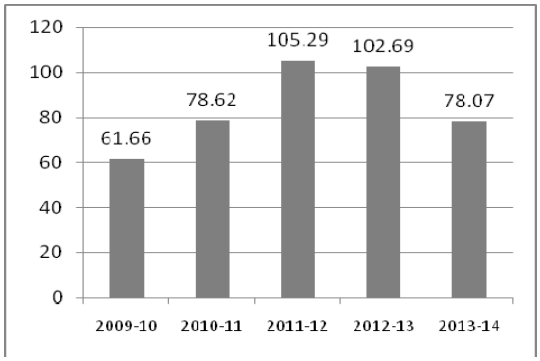

वन्यप्राणी संरक्षण तथा मानव वन्यप्राणी द्वंद्व को कम करने के लिए वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार बाघों के क्रिटिकल रहवास क्षेत्रों से समस्त ग्रामों का पुनर्स्थापन आवश्यक है। शेष संरक्षित क्षेत्रों से चिन्हित ग्रामों का पुनर्स्थापन किया जाता है। इस हेतु रू.10.00 लाख प्रति पुनर्वास इकाई की दर से ग्राम के पुनर्वास के लिये राशि का निर्धारण किया

जाता है। केन्द्र से पर्याप्त राशि प्राप्त ना होने के कारण 12वीं पंचवार्षिय योजाना में राज्य योजना के अंतर्गत राशि के प्रावधान में वृद्वि की गई है। राज्य शासन की नीति के अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य ग्रामवासियों की सहमति के उपरांत ही किया जाता है। विगत वर्षों में पुनर्स्थापित किये गये ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका क्रमांक 1.34 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 1-34
l jf{kr {k= e iuLFkkfir xke

foRrh; o"k	iuLFkkfir xke l[;k
2010—11	3
2011—12	1
2012—13	4
2013—14	13 एवं 1 आंशिक
2014—15 माह जनवरी 2015 तक	17 एवं 3 आंशिक

1-6-6 oU; ikf.k;k dh l[;k dk vkdyu

बाघों, सह—परभक्षियों एवं अन्य वन्य पशुओं की संख्या का आंकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से प्रति चार वर्ष में एक बार किया जाता है। अभी तक हुये तीन आंकलन में मध्यप्रदेश में बाघों की औसत संख्या का आंकलन तालिका क्रमांक 1.35 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 1-35
ck?kk dh l[;k dk vkdyu

ck?kk dh l[;k			
jkT;@o"k	2006	2010	2014
मध्यप्रदेश	300 (236—364)	257 (213—301)	308

टीप :— तृतीय आंकलन वर्ष 2014 में अभी मध्यप्रदेश के सतपुड़ा लैण्डस्केप के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

1-6-7 Vkbxj fjtol dk icU/k

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V (4) (ii) के अंतर्गत प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (कोर) एवं बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट पूर्णतः वन्यप्राणियों के उपयोग के लिये सुरक्षित क्षेत्र है जबकि बफर क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के चारों ओर का बहुउपयोग में लाया जाने वाला वह क्षेत्र है जो क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट की संनिष्ठता एवं सुरक्षा के लिये आवश्यक है। यहां कोर क्षेत्र की तुलना में प्रतिबन्ध कम होते हैं। बफर जोन संबंधित टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालकों के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत लाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

टाइगर रिजर्व के प्रबंध हेतु बनायी जाने वाली टाइगर कंजर्वेशन प्लान में कोर एवं बफर क्षेत्र हेतु प्रबंध निर्देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर क्षेत्र के बारे में भी सांकेतिक प्रावधान सम्मिलित किये जाते है। इस नयी प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप प्रबंध योजना बनायी जा रही है।

1-6-8 l jf{kr {k=k d ckgj oU; ik.kh icU/k

राज्य शासन के संकल्प के बिन्दु क्रमांक 30 के पालन में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु एक नवीन योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंध हेतु क्षेत्रीय वनमण्डलों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कॉरिडोर क्षेत्रों को सुदृढ करने के लिये भी इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

1-6-9 oU; ik.kh lajf{kr {k=k e i;Vu

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एवं पेंच टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार पर्यटन हेतु खुला क्षेत्र 20 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित होने से वर्ष 2012–13 से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय निम्न तालिका क्रमांक 1.36 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-36

lajf{kr {k=k e i;Vdk dh la[;k

o"kZ	2011&12	2012&13	2013&14
पर्यटकों की संख्या (लाख)	13.07	09.42	11.10
अर्जित आय (लाख रूपये)	1996.70	1450.07	2078.80

1-7 iz/kku eq[; ou laj{kd] dk;Z vk;kstuk ,oa ou Hkw&vfHkys[k

1-7-1 dk;Z vk;kstuk

प्रदेश के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना पुनरीक्षण हेतु प्रदेश में क्षेत्रीय वृत्त स्तर पर सौलह कार्य आयोजना इकाईयॉ स्थापित हैं। उन इकाइयों के नियंत्रण हेतु तीन ऑचलिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इनका विवरण तालिका क्रमांक 1.37 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-37

dk;Z vk;kstuk dh {k=h; bdkb;ka

कार्य आयोजना वृत्त	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।

मध्यप्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में कार्य आयोजना पुनरीक्षण की स्थिति तालिका क्रमांक 1.38 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-38

izns'k e dk;Z vk;kstuk iqujh{k.k dh fLFkfr

v-Ø-	dk;Z vk;kstuk bdkbZ	iqujh{k.k grq oueaMy
1	भोपाल	सीहोर / औबेदुल्लागंज
2	बैतूल	दक्षिण बैतूल
3	होशंगाबाद	पश्चिम बैतूल
4	सागर	दमोह
5	छतरुपर	दक्षिण पन्ना
6	इंदौर	इंदौर / बडवाह
7	खण्डवा	बुरहानपुर
8	ग्वालियर	ग्वालियर / भिंड / दतिया
9	शिवपुरी	गुना / अशोकनगर
10	उज्जैन	उज्जैन / शाजापुर / धार
11	जबलपुर	पश्चिम मंडला
12	सिवनी	उत्तर बालाघाट
13	बालाघाट	कटनी
14	रीवा	उमरिया
15	शहडोल	उत्तर शहडोल
16	छिंदवाडा	दक्षिण सिवनी

1-7-2 ou Hkw&vfHkys[k

lajf{kr ,oa vkjf{kr ouksa dk xBu &

(क) आरक्षित वन गठित करने हेतु धारा 4 से 20 तक की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अतः वनभूमि अधिसूचित करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को वर्तमान में वैधानिक संरक्षण देने के लिये सर्वप्रथम भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन अधिसूचित किया जा रहा है।

(ख) असीमांकित संरक्षित वनों, जिन्हें नारंगी क्षेत्र कहा जाता है, के सर्वेक्षण में उपयुक्त पाये गये क्षेत्रों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(ग) अनुपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्रों के निर्वनीकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(घ) आरक्षित वनों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का व्यवस्थापन कर दिया जाता है। संरक्षित वनों में ऐसे अधिकार यथावत रहते हैं, अतः इनका अभिलेखन किया जाना आवश्यक है। वर्ष 1950 में जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् शासन के पक्ष में वेष्ठित भूमियों को वर्ष 1958 में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का अभिलेखन किये बिना ही संरक्षित वन अधिसूचित कर दिया गया था। इन अधिकारों का अभिलेखन अभी तक लम्बित है। अधिकारों के अभिलेखन का कार्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना है।

ou jktLo lhekadu &

वर्ष 2004 से मुख्य वन सचिव, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही प्रचलित है। प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन अनुसार 42 जिलों के अन्तर्गत वन सीमा से लगे 19,714 ग्रामों में से 19,554 ग्रामों में वन एवं राजस्व सीमाओं के सत्यापन के अनुसार अभिलेखों का अद्यतनीकरण करने की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शेष ग्रामों में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी हैं।

ou O;oLFkkiu &

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा ''4'' के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वन खण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियॉ की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश/ प्रक्रिया संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई।

ouxzkeksa dh Hkwfe dk izcU/ku % &

¼d½ ou xzkeksa dk jktLo xzkeksa esa ifjofrZru djuk &

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में जिलेवार प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इन 827 वन ग्रामों में से 310 वन ग्रामों की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य जारी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक/ 337/ 1995 की आई.ए. क्रमांक–2 में दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई गई है एवं भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की स्वीकृति पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.04 से स्थगन जारी किया गया है। इस कारण शेष 517 वन ग्रामों के लिये भी स्वीकृति लम्बित

है। वैसे भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 310 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति किये जाने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ हैं। शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वन ग्रामों से बनाये गये राजस्व ग्रामों का प्रशासनिक नियंत्रण वन विभाग का ही रहेगा।

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1) (ज) में वनग्रामों के संपरिवर्तन के अधिकार का उल्लेख है।

¼[k½ 0k"k 1980 ds iwoZ jktLo foHkkx dks gLrkarfjr ou xzke &

वर्ष 1980 के पूर्व वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को 533 वन ग्राम हस्तांतरित किये गये। इनमे से केवल 06 वन ग्राम ही निर्वनीकृत हुये हैं। इन 06 वन ग्रामों का हस्तांतरण दिसम्बर 1975 में हुआ था और इनमे से 02 वन ग्राम जून 1978 में, 02 वनग्राम दिसम्बर 1979 में और 02 वन ग्राम सितम्बर 1986 में निर्वनीकृत किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि इन सभी 533 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की मंशा से ही इन्हें राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया था लेकिन उक्त 06 वन ग्रामों के अतिरिक्त शेष 527 वन ग्रामों की वन भूमि को अभी तक निर्वनीकृत नहीं किया गया है। वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की मंशा से राजस्व विभाग को हस्तांतरित उक्त 533 में से शेष 527 वन ग्रामों की वनभूमि को हस्तांतरण के दिनांक से निर्वनीकृत करने के लिए वन (संरक्षण) 1980 प्रभावशील होने या नहीं होने बाबत् अभिमत हेतु विधि विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।

ou vf/kdkj vf/kfu;e] 2006 &

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है और पात्र लोगों को वितरित अधिकार पत्रों से संबंधित अभिलेखों के संधारण का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है।

&&&&&&&

v/;k;&rhu

foHkkx ds vUrxZr vkus okys fuxe] miØe o laLFkkvksa dk fooj.k

1-8 e/;izns'k jkT; tSofofo/krk cksMZ

1-8-1 xBu

जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 63 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये, जिसके अंतर्गत बोर्ड के गठन संबंधी राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई। मध्य प्रदेश राजपत्र क्रमांक/378 भोपाल दिनांक 25 अगस्त 2014 में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है।

बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करना है।

1-8-2 lapkyd e.My

बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय सदस्यगण ifjf'k"V 23 अनुसार हैं। बोर्ड का कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

1-8-3 xfrfof/k;k

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत गतिविधियां संचालित की जा रही है :–

(अ) शोध एवं दस्तावेजीकरण,
(ब) शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण,
(स) अंतःस्थलीय एवं बाह्यस्थलीय संरक्षण,
(द) संवहनीय उपयोग एवं लाभों का समुचित बंटवारा,
(ई) सुशासन,
(फ) नीतिगत एवं वैधानिक मुद्दे।

¼v½ 'kks/k ,oa nLrkosthdj.k & बोर्ड द्वारा जैवविविधता के विभिन्न पहलूओं पर शोध संस्थाओं, महाविद्यालयों, गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से शोध एवं दस्तावेजीकरण कार्य

कराये जाते है। वित्त वर्ष 2014–15 में कुल 26 परियोजना (21 पूर्व एवं 5 नवीन) संचालित की जा रही है एवं इस अवधि में 2 परियोजना पूर्ण हुई। इसके अंतर्गत कृषि, वानस्पतिक, दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित परियोजना सम्मिलित है।

¼c½ f'k{kk] tkx:drk ,oa izf'k{k.k & जन मानस में जैवविविधता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.39 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 1-39
tSofofo/krk tkx:drk dk;ZØe

Ø-	dk;ZØe	mn~ns';	ykHkkfUor oxZ
1.	अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (22 मई)	प्रदेश के सभी जिलों में जैवविविधता दिवस पर कार्यक्रम (गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला) आयोजन हेतु सहायता।	प्रदेश के सभी जिलों में मनाया गया।

2.	मोगली उत्सव	स्कूली छात्र–छात्राओं में जैवविविधता जागरूकता हेतु।	मोगली उत्सव 2014 का आयोजन दिनांक 21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2014 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी में किया गया, जिसमें सम्पूर्ण मध्य प्रदश के 242 छात्र–छात्राओं द्वारा भाग लिया गया।
3.	श्रेष्ठ जैवविविधता उद्यान प्रतियोगिता	प्रदेश के सभी जिलों में श्रेष्ठ उद्यान का चयन एवं चयनितों को पुरूस्कार।	प्रदेश के सभी 51 जिलों में जैवविविधता संरक्षण के संबंध में व्यापक प्रचार – प्रसार हुआ एवं 32 श्रेष्ठ उद्यान को पुरूस्कृत किया गया।
4.	जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रम	स्कूल, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थाओं इत्यादि में जैवविविधता संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन।	20 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 छात्र–छात्राओं लाभान्वित हुये।
5.	रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम	आम नागरिकों हेतु आकाशवाणी से ''चलती रहे जिंदगी'' एवं दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रसारण।	प्रदेश के सभी जिलों में प्रसारण।
6.	मेले एवं प्रदर्शनी	जैवविविधता प्रदर्शनी	विभिन्न मेलों में लगभग 2 लाख लाभान्वित।

¼l½ vr%LFkyh; ,o ckg;LFkyh; laj{k.k & दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत देशी धान, गुग्गल, आल, जमनापारी बकरी, कड़कनाथ, कठिया गेंहू इत्यादि प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही है।

प्रदेश के 07 जिलों इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, शहडोल, बुरहानपुर एवं होशंगाबाद में जैवविविधता उद्यान की स्थापना वन विभाग के माध्यम से की गयी।

¼n½ loguh; mi;kx ,o ykHkka dk lefpr caVokjk & जैवविविधता अधिनियम, 2002, जैवविविधता नियम, 2004 एवं मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 को लागू करने के संबंध में जागरूकता हेतु जैव संसाधन आधारित उद्योगों का उन्मुखीकरण किया जा रहा है।

¼b½ lq'kklu & मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतो के स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियॉ संचालित की जा रही है–

(i) मास्टर ट्रेनर्स के माध्मय से जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बी.एम.सी) का पुर्नगठन / सक्रिय कर समिति की क्षमता वृद्धि करना।
(ii) बी.एम.सी. को संरक्षण की गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता।
(iii) जैवविविधता जागरूकता संबंधित साहित्य का जैवविविधता प्रबंधन समितियों में वितरण।

¼Q½ uhfr;k ,o o/kkfud enn & जैवविविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभाग – कृषि, वन, मत्स्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इत्यादि से समन्वय किया गया।

vfHkuo ;ktuk

प्रदेश में परम्परागत किस्मों का संरक्षण कर रहे किसानों का पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPVFRA) नई दिल्ली में पंजीयन हेतु कार्यवाही।

izdk'ku

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड अपनी गतिविधियों की जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से समय–समय पर ब्रोशर एवं न्यूज लेटर का प्रकाशन किया गया। ''मध्य प्रदेश के पक्षी'' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

1-9 e/;izns'k jkT; y?kq oukit ¼O;kikj ,o fodkl½ lgdkjh l?k

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण प्रदेश में वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। क्षेत्रीय वनमंडलों के स्तर पर वर्तमान मे 61 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाये गये हैं। इस त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ पहले से ही कार्यरत है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे चिरोंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण के अधिकार प्रदान किए गए है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का विपणन लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाता है। संघ की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1- jk"Vªh;d`r oukit dk laxg.k o O;kikj

¼i½ rsUnwiRrk & तेन्दूपत्ता का व्यापार प्रदेश में लगभग 31.82 लाख संग्राहकों के माध्यम से किया जाता है। इस कार्य में ग्रीष्म ऋतु में जब अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तब इस व्यापार के कारण शाखकर्तन, तेन्दूपत्ता संग्रहण, बोरा भराई, परिवहन के द्वारा व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है। मुख्य रूप से यह रोजगार उन स्थानों पर सृजित होता है जहां दूरस्थ अंचलों में रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन कम होते हैं। इसलिए इस व्यापार के माध्यम से कमजोर वर्गों को काफी लाभ होता है। विगत पांच वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी तालिका क्रमांक 1.40 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad 1-40

foxr ikap o"kksZa esa rsUnwiRrk laxg.k ,oa fuoZru dh tkudkjh

fooj.k	o"kZ				
	2010	2011	2012	2013	2014
संग्रहण दर (रु. प्रति मानक बोरा)	650	650	750	950	950
कुल गोदामीकृत मात्रा (लाख मानक बोरा में)	21.24	17.06	26.06	19.93	16.99
संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	138.11	110.80	195.45	189.31	161.41
अब तक विक्रय की गई मात्रा (लाख मानक बोरा में)	21.24	17.06	26.06	19.60	16.58
विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)	332.89	310.06	634.13	400.58	305.56

¼ii½ Lkkycht & सालबीज संग्रहण पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में 2007 से 2011 (पाँच वर्ष) हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष 2008 से प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर लगा प्रतिबंध हटाते हुये सालबीज संग्रहण कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये। सालबीज संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी तालिका क्रमांक 1.41 है :–

rkfydk Øekad 1-41
lkycht laxg.k ,oa fuoZru dh tkudkjh

fooj.k	o"kZ				
	2010	2011	2012	2013	2014
संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	निरंक	1713.69	37741.81	186.00	3164.65
निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल में)	–	1713.69	36647.11	–	3047.55
प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख में)	–	7.88	211.98	–	35.81
औसत विक्रय दर (रू. प्रति क्विंटलं)	–	460.00	578.00	–	1175.00

वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 सीजन में संग्रहित अवशेष सालबीज के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

(iii) dYyw xkan & कुल्लू गोंद को 11 जिलों में राष्ट्रीकृत वनोपज घोषित कर इसका संग्रहण किया जाता है। विगत तीन वर्षों में विभागीय संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी तालिका क्रमांक 1.42 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad 1-42
dYyw xkan dk laxg.k ,oa fuoZru dh tkudkjh

fuoZru	o"kZ			
	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14
संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	69.84	111.03	77.58	49.22
निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल में)	65.19	43.42	1.15	–
प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख में)	17.23	8.49	0.26	–
औसत विक्रय दर (रू. प्रति क्विंटलं)	26439.00	19544.00	22500.00	–

वर्ष 2014–15 में कुल्लू गोंद का संग्रहण प्रारंभ नहीं हुआ है।

2- vjk"Vªh;d`r oukstks dk U;wure leFkZu ewY; ij laxg.k dh tkudkjh & मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वर्ष 2012 में 7 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आदिवासियों/ वनवासियों को प्रमुख लघु वनोपजों के उचित मूल्य प्राप्त हो सकें, इस उद्देश्य से यह निर्धारण किया गया था। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा भी 10 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। इसके क्रियान्वयन हेतु वर्किंग कैपिटल का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। लागत से कम दर पर विक्रय के फलस्वरूप होने वाली हानि के 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। विभिन्न अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) yk[k & वर्ष 2011, 2012, 2013 एवं 2014 से बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने के कारण लाख का विभागीय संग्रहण निरंक रहा। वर्ष 2015 में संग्रहण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(ii) vpkj xqBYh & शासन निर्देशानुसार वर्ष 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 20.45 क्विंटल अचार गुठली का संग्रहण हुआ है। वर्ष 2012 में संग्रहण निरंक रहा। वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3.20 क्विंटल अचार गुठली का संग्रहण किया गया। वर्ष 2014 में अचार गुठली का संग्रहण बाजार मूल्य अधिक होने के कारण निरंक रहा। वर्ष 2015 में संग्रहण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(iii) egqvk Qwy & शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 625.93 क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण कराया गया। संग्रहित मात्रा में से 285.60 क्विंटल निर्वर्तन किया जा चुका है। वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 954.66 क्विंटल महुआ फूल का संग्रहण कराया गया। वर्ष 2014 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महुआ फूल संग्रहण निरंक रहा। वर्ष 2012 की अवशेष एवं वर्ष 2013 की संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2015 में संग्रहण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(iv) egqvk xqYyh – वर्ष 2012 सीजन में महुआ गुल्ली का संग्रहण निरंक रहा है। वर्ष 2013 सीजन में 18.33 क्विंटल महुआ गुल्ली पश्चिम सीधी जिला यूनियन में संग्रहण हुआ है। संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014 में महुआ गुल्ली का संग्रहण निरंक रहा है। वर्ष 2015 में संग्रहण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(v) gjk & शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012–13 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 1115.85 क्विंटल हर्रा का संग्रहण किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में 1405.03 विक्टल हर्रा का संग्रहण किया गया है। वर्ष 2014–15 में 46.90 किलोग्राम हर्रा का संग्रहण हुआ हैं, संग्रहण कार्य प्रगति पर है। संग्रहित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

(vi) uhe cht & शासन निर्देशानुसार वर्ष 2012 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 140.80 क्विंटल नीम बीज का संग्रहण किया गया है। वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 67.15 क्विंटल नीम बीज का संग्रहण किया गया है तथा इसी प्रकार वर्ष 2014 में 1066.32 क्विंटल नीम बीज का संग्रहण किया गया है। वर्ष–2013 एवं 2014 में संग्रहित नीम बीज का निर्वर्तन व उपयोग विभागीय रूप से किया गया है।

(vii) djat & वर्ष 2013–14 में न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य अधिक होने के कारण करंज बीज संग्रहण निरंक रहा।

3- lkekftd lqj{kk lewg thou chek ;kstuk

वर्ष 1991 से प्रदेश के समस्त तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारम्भ की गई । दिनांक 01.04.2013 से योजना में सम्मिलित किसी भी संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति को 5000/– की राशि तथा यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रुप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता के लिए रु. 12500/– तथा यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें या उसके उत्तराधिकारी को रु. 25000/– की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना के अर्न्तगत अब तक 2.25 लाख दावों का निराकरण किया जाकर रूपये 91.00 करोड़ की राशि मृत तेंदू पत्ता संग्राहकों के परिवार को भुगतान की जा चुकी है । विगत पाँच वर्षों की भुगतान की जानकारी तालिका क्रमांक 1.43 में दर्शित हैं :–

rkfydk Øekad 1-43

lewg thou chek ;kstukUrxZr Hkqxrku

fujkdj.k nkos	foRrh; o"kZ				
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
संग्राहकों के दावेदारों की संख्या	6406	8235	8601	6477	2816
बीमा क्लेम की प्रदाय राशि (रू. लाख में)	283.57	341.73	386.56	323.81	183.91

4- ,dyO; f'k{kk fodkl ;kstuk

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उदेश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षो में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

2. योजना हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो। उनका चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा। चयनित छात्र–छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करते रहना होगा, यदि उनका प्रदर्शन नीचे जाता है तो सुधार लाने के लिए अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में संघ द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

3. योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाएगा, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी:–
   - कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रूपये अधिकतम
   - कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रूपये अधिकतम
   - गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रूपये अधिकतम
   - व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रूपये अधिकतम

4. प्रत्येक वर्ष लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में चयनित छात्र–छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि नौवीं से बारहवीं तक की शिक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

विगत पाँच शैक्षणिक सत्र में उक्त योजना अंतर्गत वितरित की गई छात्र वृत्ति की जानकारी तालिका क्रमांक 1.44 में दर्शित हैं :–

rkfydk Øekd 1-44
,dy0; f'k{kk fodkl ;kstukrxrr foRrh; Nk=ofRr dk fooj.k

ykHkkfor Nk=k dh l[;k	'k{kf.kd l=				
	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	;kx
स्कूल शिक्षा	842	643	637	527	2649
उच्च शिक्षा स्नातक	196	104	114	96	510
तकनीकी शिक्षा स्नातक	23	42	66	91	222
;kx	1061	789	817	714	3381
Lohd`r jkf'k ¼yk[k :i;s e½	46.85	35.28	50.21	56.78	189-12

शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु छात्रवृत्ति वितरित की जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

5- ikRlkgu ikfjJfed

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपज व्यापार का शुद्ध लाभ राज्य शासन को रायल्टी के रूप में भुगतान किया जाता रहा। संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

संग्रहण वर्ष 2011 से इस शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है। इसके

अतिरिक्त 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में दी जा रही हैं । यह व्यवस्था वर्ष 1998 सीजन से लागू की गई है।

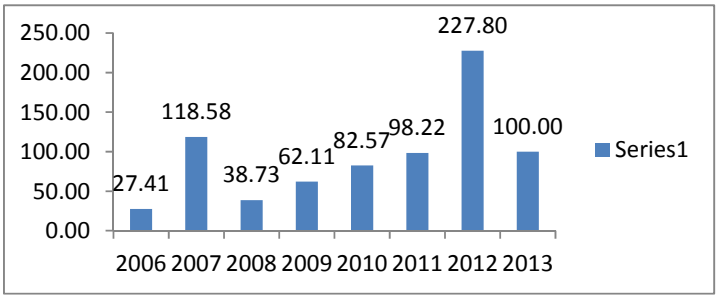

इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2014 सीजन में प्रोत्साहन पारिश्रमिक की गणना तेन्दूपत्ते के पूर्ण निर्वर्तन उपरांत किया जाना संभव होगा ।

6- vU; ;kstuk,¡

1- y?kq oukst izlaLdj.k ,oa vuqla/kku dsUnz ¼,e-,Q-ih&ikdZ½ cj[kMk iBkuh & इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2004–05 से प्राथमिक तौर पर मात्र एकल चूर्णो का प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता था। विगत वर्षो में निरंतर प्रगति करते हुए इस केन्द्र में विभिन्न प्रसंस्करण इकाईयों एवं उन्नत मशीनरी की स्थापना की गई तथा वर्तमान में यहां पर एकल चूर्ण, मिश्रित चूर्ण, वटी, केप्सूल, आसव एवं आरिष्ट, भस्में, तेल एवं शहद प्रसंस्करण आदि विभिन्न श्रेणियों के 300 से अधिक उत्पाद तैयार किए जाकर उनका विपणन किया जा रहा है।

वर्ष 2010 में इस केन्द्र में आयुष विभाग, भारत शासन के माध्यम से अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षणों का आयोजन तथा इस केन्द्र द्वारा निर्मित किए जा रहे आयुर्वेदिक उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है। इस केन्द्र को ISO-9001:2008, EMS-14001:2004 एवं GMP प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है, जो उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने वाली इकाई हेतु आवश्यक है।

dsUnz dh miyfC/k;k¡

- foxr ikp o"kksZ esa jktLo izkfIr dk fooj.k fuEukuqlkj gS%&

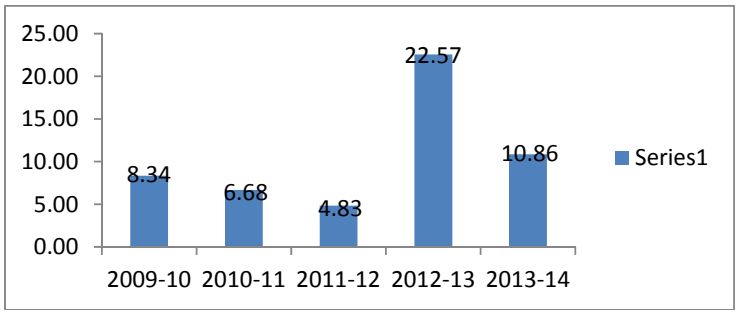

वर्ष

- dsUnz dk mUu;u पूर्व वर्षो की भांति प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास किया जाकर गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाए जाने का प्रयास किया गया है। इस हेतु आदिम जाति कल्याण मामले मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त राशि से एक नवीन पल्वराइजर इकाई एवं एक औषधियों को सुखाने हेतु आधुनिक पद्धति का उपयोग करते हुए (contamination & microbial load free) वर्कशेड का निर्माण किया गया है।

- पूर्व में इस संस्था में कम क्षमता वाले पल्वराइजर का उपयोग करने से लगभग 20–30 प्रतिशत तक प्रसंस्करण हानि होती थी। हेवी पल्वराइजर का उपयोग करने से होने वाली प्रसंस्करण हानि को 2–5 प्रतिशत तक लाया गया है, फलस्वरुप उत्पादन लागत में कमी लाई गई है।
- पूर्व में वटी/टेबलेट बनाने हेतु बड़ियों को खुले में सुखाया जाता था जिसके कारण बड़ियों में धूल एवं वातावरण में उपस्थित जीवाणुओं से संदूषण (Contamination) होने की संभावना बनी रहती थी। बड़ी सुखाने हेतु नवीन आधुनिक शेड के निर्माण से होने की संभावनाओं को समाप्त किया गया है।
- इस केन्द्र को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं एवं निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्टों के निपटान एवं प्रबधंन हेतु EMS-14001:2004 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जोकि हमारी पर्यावरण सरंक्षण, पर्यावरणीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता एवं अवधारणा को आधार प्रदान करता है।
- tfod iek.khdj.k & वनीय स्त्रोतों (छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर) से संग्रहित किए जा रहे लघु वनोपजों के स्त्रोत जैविक प्रमाण प्राप्त किया गया है तथा प्रसंस्करण एवं विपणन के जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किए जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
- आयुष विभाग भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त देश की 8 शासकीय एवं सहकारी संस्थाओं में से केवल इस केन्द्र द्वारा ही जैविक उत्पाद निर्मित किए जाना प्रस्तावित है।
- प्रसंस्करण एवं विपणन के जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किए जाने के उपरांत प्रमाणीकृत आयुर्वेदिक उत्पादों का अमेरिका/ यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाना संभव हो सकेगा।
- [knjk foi.ku gr dk;;ktuk & विगत वर्षो में खुदरा विपणन के माध्यम से राजस्व प्राप्ति में स्थिरता बनी हुई है। खुदरा विपणन की कार्य योजना तैयार किया जाकर उसे इस वर्ष क्रियान्वित किया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार कार्य किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रदेश एवं देश में C&F Agents की नियुक्तियां। प्रदेश में 03 एवं अन्य प्रदेशों में 02 C&F Agents की नियुक्तियां की गई हैं, शेष नियुक्तियों की कार्यवाही प्रगति पर है ।

2- ltHkouh dUn dh LFkkiuk & औषधीय पौधों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेडा पठानी (भोपाल), मैहर, इन्दौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन एंव रीवा में ''संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से 25 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघुवनोपजों तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है। विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं। आवश्यकता एवं उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जावेगा।

3- vrjk"Vh; gcy eyk & स्थानीय लोगों में वनौषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्रदेश की विभिन्न समितियों द्वारा उत्पादित हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के उद्धेश्य से प्रतिवर्ष भोपाल में राष्ट्रीय वनमेला आयोजित किया जाता है। भोपाल में 19 दिसंबर से 23 दिसंबर–2014 तक अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मेले में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तृतीय दिन क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रूपए 1.00 करोड़ के करारनामें किए गए।

प्रदेश के बड़े शहरों इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी उत्पादित हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के उद्धेश्य से हर्बल मेलों का आयोजन इसी वित्तीय वर्ष में किया जावेगा।

4- lfpr _.k fuf/k ls jkf'k dk iznk; ¼4 izfr'kr½ & संचालक मण्डल की 87 वीं बैठक दिनांक 29.06.2010 में निर्णय लिया गया था कि संचित ऋण निधि से लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को 4 प्रतिशत ब्याज की राशि से जिला यूनियनों को ऋण उपलब्ध कराए जाएँ। प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर के ब्याज (4 प्रतिशत) पर रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

5- Hkkjr ljdkj] jk"Vªh; vk"k/kh; jk"Vªh; vk"k/kh; ikni cksMZ ubZ fnYyh ls lzkfnr dk;Z dk fooj.k – EX-Situ Conservation For Resource Augmentation CONS/ MP/ 01 / 2008-2009 to 2010-11 मे कच्चे माल की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधा रोपण हेतु 800 हेक्ट. क्षेत्र में राशि रू. 640.00 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना में प्रदेश के खण्डवा, देवास, भोपाल, सीहोर, छिन्दवाडा, इन्दौर जबलपुर, नरसिंहपुर, श्योपुर, कटनी एवं शिवपुरी जिले में भौतिक एंव आर्थिक लक्ष्यो का निर्धारिण करते हुये औषधीय पौधा रोपण का कार्य कराया गया था। इस परियोजना मे दिनांक 30.6.14 की स्थिति में भौतिक लक्ष्य 800 हेक्ट. क्षेत्र को पूर्ण करते हुए राशि रू. 591.00 लाख का व्यय किया गया। परियोजना पूर्ण हो चूकी है, उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं परियोजना की प्रगति से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली को अवगत कराया गया है।

6- jk"Vªh; vk"k/kh; ikni cksMZ ubZ fnYyh ls izkf"kr ifj;kstuk izkstDV EX-Situ Conservation For Resource Augmentation Proj. No. CONS/ MP/ 01/ 2010-2011 मे कच्चे माल की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधा रोपण हेतु 1450 हेक्ट. क्षेत्र में राशि रू. 821.00 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना में प्रदेश के विदिशा, राजगढ, पश्चिम सीधी, देवास, सतना, दक्षिण सागर, पूर्व छिन्दवाडा, दक्षिण छिन्दवाडा, बुरहानपुर, हरदा, उतर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट एंव टीकमगढ,जिले में भौतिक एंव आर्थिक लक्ष्यो का निर्धारिण करते हुये औषधीय पौधा रोपण का कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना मे दिनांक 30.6.14 की स्थिति में भौतिक लक्ष्य 1450 हेक्ट. क्षेत्र को प्राप्त करते हुए राशि रू. 578.73 लाख की राशि व्यय की गई है। परियोजना की अवधि मार्च 2015 में पूर्ण होने वाली है।

7- jk"Vªh; vk"k/kh; ikni cksMZ ubZ fnYyh ls ifj;kstuk No.GO/ MP-16/ 2008 (Amarkantak) में औषधीय पौधों का संरक्षण एव विस्तार हेतु रू. 124.80 लाख की परियोजना स्वीकृति की गई थी। परियोजना में 200 हेक्ट. क्षेत्र में कलिहारी,गुलबकावली, कालीहल्दी एवं मंजिष्ठ का रोपण कार्य सम्पादित कराया गया था। परियोजना इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो चूकी है, उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं परियोजना की प्रगति से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली को अवगत कराया गया है।

8- jk"Vªh; vk"k/kh; ikni cksMZ ubZ fnYyh ls ifj;kstuk izkstDV क्रमांक GO/ MP-17/ 2008 Conservation of Medicinal Plants rich forest areas in Tamia region of Madhya Pradesh के अर्न्तगत राशि रू.123.80 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई थी। योजना के तहत 150 हेक्ट. क्षेत्र में कलिहारी, सर्पगन्धा एवं कालमेघ के रोपण के कार्य कराये गये। परियोजना पूर्ण हो चूकी है, उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं परियोजना की प्रगति से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली को अवगत कराया गया है।

9- jk"Vªh; vk"k/kh; ikni cksMZ ubZ fnYyh ls ifj;kstuk izkstDV Livelihood of rural Communities in Naxalite Affected area of Balaghat District in M.P के अन्तर्गत राशि रू. 162.55 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई थी । इस परियोजना में संघ को कुल राशि रू. 113.77 लाख दो किश्तों मे प्राप्त हुये। इस योजना के अर्न्तगत EX-Situ Conservation & In Situ Conservation के तहत औषधीय वृक्षारोपण तथा ग्रामीणें की सहभगिता वह रोजगार सृजन

के घटक मुख्य थे। इस परियोजना में माह दिसम्बर 14 तक राशि रू 103.00 लाख की राशि व्यय की जा चूकी है,कार्य प्रगति पर है।

10- वर्ष 2013–14 में तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि से EX-Situ Conservation & In Situ Conservation के अर्न्तगत पौधा रोपण के प्रस्ताव विभिन्न जिला यूनियनों से बुलाये जाकर ग्रामों के अधोःसरंचना विकास एवं वन विकास के कार्यो हेतु प्रस्तावों के परिक्षण हेतु गठित समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये। समिति की अनुशंसा पर EX-Situ Conservation के अर्न्तगत 139 हेक्ट. क्षेत्र में राशि रू. 97.00 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। In Situ Conservation के अर्न्तगत 516.900 हेक्ट. क्षेत्र में राशि रू. 57.00 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाकर औषधीय पौधा रोपण के कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

11- jk"Vh; vk"k/kh; ikni ckM ls iLLdj.k gr Lohdr ;ktuk & राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली से वित पोषित परियोजना संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को औषधीय पौधों के मूल्य संवर्धन, गोदामिकरण एवं विपणन हेतु सहयोग की योजना राशि रूपये 580.00 लाख वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक की तीन वर्षो हेतु स्वीकृत है। उक्त योजना में बोर्ड से माह सिम्तबर 2013 में रूपये 232 लाख प्राप्त हुए है। उक्त योजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण प्रसंस्करण संयंत्र, सोलर ड्रायर, विपणन, सहयोग, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अंतर्गत 12 जिला यूनियनों की 20 इकाइयों में गोदाम निर्माण, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु रूपये 200 लाख प्रदाय किये जा कर कार्य प्रारंभ किए गये हैं, निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

12- cUny[k.M ;ktuk vrxr iLLdj.k dUn gr Lohdr ;ktuk & बुन्देलखण्ड योजना के अंतर्गत माह सितम्बर 2013 में रूपये 6.67 करोड़ की योजना प्रदेश के सागर पन्ना, टीकमगढ़ ,दतिया, छतरपुर एवं दमोह के लिये स्वीकृत की गई है। उक्त योजना वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक की अवधि में संचालित होगी। योजना के अंतर्गत गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण संयंत्र एवं प्रशिक्षण दिया जावेगा। उक्त योजना में संघ को रूपये 5.00 करोड़ प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, छत्तरपुर एवं दमोह जिला के 23 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु रूपये 230.00 लाख प्रदाय किये गये हैं। गोदाम निर्माण कार्य अंतिम चरण में है ।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत लघु वनोपज के विनाश विहीन विदोहन एवं प्रसंस्करण के विषय पर 148 प्रशिक्षण प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति एवं संयुक्त वन प्रबंध समिति के सदस्यों को सैडमेप (उद्यमिता विकास केन्द्र) के द्वारा जून–2014 से प्रारंभ किया गया है एवं इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जावेगा।

13- Hkkjrh; tutkfr dY;k.k e=ky; ls vunku & भारतीय जनजाति कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से ग्रांट–इन–एड के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में लघु वनोज के क्रियांवयन हेतु रूपये 350.00 लाख प्राप्त हुए थे। उक्त योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के महुआ फूल के संग्रहण के अंतर्गत 3000 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने, कुल्लू गोंद संग्रहण हेतु 1800 ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने ,जिला यूनियन पश्चिम सीधी में बहुउद्‌देशीय संग्रहण एवं प्रसंस्करण केन्द्र का निर्माण, एम.एफ.पी.पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में स्थित प्रसंस्करण केन्द्र की सुविधाओं का उन्नयन, शहद उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, जिला यूनियन देवास/खण्डवा में नागर मोथा संयंत्र का विकास, जिला यूनियन खरगोन में नीम तेलधानी की स्थापना एवं जिला यूनियन पश्चिम सीधी, सतना, उत्तर सिवनी, एवं दक्षिण सिवनी में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की स्थापना इत्यादि गतिविधियां प्रावधानित है। वर्ष 2013–14 में उपरोक्त योजना के अंतर्गत उपरोक्त कार्यों में रू. 132.77 लाख व्यय हुआ।

1-10 e/; ins'k jkT; ou fodkl fuxe

1-10-1 xBu

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर रू0 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रेल

2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रू0 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रू0 37,93,15,600 है।

1-10-2 lapkyd eMy

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ–साथ अन्य छः संचालक शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

1-10-3 ie[k mnns';

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

1-10-4 i'kklfud ljpuk

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक वन विभाग के क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक के समकक्ष कार्य करते हैं जिनके अधीन संभागीय प्रबंधक पदस्थ किये जाते हैं। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल के अधीन 3 संभागीय प्रबंधक, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, सिवनी के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक कार्यरत हैं। संभागीय प्रबंधक वन विभाग के वनमंडलाधिकारी के समकक्ष क्षेत्र में कार्य करते हैं। राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन विकास निगम के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक के समकक्ष तथा संभागीय प्रबंधक को क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी के समकक्ष वैधानिक अधिकार प्रदाय किये गये हैं। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण तालिका क्रमांक 1.48 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 1-48
bdkb;ksa dk fooj.k

{ks=h; bdkb;ka	la[;k	bdkb;ka
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	03	भोपाल, जबलपुर, सिवनी
संभागीय प्रबंधक	11	खंडवा, विदिशा–रायसेन, सीहोर, रीवा–सीधी, उमरिया, कुंडम (जबलपुर), मोहगांव (मंडला), लामटा (बालाघाट), बरघाट (सिवनी), छिंदवाड़ा, रामपुर–भतौड़ी (बैतूल)

दिनांक 01.02.2015 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमला 1282 के विरूद्ध कार्यरत संख्या 720 है।

1-10-5 xfrfof/k;ka ,oa miyfC/k;ka

सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है।

1-10-6 fuxe dk ys[kk

वर्ष 2012–13 के निगम के लेखे अद्यतन कर दिनांक 03.03.2014 को विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2013–14 के लेखों का अंतिमिकरण कार्य प्रगति पर है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2012–13 तक संचित लाभ रू0 126.50 करोड़ है। निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर वर्ष 2012–13 तक के लिये राज्य शासन को रू0 3074.30 लाख तथा भारत सरकार को रू0 136.41 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है।

1-10-7 o{kkjksi.k

निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से किये गये वृक्षारोपण की जानकारी तालिका क्रमांक 1.45 में दर्शित है :–

rkfydk Øekd 1-45
o{kkjksi.k dk fooj.k

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

;kstuk	2010	2011	2012	2013	2014	;ksx
सागौन (वर्षा आधारित)	7190	7887	7994	7812	5417	36280

वन विकास निगम द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त बजट से किये गये वृक्षारोपण की स्थिति rkfydk Øekd 1-46 esa nf'kZr gSA इसमें डिपॉजिट वर्क, 12वें एवं 13 वित्त आयोग तथा कैम्पा आदि भी शामिल हैं :–

rkfydk Øekd 1-46
fofo/k jksi.k

¼{ks=Qy gsDVs;j esa½

;kstuk	2010	2011	2012	2013	2014	;ksx
12 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	2213	–	–	–	–	2213
13 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	–	–	–	1043	1658	2701
केंद्रीय पादप बोर्ड, दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण	107	221	–	–	–	328
बांस रोपण	1324	1066	15	–	–	2405
मिश्रित रोपण	482	381	121	–	7	991
कैम्पा से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	–	3141	4450	3040	2610	13241
जलसंसाधन विभाग शिवपुरी की योजना	–	300	–	–		300
;ksx	4126	5109	4586	4083	4275	22179
डिपॉजिट वर्क (पौधों की संख्या लाख में)	6.60	7.04	6.65	6.19	7.02	33.50

1-10-8 Jfed dY;k.kdkjh ;kstuk,a

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिकों का वर्ष में 6 बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित कंपनी अधिनियम 2013) के प्रावधानों के अनुसार वनक्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये निगम के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत मछली पालन, प्रशिक्षण, कोसा पालन आदि कार्यों पर व्यय की जा रही है।

1-10-9 fuxe dk ikIr iqjLdkj

म.प्र. राज्य वन विकास निगम को निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत ग्रीनटेक फाउंडेशन के द्वारा चौथा वार्षिक ग्रीनटेक सी.एस.आर. पुरस्कार 2015 वानिकी क्षेत्र में स्वर्ण श्रेणी का प्रदाय किया गया है।

1-11 e/; izns'k bdksi;ZVu fodkl cksMZ

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र. शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाता है। बोर्ड की प्रशासनिक संरचना में दो भाग हैं :–

¼d½ साधारण सभा

¼[k½ कार्यकारी समिति

माननीय वन मंत्री, म.प्र.शासन, साधारण सभा के पदेन सभापति है तथा प्रमुख सचिव, वन विभाग कार्यकारी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग दोनों समितियों के सदस्य है। बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और दो सहायक महाप्रबंधक पदस्थ है।

1-11-1 xfrfof/k;k

(i) tu futh Hkkxhnkjh ¼ih-ih-ih-½ ls bdksi;ZVu dsUnzks dk fodkl (PPP)

- cgj bdks ,Moapj ikdZ ¼jhok½ – रीवा शहर में बीहर नदी पर स्थित दो द्वीपों पर पी.पी.पी. के माध्यम से 15 करोड़ की लागत से ईकोपार्क का विकास किया जा रहा है। प्रोजेक्ट से रुपये 6.30 लाख प्रतिवर्ष प्राप्त होगा।
- vfuZ;k bdksikdZ ¼nsokl½ – देवास–इंदौर राजमार्ग क्रमांक 86 पर स्थित अर्निया का पी.पी.पी. के माध्यम से ईकोपर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।
- djok ftiykbu & केरवा क्षेत्र में बोर्ड द्वारा साहसिक गतिविधियों के विकास के अंतर्गत स्काई जिपलाईन की स्थापना की गई है, जिसका संचालन एवं प्रबंधन आउटसोर्स कर निजी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है।

(ii) भोपाल वनमंडल कें समर्धा वन ग्राम तथा केरवा ग्राम में एवं सीहोर वनमंडल के कठौतिया वन ग्राम में ईकोपर्यटन केन्द्रों के संचालन के लिए स्थानीय ग्रामीण युवकों को प्रकृर्ति व्याख्या, जल संरक्षण, पक्षी दर्शन, वन्य एवं वन्यप्राणी परिचय, आतिथ्य सत्कार एवं व्यवस्था तथा साहसिक गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण देकर केन्द्र संचालन किया जा रहा है।

(iii) प्रदेश के 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़ एवं पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बफर क्षेत्र पर्यटन तथा टाइगर सफारी तैयार की जा रही हैं।

1-12 e/; izns'k jkT; ckal fe'ku

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है।

वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय बांस मिशन से रूपये 684.33 लाख तथा राज्य योजना आयोग से रूपये 2.9 करोड़ की राशि प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के लिये प्राप्त हुई है। इन कार्यो में नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन सम्मिलित है। जिलेवार कार्यों का आबंटन ifjf'k"V & 24 में दर्शाया गया है।

1-12-1 ckal lalk/kuk dk fodkl

राज्य बांस मिशन द्वारा बांस वनों में तथा वनों के बाहर बांस संसाधन विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा एक करोड़ से अधिक बांस रोपित किये गये हैं। विभाग द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की राशि से विभागीय लक्ष्यों के अतिरिक्त लगभग 6000 हेक्टेयर में बांस रोपण कार्य कराया गया है। मिशन द्वारा किसानों के खेतों की मेढ़ों पर उग रहे बांसों के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा इन बांसों से किसानों की आमदनी बढ़ाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। मिशन द्वारा पी.पी.पी. के माध्यम बांस रोपण कार्य लिये जाने के विषय में भी प्रयास किये जा रहे हैं। आर्टीसन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा 700 करोड़ की लागत से बांस आधारित उद्योग की स्थापना की जा रही है।

1-12-2 ckal f'kYidkjk dk n{krk fuekZ.k

बांस शिल्पकारों को और अधिक दक्ष बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 में लगभग 800 बांस शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया जाना लक्षित है; इस पर लगभग रूपये 10.00 लाख की राशि व्यय की जा रही है। बांस शिल्पकारों को अगरबत्ती निर्माण, हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर आदि के प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।

बांस शिल्पकारों का प्रशिक्षण विशेषज्ञ संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा कराया जा रहा है, इनमें मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद एवं बैंगलौर, त्रिपुरा बांस मिशन, सेंटर फॉर ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल एवं टेक्नोलॉजी बैंगलौर, ट्रॉपिकल फारेस्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर आदि सम्मिलित हैं। स्थानीय एन.जी.ओ. का भी उपयोग किया जा रहा है। इन संस्थानों के माध्यम से मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये जा रहे हैं जो भविष्य में प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे।

मिशन द्वारा बांस शिल्पकारों को प्रशिक्षण के दौरान टूल किट्स प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है। आई.आई.टी. मुम्बई द्वारा बांस शिल्पकारों के लिये विशेषतौर पर टूल किट्स विकसित किये गये हैं।

प्रदेश में जो बैम्बू फैसिलिटी सेंटर्स उपलब्ध हैं उन्हें भी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किये जा रहे हैं। प्रदेश में 13 बैम्बू फैसिलिटी सेंटर्स (BFCs) उपलब्ध हैं। वर्ष 2014–15 में तीन केन्द्रों (बालाघाट, सीधी एवं हरदा) को आधुनिक बनाया जा रहा है। इस हेतु लगभग रूपये 1.20 करोड़ की राशि व्यय की जा रही है। इन सेंटर्स में ट्रीटमेंट प्लान्ट्स भी लगाये जा रहे हैं। ट्रीटमेंट के उपरांत बांस की आयु लगभग 40 से 50 वर्ष हो जाती है अन्यथा बांस तीन से पांच वर्ष में खराब होने लगता है।

मिशन द्वारा बांस शिल्पकारों को अन्य प्रदेशों में चल रहे अच्छे कार्यों से सीखने के लिये एक्सपोजर विजिट तथा स्टडी टूर का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में सीधी के बांस शिल्पकारों का एक दल गड़चिरौली, महाराष्ट्र भेजा गया था जहां पर अगरबत्ती तथा बैम्बू हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं। प्रदेश में चल रहे अच्छे कार्यों को देखने के लिये भी बांस शिल्पकारों को एक जिले से दूसरे जिले भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

एन.आई.डी अहमदाबाद तथा एस.पी.ए. भोपाल के माध्यम से प्रदेश के बांस शिल्पकारों का जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिताओं के माध्यम से एन.आई.डी. द्वारा प्रदेश के लगभग 80 उत्कृष्ट बांस शिल्पकारों को चिन्हांकित किया गया है।

1-12-3 ckal mRiknk dk foi.ku

मिशन द्वारा बांस शिल्पकारों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा बिक्री बढ़ाने के लिये विविध प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांस मेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि बांस शिल्पकारों को बाजार मिल सके साथ ही क्रेता–विक्रेता का समन्वय हो सके। अभी तक भोपाल में दो बार तथा इंदौर, जबलपुर में बांस मेलों का आयोजन किया जा चुका है। मार्च माह में ग्वालियर में बांस मेले का आयोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा सभी प्रकार के वन एवं कृषि मेलों तथा अन्य प्रकार के मेलों में बांस शिल्पकारों को स्टॉल्स लगाने के लिये मदद दी जा रही है। इस हेतु बांस शिल्पकारों को BFCs के माध्यम से सीड मनी (Working Capital) मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत बांस शिल्पकारों तथा उद्यमियों को ऋण दिलाने का प्रयास मिशन द्वारा किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से बांस शिल्पकारों के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकृत बांस शिल्पकारों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जावेगा जैसे बांस कार्ड, एक्सपोजर विजिट, मेलों में भागीदारी आदि।

28 से 30 नवम्बर 2014 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का बांस बाजार का आयोजन राष्ट्रीय बांस मिशन की ओर से राज्य बांस मिशन द्वारा किया गया था। इस आयोजन में मध्यप्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के बांस शिल्पकारों तथा उद्यमियों ने भाग लिया। भारत सरकार द्वारा इस आयोजन की विशेष रूप से सराहना की गई है।

इसके अलावा बांस शिल्पकारों को ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के माध्यम से ईबे संस्था के साथ समन्वय किया गया है और ईबे के साथ बांस शिल्पकारों का सीधे संपर्क कराया गया है।

पिछले एक वर्ष में प्रदेश में बांस आधारित योजनाओं के लिये किये गये प्रयासों को काफी सफलता मिली है तथा राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश को बांस के क्षेत्र में एक पहचान मिली है। प्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी बांस प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा हे। सीधी जिले में महिला स्वसहायता समूहों द्वारा अगरबत्ती क्षेत्र में किये जा रहे कार्य को अभूतपूर्व सफलता मिली है। लगभग 5000 महिलाएं अगरबत्ती उद्योग से जुड़ी हुई हैं तथा इन्होंने एक कंपनी की भी स्थापना कर ली है। आई.टी.सी. संस्था द्वारा इस प्रयास को और अधिक व्यापक रूप देने के लिये पहल की गई है।

1-13 jkT; ou vuqla/kku lLFkku] tcyiqj

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

1-13-1 eq[; xfrfof/k;k

वर्ष 2013–14 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–

- वन एवं वन्यप्राणी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26 (बी) का उन्नयन से पड़ने वाले प्रभावों का वनक्षेत्र 48.489 हेक्ट. पूर्व छिंदवाड़ा तथा वनक्षेत्र 16.849 हेक्ट. नरसिंहपुर वनमण्डल में पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन।
- मध्यप्रदेश में आर्थिक महत्व के वृक्ष प्रजाति धावड़ा, बीजा, आचार के बीमारियों के एकीकृत प्रबंधन।
- मध्यप्रदेश के वनक्षेत्रों में साल वनों के मृत्यु के कारणों को ज्ञात कर निदान की विधियों पर अध्ययन।
- महत्वपूर्ण आर्थिक, लघुवनोपज तथा औषधीय गुणों वाले वानिकी वृक्ष प्रजातियों के विकसित बीज तकनीक, नर्सरी तथा रोपण तकनीक का प्रलेख्यीकरण।
- कुनो–पालपुर वन्यप्राणी अभ्यारण, मध्यप्रदेश के सतत् अजीविका आधारित प्रबंध योजना का निर्माण।
- मध्यप्रदेश में प्राकृतिक गोंद तथा राल प्रदाय करने वाले वृक्षों का एथनों–बॉटीनीकल जानकारी का प्रलेख्यीकरण।

- मध्यप्रदेश में प्रमुख गोंदों के संग्रहण के आंकडों का संकलन एवं प्राथमिक संग्राहकों पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
- मध्यप्रदेश के मालवा ईको क्षेत्र में स्थानीय जनजातिय समुदाय के पारम्परिक ज्ञान का प्रलेख्यीकरण।
- चार दुर्लभ संकटापन्न तथा लुप्तप्राय प्रजातियों का अनुवांशिक विविधता मूल्यांकन हेतु मॉलीकूलर करेक्टराईजेशन, कीमोप्रोफाईलिंग तथा माईक्रो प्रोपगेशन तथा क्रायोप्रिजरवेशन तथा प्रोटोकॉल का मानकीकरण।

1-13-2 vuqla/kku ifj;kstukvksa dh izxfr

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 39 परियोजनाऐं एवं 16 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं तथा 15 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गई।

1-13-3 vuqJo.k vkj eY;kdu

संस्थान द्वारा निम्न अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य लिये गये हैं –

- मध्यप्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध वन संसाधनों का आंकलन।
- वन विकास अभिकरणों के माध्यम से वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 कराये गये कार्यों का मूल्यांकन।

1-13-4 izf'k{k.k dk;ZØe

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें से मुख्य कार्यशालायें निम्नानुसार हैः–

- उमरिया तथा टीकमगढ़ जिला के स्थानीय तथा वन विभाग के क्षेत्रीय अमले को पलाश के गोंद की विदोहन की तकनीक पर प्रशिक्षण।
- म.प्र. में साल बोरर से साल वनों की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- जैव प्रौद्योगिकी एवं ऊतक संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1-13-5 izdk'ku rFkk vU; xfrfof/k;k

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेश' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया जाता है।

1-13-6 lLFkku }kjk iznRr lsok,a &

संस्थान द्वारा विभिन्न अनुसंधान सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इनमें से मुख्यतः निम्नानुसार हैः–

- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary processing) भंडारण, ऊतक संवर्धन (Tissue culture), बीज तकनीक, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण।
- बीज प्रमाणीकरण।
- मृदा विश्लेषण।
- उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।

———————

Hkkx &2

ctV fogaxkoyksdu

2-1 vk;kstuk O;;

वर्ष 2010 से 2015 तक व्यय निम्नानुसार है:–

rkfydk Øekad 2-1

jkT; ;kstukvksa dk fooj.k ¼jkf'k yk[k #0 esa½

Ø-	;kstuk dk uke	foRrh; o"kZ					fjekdZ
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	
		O;;	O;;	O;;	O;;	O;;	
1	प्रशासन सुदृढ़ीकरण	500.60	1179.28	2727.59	3134.07	2046.41	
2	वानिकी विस्तार	707.63	817.96	997.43	2222.97	1667.26	
3	कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन	18524.14	22170.44	24954.33	26880.37	32388.24	
4	वन विकास उपकर निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	12487.37	6235.62	
5	वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	91.20	96.43	0.00	0.00	0.00	योजना समाप्त
6	कर्मचारी कल्याण	99.89	100.00	249.89	297.78	224.24	
7	रोपणियों में पौधा तैयारी	1458.42	1800.00	3409.10	3909.50	4632.18	
8	वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	1237.72	2592.92	4998.64	7679.38	3570.04	
9	ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा	0.00	86.78	6079.68	16660.66	18000.00	
11	अध्ययन एवं अनुसंधान	69.97	80.00	299.39	203.77	125.49	
12	वानिकी अनुरक्षण एवं विकास (13वो वित्त आयोग)	0.00	0.00	3064.93	3060.39	1298.41	
13	ओंकारेश्वर निधि से व्यय	498.27	500.00	294.04	0.00	0.00	योजना समाप्त
14	ईको टूरिज्म बोर्ड को अनुदान	100.00	150.00	150.00	800.00	800.00	
15	संरक्षित क्षेत्रा के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	392.85	986.55	1028.31	755.91	
16	बुन्देलखण्ड पैकेज	5791.48	4863.00	0.00	944.60	1587.90	
18	जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना	0.00	25.00	553.72	967.35	992.49	
19	वन्यप्राणी द्वारा फसल हानि का मुआवजा	21.31	41.19	45.46	0.00	0.00	योजना समाप्त
20	सेटेलाइट इमेजरी	0.00	0.00	1600.00	37.91	0.00	
21	नर्सरी अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	1611.00	0.00	
23	कुटीर उद्योग नेटवर्क का प्रसार					0.00	
24	राष्ट्रीय संसाधनों एवं ईको सिस्टम का संरक्षण					0.00	
25	अभिनव योजना					0.00	
26	किसान लक्ष्मी योजना					0.00	
27	हरियाली चुनरी					0.00	
28	राज्य बास मिशन	0.00	0.00	0.00	50.00	731.10	
	;ksx%	29198-73	34895-85	50410-75	81975-43	75055-29	

rkfydk Øekad 2-2
dUnz iofrZr ;kstukvksa dk fooj.k

¼yk[k #i;s esa½

Ø-	;kstuk dk uke		2010&2011	2011&2012	2012&2013	2013&2014	2014&2015	
			0;;	0;;	0;;	0;;	ikoa/kku	0;;
1	वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	राज्यांश	907.31	994.17	2919.88	1312.23	1600.00	687.00
		केन्द्रांश	3844.82	5430.13	6700.19	5611.40	15080.66	4000.51
2	राष्ट्रीयउद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	राज्यांश	20.70	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		केन्द्रांश	579.50	511.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3	गहन वन प्रबंधन	राज्यांश	300.31	308.19	295.89	246.77	400.00	44.47
		केन्द्रांश	900.93	924.57	887.67	740.30	0.00	0.00
;ksx %&		राज्यांश	1236.01	1312.39	3215.77	1559.00	2000.00	731.47
		केन्द्रांश	5325.25	6866.42	7587.86	6351.70	15080.66	4000.51
jkT;k'k"k ;ksx			**30434.74**	**36208.24**	**53626.52**	**83534.43**	**120080.17**	**77301.32**

rkfydk Øekad 2-3
dUnz {ks=h; ;kstuk,a

¼jkf'k yk[k #i;s esa½

;kstuk dk uke	2010&11		2011&12		2012&13		2013&14		2014&15		fjekdZ
	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;	
1. लघु वनोपज संघ को अनुदान	262.00	262.00	400.00	400.00	305.00	305.00	300.00	0.00	300.00	0.00	स्वीकृति अप्राप्त
2. राष्ट्रीय वनीकरण योजना									5500.00	1514.56	
3. आयुष सहित औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय मिशन									104.00	0.00	
;ksx	262-00	262-00	400-00	400-00	305-00	305-00	300-00	0-00	5904-00	1514-56	

2-2 vk;kstusÙkj 0;; ,oa jktLo

आयोजनेत्तर वार्षिक आवंटन एवं व्यय तथा सकल राजस्व का विवरण निम्नानुसार हैः–

rkfydk Øekad 2-4
vk;kstusÙkj 0;;

¼jkf'k yk[k :0 esa½

en	2011&12		2012&13		2013&14		2014&15 ¼ekg uoEcj rd dk 0;;½	
	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;
वेतन एवं भत्ते	54102.75	50292.88	61780.19	54275.22	67208.86	61202.96	77430.42	45036.54
मजदूरी	6941.68	6776.48	7511.83	7853.32	9082.62	8709.47	10016.48	5672.44
कार्यालय व्यय	2077.71	1880.35	2627.88	2127.32	2690.62	2264.78	2732.90	1306.43
अनुरक्षण कार्य	170.06	152.06	197.95	190.15	256.18	212.18	277.10	117.67
भवनों / सड़कों का रखरखाव	1640.00	1564.48	2150.00	2148.56	3850.00	3768.63	3135.00	656.73
इमारती लकड़ी, बांस, खैर	14365.02	11686.38	14715.18	12582.70	14853.33	14671.96	15930.80	7234.51
अनुग्रह / अनुदान	506.51	456.36	471.51	465.00	606.51	485.85	582.01	6.40
गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति पुरस्कार	410.02	405.66	485ण60	460.99	613.90	472.27	616.00	312.24
लाभांश	3700.00	2894.60	3960.00	3955.01	4500.00	4445.24	5000.00	1063.20
कर एवं रायल्टी	8400.85	8338.75	9134.51	8908.49	10191.24	9780.87	11530.00	6631.45
विज्ञापन, सामग्री पूर्तियां एवं अन्य	931.18	841.02	560.96	427.42	1894.73	1716.30	2042.41	1093.17
भारित मद (डिक्रीधन)	53.00	49.32	60.00	53.01	60.00	38.25	70.00	64.40

वन विकास निधि में अंतरण	1200.00	0.00	11638.56	11638.57	4375.69	0.00	7500.00	0.00
;ksx	94498-78	85338-34	115294-17	105085-76	120183-69	107768-77	136863-12	69195-18

rkfydk Øekad 2-5
dj] djsRrj] ldy jktLo

¼jkf'k djksM+ :i;s esa½

Ø-	jktLo ,oa O;;	2012&13	2013&14	2014&15 ¼ekg uoEcj 14 rd½
1	कर राजस्व	157.31	149.20	108.32
2	करेत्तर राजस्व	832.35	955.62	623.86
	;ksx ¼1$2½	989-66	1104-82	732-18
3	वानिकी से सकल राजस्व	989.66	1104.82	732.18
4	राजस्व लेखे पर व्यय वानिकी में (आयोजनेत्तर)	1050.86	1077.69	691.95

rkfydk Øekad 2-6
ctV 'kh"kZ 0406 & okfudh vkSj oU; thou
enokj jktLo

¼jkf'k yk[kksa esa½

jktLo ctV 'kh"kZ	¼o"kZ 2012&13½		¼o"kZ 2013&14½		¼o"kZ 2014&15½	
	iwoZ/kku	jktLo izkfIr;k	iwoZ/kku	jktLo izkfIr;k	iwoZ/kku	jktLo izkfIr;k
(101) लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री						
(0180) शासकीय अभिकरण द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उपज	1793.86	1130.22	2055.47	1485.42	2055.47	848.56
(0189) उपभोक्ता अथवा क्रेताओं द्वारा वन से हटाई गई इमारती लकड़ी	1411.66	1104.02	1617.53	844.11	1617.53	799.35
(102) सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां	217.00	248.96	248.65	143.05	248.65	114.58
(201) तेन्दू पत्ते के व्यापार से प्राप्तियां	12.88	20.04	14.76	21.20	14.76	12.43
(202) छोटी वन उपज का राजकीय व्यापार	0	3.31	0	2.48	0	1.05
(203) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	73803.89	74094.77	84530.26	83069.93	88903.82	59792.01
(204) बांस का राजकीय व्यापार	1585.71	3892.42	1816.95	4538.81	1831.71	4252.80
205–साल बीज का राजकीय व्यापार	0	0.03	0	0	0	0.02
(206) खैर का राजकीय व्यापार	10.00	33.44	11.47	12.83	11.47	9.78
(800) अन्य प्राप्तियां	17197.00	11588.32	19704.91	15437.53	21348.59	3439.35
योग मुख्य शीर्ष – 0406	96046.04	92115.53	110000.00	105555.36	116032	69269.93
0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, वैट कर, वन विकास उपकर से प्राप्तियॉं	3968.00	6850.69	3968.00	4926.37	3968.00	3948.33
egk;ksx&	100000-00	98966-22	113968-00	110481-73	120000-00	73218-26

——————

Hkkx&3

;kstuk,¡

3-1 dk;Z vk;kstukvksa dk fØ;kUo;u

विभाग में 10 वर्षो की कार्य आयोजना तैयार कर वनों का प्रबंधन किया जाता है। योजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण भी किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियॉ एवं सघन वनों में पुनरूत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जलाऊ रोपण भी किया जाता है। इस हेतु कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वन विकास उपकर निधि से व्यय योजना के अन्तर्गत बजट में प्रावधान कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत कार्यवृत्तों को आगामी वर्ष में निम्नानुसार समूहों में विभक्त किया गया हैः—

1. संरक्षण समूह— इस समूह के अन्तर्गत संरक्षण कार्यवृत्त, जैव विविधता कार्यवृत्त एवं नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के कार्यवृत्त सम्मिलित किये जावेंगे।
2. पुनर्स्थापना समूह— इस समूह के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यवृत्त, बिगड़े वनों का सुधार एवं जलाऊ एवं चारागाह कार्यवृत्त सम्मिलित किये जावेंगे।
3. अतिव्यापी कार्यवृत्त— इस कार्यवृत्त के अन्तर्गत बांस अतिव्यापी, सलई अतिव्यापी, कुल्ल अतिव्यापी, खैर अतिव्यापी एवं करधई अतिव्यापी कार्यवृत्त सम्मिलित किये जावेगे। पुनरूत्पादन समूह को आयोजेन्नेत्तर मद में हस्तांरित किया गया है।

विगत वर्षो में कराये गये कार्यो हेतु भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शित है :—

rkfydk Øekad 3-1

dk;Zo`Rr lewgokj dk;ksZa dh HkkSfrd ,oa vkfFkZd miyfC/k

¼{ks=Qy gSDVs;j esa @ jkf'k yk[k #i;s esa½

o"kZ	dk;Zo`Rr	y{;		miyfC/k	
		HkkSfrd	vkfFkZd	HkkSfrd	vkfFkZd
2010—11	समस्त समूह	343770	19034.10	343770	18524.14
2011—12	समस्त समूह	361730	22161.29	361730	22170.44
2012—13	संरक्षण समूह	19679	24967.98	19679	24954.33
	पुनरूत्पादन समूह	179946		179946	
	पुनर्स्थापना समूह	183742		183742	
2013—14	संरक्षण समूह	18284	39424.88	18284	39367.74
	पुनरूत्पादन समूह	159806		159806	
	पुनर्स्थापना समूह	166838		166838	
2014—15	संरक्षण समूह	18284	52327.19	12799	32388.24
	पुनरूत्पादन समूह	161056		112739	
	पुनर्स्थापना समूह	181936		127355	

विगत पांच वर्षों में योजनान्तर्गत रोपण का कार्य किया गया, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 3.2 में दर्शित है :—

rkfydk Øekad 3-2

;kstukUrxZr o"kZokj jksi.k

jksi.k o"kZ	{ks= gSDVs;j esa
2010—11	16000.00
2011—12	28867.31
2012—13	18919.48
2013—14	25642.05
2014—15	56930.49

3-2 ou v/kkslajpuk dk lqn`<hdj.k

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वॉटर तथा नयी सड़कों एवं पुल, पुलिया का निर्माण कराया जाता है। वन प्रबंध हेतु अन्य अधोसंरचना विकास जैसे, संचार टॉवर, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि भी स्थापित किये जाते है। विभिन्न वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्व हुये व्यय की जानकारी तालिका क्रमांक 3.3 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad 3-3

ou v/kkslajpuk lqn`<hdj.k dk;ksZa dk fooj.k

(राशि लाख रुपये में)

o"kZ	y{;		miyfC/k	
	HkkSfrd	vkfFkZd	HkkSfrd	vkfFkZd
2010–11	160 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 277 आंशिक भवन निर्माण	1095.00	160 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 277 आंशिक भवन निर्माण किये	1237.72
2011–12	277 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वॉटर	2600.00	277 आंशिक भवन पूर्ण तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वॉटर प्रगति पर	2592.92
2012–13	141 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वॉटर	5000.00	141 आंशिक भवन पूर्ण तथा 592 भवन, 16 लाईन क्वॉटर कार्य प्रगति पर	4998.64
2013–14	961 भवन निर्माण कार्य	7700.00	पूर्ण	7679.38
2014–15	606 भवन निर्माण कार्य	8000.00	प्रगति पर	3570.04

3-3 fons'kh lgk;rk izkIr ;kstuk,a@ ifj;kstuk,a

;w-,u-Mh-ih- & th-bZ-,Q ifj;kstuk

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के अनुदान से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से मध्य प्रदेश वन विभाग एक परियोजना ''म.प्र.एकीकृत भूमि एवं पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन'' का निष्पादन कर रहा है।

- परियोजना की लागत रूपये 26.00 करोड़ तथा अवधि 05 वर्ष के लिए (2010 से 2015) है।
- परियोजना प्रदेश के 05 जिलों बैतूल, छिन्दवाडा, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया जिलों के नौ वन मण्डलों में क्रियान्वित है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भूमि क्षरण को कम करना है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:–

3-3-1 fcxMs ckal ouksa dk lq/kkj dk;Z%&

- परियोजना के इस घटक के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना जिले में कुल परियोजना अवधि में परियोजना जिलों के 09 वन मण्डलों में 14500 हेक्टयर बिगडे बांस वन क्षेत्र में कार्य कराया गया है, जिससे लगभग 789 परिवार लाभान्वित हुए है।
- प्रति हितग्राही परिवार को वनों के सवंर्धन एवं संरक्षण के लिये रूपये 3500/– प्रतिमाह का मानदेय उपलब्ध कराया गया है।

3-3-2 ÅtkZ ,oa pkjk jksi.k dk;Z%&

- परियोजना क्षेत्र के 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ऊर्जा एवं चारा रोपण का कार्य कराया गया है।

3-3-3 vk"k/kh; itkfr;k dk o{kkjki.k %&

- वर्ष 2014 में लगभग 3 लाख औषधीय पौधे वितरित किये जा चुके है।

3-3-4 ty xg.k {k= dk ic/ku %&

- यह कार्य कुल 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है।

3-3-5 dk'ky mUu;u ,o l{e y?k m|e dh LFkkiuk%&

- 35 गावों में लगभग 400 व्यक्तियों को कौशल उन्नयन कर, चिन्दी से रस्सी निर्माण, सिलाई, टसर धागाकरण, अगरबत्ती निर्माण आदि के उद्यम स्थापित किये।

3-3-6 df"k ,o i'kikyu %&

- 100 लघु कृषकों को बायोडायनामिक कृषि एवं पशुपालन, मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाकर गतिविधियॉ प्रारंभ की गई। परियोजना के अन्तर्गत 01 जनवरी 2014 से नवम्बर 2014 तक रूपये 3,84,83,595/—राशि व्यय की गई है।

—————

Hkkx&pkj

4-1 iqjLdkj

1- 'kghn vejrk nsoh fo'uksbZ iqjLdkj %& शहीद अमृता देवी विश्नोई वृक्ष रक्षा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 सितम्बर को आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर वनों की रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिया जाता है 1. संस्थागत, 2. व्यक्तिगत (अशासकीय) तथा 3. व्यक्तिगत (शासकीय)।

- lLFkkxr iqjLdkjksa के अंतर्गत वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था (ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समितियां एवं अशासकीय स्वयं संवी संस्था) को रूपये 1.00 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।
- O;fDrxr ¼v'kkldh;½ के अंतर्गत वन रक्षा एवं वन संवर्धन तथा वन्यप्राणियों की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को रूपये 50.00 हजार नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।
- O;fDrxr ¼'kkldh;½ के अंतर्गत वन रक्षा एवं वन संवर्धन तथा वन्यप्राणियों की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवक को रूपये 50.00 हजार नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।

2- clkeu ekek Lefr oU; ik.kh lqj{k.k iqjLdkj %& मध्य प्रदेश शासन द्वारा बसामन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निम्न दो श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की गई है :–

- fo/; {ks= gsrq iqjLdkj & यह पुरस्कार विन्ध्य क्षेत्र में वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं वन संवर्धन के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट कार्य एवं उल्लेखनीय योगदान के लिये शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में रूपये 2.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में रूपये 1. 00 लाख तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में रूपये 50 हजार दिये जायेंगे।
- jkT; Lrjh; iqjLdkj & निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में रूपये 2.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में रूपये 1.00 लाख तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में रूपये 50 हजार दिये जायेंगे।

3- oU; ik.kh iq:Ldkj %& वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में वन्यप्राणी संरक्षण पुरूस्कार संस्थापित किये गये हैं। इस पुरूस्कार के अंतर्गत उप वनसंरक्षक/ सहायक वन संरक्षक स्तर के लिये 01, वनक्षेत्रपाल स्तर के लिये 01 तथा उप–वनक्षेत्रपाल वनपाल/ वनरक्षक स्तर के लिये 04 पुरूस्कारो का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुरूस्कार की राशि 50 हजार रूपये हैं। पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन हेतु शासन द्वारा प्रमुख सचिव, वन की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठित है जिसमें 06 अधिकारी और 06 अशासकीय सदस्य हैं।

वन्यप्राणियों की सुरक्षा, अनुश्रवण एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उपपरिवर्णित तीन वर्गों में कुल 11 लोगों को वर्ष 2014 के पुरस्कार हेतु प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन किया गया। चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन्यप्राणी सप्ताह के समापन कार्यक्रम के दौरान दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को पुरस्कृत किया गया। पुरूस्कार प्राप्तकर्ता अधिकारियों/ कर्मचारियों में 02 वनमण्डलाधिकारी, 02 सहायक वन संरक्षक, 01 वन क्षेत्रपाल, 01 उप वन क्षेत्रपाल, एवं 05 वनरक्षक शामिल है।

4-2- vfHkuo ;k tuk

4-2-1 LFkkuh; :i l foyqIrik;% i tkfr;k dk iquokl

- ck?k iquokl dk;Øe & पन्ना टाइगर रिजर्व से विलुप्त हो चुके बाघों का पुनर्वास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित है। यहां बाघों की संख्या शून्य हो गई थी जो अब बढ़कर 26 हो गयी है। पुनर्वास कार्यक्रम का द्वितीय चरण अभी प्रचलित है।
- ckjgflxk iquokl dk;Øe & कान्हा में पाये जाने वाली विशेष बारहसिंगा उप प्रजाति विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती तथा यह आवश्यक है कि इस प्रजाति को अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाये ताकि किसी प्राकृतिक आपदा या बीमारी से यह प्रजाति नष्ट न हो जाये। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा के स्थानांतरण की अनुमति प्राप्त हुई थी जिसके पश्चात जनवरी 2015 में 7 बारहसिंगा कान्हा टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित कर वन विहार स्थित कंजर्वेशन ब्रीडिंग इन्क्लोजर में विमुक्त किये जा चुके है। बारहसिंगा को मार्च 2015 में 8–8 की संख्या में दो शिफ्टों में कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया है।
- flg iquokl dk;Øe & एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु गुजरात के गिर अभयारण्य से सिंहों के पुनर्स्थापन की अनुमति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दिनांक 15.04.2013 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। भारत सरकार द्वारा इस कार्ययोजना पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत सिंह पुनर्स्थापन की प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। इसके अनुसार पुनर्स्थापन का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
- vU; itkfr;k dk iquokl dk;Øe & कान्हा टाइगर रिजर्व में कृष्णमृग पुनर्स्थापन का कार्य किया जा चुका है। इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से रातापानी अभयारण्य, रालामण्डल अभयारण्य एवं इन्दौर स्थित चिड़ियाघर में चीतलों का पुनर्स्थापन किया गया है।
- lruk ftys e fpfM+;k?kj ,o jsLD;w lsVj dh LFkkiuk & सतना जिले के मुकुन्दपुर में सफेद बाघ सफारी, चिड़ियाघर, रेस्क्यू केन्द्र व ब्रीडिंग केन्द्र की स्थापना केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की अनुमति अनुसार प्रचलित है।
- oU;izk.kh vxhdj.k ;k tuk & वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 1 जनवरी 2009 से वन्यप्राणियों के प्रति जन सामान्य के मन में जागरूकता पैदा करने हेतु वन्यप्राणी अंगीकरण योजना प्रचलित है। दिनांक 08.10.2014 तक इस योजना के अंतर्गत रू. 32,47,380 की राशि प्राप्त हो चुकी है।

4-2-2 dkcZu ¶yDl Vkoj dh LFkkiuk %&

पृथ्वी के वातावरण में CO_2 एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में निरंतर वृद्धि वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय है । इस वृद्धि के फलस्वरुप होने वाले मौसम परिवर्तन से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने एवं ध्रुव क्षेत्रों पर जमे हिमखंड पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मध्यप्रदेश वन विभाग की प्रोजेक्ट शाखा द्वारा पूर्व से संचालित परिस्थितिकीय सेवाओं एवं वनों के माध्यम से मौसम परिवर्तन के अध्ययन के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश की चौथी कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना बैतूल जिले के पश्चिम बैतूल वनमंडल में की गई है।

इस कार्बन फ्लक्स टॉवर का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण का कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के करकमलों से दि. 31.01.2012 को संपन्न हुआ। इस टॉवर में लगे उपकरण से वनों द्वारा वातावरण से कार्बन डाईऑक्साइड के अवशोषण की दर एवं अन्य वैज्ञानिक आंकड़ों का संकलन सतत् रूप से किया जा रहा है, जो कि वनों के माध्यम से प्राप्त होने वाली कार्बन क्रेडिट्स की गणना में सहायक होगी। मध्यप्रदेश में द्वितीय एवं देश में

छठवीं कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किये जाने हेतु इसरो द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

4-2-3 vU; ;kstuk,¡ %&

¼i½ vkS"k/kh; ikS/kk dk lao/kZu & राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (Natoinal Medicinal Plant Board) से प्राप्त रूपये 8.66 करोड़ की वित्तीय सहायता से औषधीय पौधों के संवर्द्धन, विकास एवं संवहनीय प्रबंधन आधारित आजीविका परियोजना स्वीकृत कराई गई। इस योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों/लघु वनोपज का संग्रहण समिति स्तर पर किया जाकर उसके प्राथमिक प्रसंस्करण तथा मूल्य वृद्धि के कार्य परिक्षेत्र स्तर पर स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र में किये जावेंगे। प्रसंस्कृत वनोपज को बाजार में बेचने से ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी। इस योजना के अन्तर्गत 35 प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सेडमैप द्वारा लघुवनोपज एवं औषधीय पौधों के विदोहन हेतु समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिसम्बर 2014 तक लगभग 3500 सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

¼ii½ xhu bf.M;k fe'ku & भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पूरे देश में पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्र को वन आच्छादित करने तथा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्रों में वन संवर्धन करने हेतु Þxhu bfM;k fe'kuÞ प्रारंभ किया गया है।

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सागर, बढ़वानी, शिवपुरी एवं होशंगाबाद वनमण्डलों के अंतर्गत 70 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में नर्सरी स्थापना, सर्वेक्षण एवं माइक्रोप्लान बनाने, आस्थामूलक एवं मृदा एवं जल संरक्षण कार्य क्रियान्वयन हेतु रू. 8.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध राशि रू. 6.61 करोड़ माह सितम्बर 2014 की स्थिति में व्यय की जा चुकी है। ßxhu bf.M;k fe'kuÞ के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2015–16 से क्रियान्वित किया जायेगा।

4-2-4 vU; mYys[kuh; dk;Z %&

efgyk l'kfDrdj.k & वन विभाग की नीतियों व योजनाओं में महिलाओं को उपयुक्त स्थान दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य की महिला नीति का पालन किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा मुख्यालय में महिलाओं के लिए मध्यान्ह भोजन कक्ष की तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में कार्यालय में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है तथा कार्यालय में विषय से संबंधित शिकायत पेटी स्थापित है। इसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई है।

विभाग में वन रक्षकों के पद पर भरती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विभाग में चल रहे क्षेत्रीय कार्यों के लिए श्रमिकों के नियोजन में भी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समान ही पारिश्रमिक दिया जाता है।

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत भी महिलाओं को महत्व प्रदान किया गया है। प्रदेश में गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त वन समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों में से एक पद पर महिला की नियुक्ति अनिवार्य की गई है तथा प्रदेश की समस्त वन समितियों में से एक तिहाई समितियों में अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गए हैं।

विभाग द्वारा संचालित संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत म.प्र. शासन के संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 की कंडिका–6–3 के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समिति में 33 प्रतिशत महिला सदस्य रखे गये हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित है।

म0प्र0 ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा चिन्हांकित ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को पारंपरिक एवं अभिनव शिल्प कला जैसे पेपर मैशे, बांस एवं लकड़ी आधारित शिल्प आदि का प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत देलावाड़ी

के स्व सहायता समूहों की 10 महिलाओं को पेपर मैशे मास्क तैयार करने का प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा दिलाया गया। अगस्त 2011 में देश में प्रथम बार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 13 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 1 माह का गाइड प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं से रोस्टर आधार पर कार्य लिया जा रहा है तथा इसका फीडबैक संतोषजनक है।

प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत गठित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संचालक मंडल में कुल 15 सदस्यों मे से 11 निर्वाचित संचालक रहते है, जिसमे से 02 महिला संचालक का होना अनिवार्य किया गया है। जिला वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मंडल में कुल 16 सदस्य होते है, जिसमें से 10 निर्वाचित होते है। इनमें भी 02 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में नियुक्त फड़ मुंशियों में से यथा–संभव 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त करने के निर्देश भी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिये गये है ।

4-2-5 ykd lsok xkjaVh vf/kfu;e %&

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिकों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों एवं गतिविधियों से संबंधित विभिन्न जन सेवाओं को समय–सीमा में उपलब्ध कराये जाने हेतु ''मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010'' लागू किया गया है।

म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत वन विभाग से संबंधित निम्नलिखित सेवायें सम्मिलित की गई है। संबंधित सेवाओं के नाम, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारियों की सूची एवं सेवा उपलब्ध कराये जाने की समय–सीमा तालिका क्रमांक 4.1 में दर्शित है।

rkfydk Øekd 4-1
ykd lsok xkjaVh ;kstuk

lsok Øa	lsok;sa	inkfHkfgr vf/kdkjh dk inuke	lsok inku djus dh fuf'pr le;&lhek	izFke vihy vf/kdkjh dk uke	izFke vihy dk fujkdj.k dh fuf'pr dh xbZ le;&lhek	f}rh; vihy ikf/kdkjh dk inuke
10.1	वन्यप्राणियों से जनहानि हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.2	वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	7 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.3	वन्यप्राणियों से पशु हानि हेतु राशि का भुगतान	परिक्षेत्राधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडल अधिकारी/ संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/ सहायक संचालक	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ संरक्षित क्षेत्र के संचालक
10.4	मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान । 1. डिपों में काष्ठ प्राप्त होने के उपरान्त भुगतान के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	45 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
	2. पृथक लाट के विकल्प की दशा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण	वनमंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वन संरक्षक	30 कार्य दिवस	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
10.5	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना	1. शासकीय काष्ठागार हेतु कष्ठागार अधिकारी/ परिक्षत्राधिकारी	3 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		2. काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/ विनिर्माता हेतु परिक्षेत्राधिकारी	10 कार्य दिवस	उप वन मंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी
		3. भूमि स्वामी से प्राप्त काष्ठ हेतु उप वन मंडलाधिकारी	30 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी	15 कार्य दिवस	वनमंडलाधिकारी

विभाग द्वारा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन ऑन लाईन होने के परिणाम स्वरूप इसका सतत् अनुश्रवण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सेवा प्रदाय की स्थिति तालिका क्रमांक 4.2 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 4-2

ykd lsok xkjUVh vf/kfu;e lsok iznk; dh fLFkfr

¼o"kZ 2014 dh fLFkfr esa½

iklr vkonu i=ksa dh la[;k	le; lhek esa fujkd`r vkonu i=			le; lhek esa vfujkd`r vkonu i=			yafcr vkonu i= dh la[;k					
	lsok miyC/k djkbZ xbZ	lsok vekU; dj nh xbZ	;ksx	lsok miyC/k djkbZ xbZ	lsok vekU; dj nh xbZ	;ksx	le; lhek ckg;	ftudh le; lhek i.kZ gksxh				;ksx
								vkt	2 fnu esa	3 fnu esa	3 fnu ds ckn	
24754	24361	223	24584	112	06	118	0	0	0	0	52	52

4-3 egRoiw.kZ lkaf[;dh

ouksa dk {ks=Qy

मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल राजस्व आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े तालिका क्रमांक 4.3 से 4.4 में दर्शित है।

rkfydk Øekad 4-3

ns'k dh rqyuk esa e/; izns'k ds ou

¼oxZ fd-eh-½

	HkkSxksfyd {ks=	ou{ks=	izfr'kr ou{ks=
Hkkjr	32,87,263	7,71,821	23.48
e/; izns'k	3,08,245	94,689	30.72

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013)

rkfydk Øekad 4-4

izns'k ds ou{ks=ksa dh oS/kkfud fLFkfr

¼oxZ fd-eh-½

oxhZdj.k	{ks=Qy	izfr'kr
आरक्षित वन	61,886	65.36
संरक्षित वन	31,098	32.84
अन्य	1,705	1.80
;ksx	94]689	100-00

(स्त्रोत–स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013)

भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यवरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में विगत पॉच वर्षों के वनावरण की स्थिति की तालिका क्रमांक 4.5 में दर्शित है :–

rkfydk Øekad 4-5

izns'k ds ouksa dk ?kuRo&okj {ks=Qy

¼oxZ fd-eh-½

ouksa dk izdkj	izfrosnu o"kZ		
	2009	2011	2013
अति सघन वन	6647	6640	6632
सामान्य सघन वन	35007	34986	34921
खुले वन	36046	36074	35969
;ksx	77700	77700	77522
(खुला रिक्त क्षेत्र) *	16989	16989	17167

*रिक्त खुला क्षेत्र– ऐसे वन जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है। (स्त्रोत : स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट)

प्रतिवेदन के आधार पर प्रदेश में वनों के प्रकार तथा क्षेत्रफल की जानकारी तालिका क्रमांक 4.6 में दर्शित है :–

rkfyd Øekd 4-6
in'k d ouk d idkj vkj {k=Qy

(वर्ग कि.मी.)

lajpuk	{k=Qy	ifr'kr
सागौन	18,332	19.36
साल	3,932	4.15
मिश्रित एंव अन्य	55436	58.49
रिक्त (खुला क्षेत्र)	16989	18.00
;kx	94,689	100.00

(बांस वनक्षेत्र 13059 वर्ग कि0मी0 अतिव्यापी क्षेत्र)

&&&&&

Hkkx& ikp

foHkkx }kjk fudkys tk jgs izdk'ku

विभाग द्वारा कोई प्रकाशन नही निकाले जा रहें हैं।

&&&&&

Hkkx& N%
ifjf'k"V

ifjf'k"V & 1

{k=h; bdkbZ;ksa dk fooj.k

bdkbZ;ksa dk i:dkj	l[;k	bdkbZ;k
क्षेत्रीय वन वृत्त	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।
अनुसंधान एवं विस्तार	11	बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर, एवं सिवनी।
क्षेत्रीय वनमंडल	(व.सं.स्तर के) 18	भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर, छतरपुर, दमोह, देवास, गुना, खण्डवा, नरसिंहपुर, सतना, शिवपुरी विदिशा, टीकमगढ़, डिण्डौरी, उमरिया, कटनी
	(व.म.अ.स्तर के) 45 कुल 63	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, रायसेन, राजगढ़, ओब्दुल्लागंज, उत्तर पन्ना , दक्षिण पन्ना,पूर्व छिन्दवाड़ा पश्चिम छिन्दवाड़ा, दक्षिण छिन्दवाड़ा, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, धार, झाबुआ,पश्चिम मण्डला,पूर्व मण्डला, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा, रीवा, सिंगरौली, सीधी, उत्तर सागर, दक्षिण सागर,दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी,उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, अनूपपुर, अशोक नगर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर एवं अलीराजपुर
उत्पादन वनमंडल एवम् विक्रय इकाई	13	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, बैतूल, रायसेन, छिंदवाड़ा, मण्डला, डिण्डौरी, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, देवास, खण्डवा, हरदा एवं विक्रय वनमण्डल, नई दिल्ली।
वन विद्यालय/वन प्रशिक्षण संस्थान	9	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट, वन विद्यालयशिवपुरी अमरकंटक / बैतूल/ गोविंदगढ़/ झाबुआ, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (सिवनी), इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी, जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया)।

ifjf'k"V & 2

{k=h; bdkb;ksa dh fofHkUu inksa dh mRrjnkf;Ro ,oa drZO;

Ø-	inuke	mRrjnkf;Ro ,oa drZO;
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (क्षेत्रीय) – भोपाल, जबलपुर तथा इंदौर	क्षेत्राधिकार अंतर्गत पुनरीक्षित की जा रहीं कार्य आयोजनाओं में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
2	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त	वन वृत्त के अंतर्गत वनों का कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन कार्यों तथा वन संरक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण।
3	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)	क्षेत्रीय वन मण्डलों तथा जन सामान्य द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपणों हेतु स्थापित उच्च तकनीक रोपणियों के माध्यम से उत्कृष्ट गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराना।
4	वन संरक्षक, कार्य आयोजना	वन वृत्त के अंतर्गत आने वाले वन मंडलों की कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण।
5	वन मण्डल अधिकारी	वनों का कार्यआयोजना के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण, वन वर्द्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठ, बांस तथा जलाऊ का व्यावसायिक निर्वतन, निस्तार आपूर्ति, लघु वनोपज का संवहनीय संग्रहण एवं विपणन तथा वन ग्रामों का प्रबंधन।
6	उप वन मण्डल अधिकारी	वन मण्डल अधिकारी के उपरोक्त समस्त कार्यों में क्षेत्रीय स्तर से सहयोग तथा समस्त क्षेत्रीय कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।
7	वन परिक्षेत्र अधिकारी	कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण, विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन।
8	परिक्षेत्र सहायक (उप वन क्षेत्रपाल / वनपाल)	क्षेत्रांतर्गत समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का तकनीकी पर्यवेक्षण, वन अपराध प्रकरणों की जांच एवं न्यायालयीन कार्यवाही, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण।
9	परिसर रक्षक (बीट गार्ड)	क्षेत्रांतर्गत समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन, वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु सघन वन गस्ती तथा वैधानिक कार्यवाहियां।

xSj okfudh mi;ksx gsrq 0;iofrZr ou Hkwfe izdj.k

o"kZ	fLkpkbZ	fo|qr	[kfut	fofo/k	;ksx	0;iofrZr ou Hkwfe ¼gDV;j½
1980	—	—	—	—	—	—
1981	—	—	—	—	—	—
1982	—	—	2	1	3	7.919
1983	5	3	9	2	19	851.504
1984	6	5	1	0	12	1456.003
1985	14	3	1	3	21	6721.568
1986	4	1	2	4	11	1530.611
1987	5	5	4	3	17	48412.55
1988	5	2	3	5	15	1205.314
1989	13	12	3	8	36	7821.781
1990	21	9	6	6	42	14961.953
1991	1	2	9	3	15	309.642
1992	19	1	15	6	41	732.405
1993	8	3	6	1	18	17218.696
1994	6	25	14	4	49	3091.931
1995	7	19	14	7	47	4013.253
1996	4	32	5	1	42	739.100
1997	6	24	16	4	50	10581.638
1998	1	16	7	1	25	573.612
1999	7	4	18	1	30	1634.440
2000	2	5	9	9	25	335.936
2001	3	1	3	3	10	655.822
2002	7	3	11	8	29	1635.998
2003	10	4	3	4	21	351.098
2004	1	2	1	1	5	6040.102
2005	3	11	4	6	24	1425.069
2006	3	8	2	10	23	1090.954
2007	1	11	11	13	36	755.938
2008	5	3	9	9	26	1011.543
2009	5	13	5	20	43	1615.514
2010	4	3	7	16	30	2025.926
2011	8	6	4	17	35	1132.361
2012	8	8	7	13	36	2302.641
2013	4	12	4	13	33	1241.732
;ksx	196	256	215	202	869	143484-554

ifjf'k"V & 4

Hkkjr ljdkj ls vafre Lohd`fr izkIr egRoiw.kZ izdj.k & o"kZ 2014&15

Ø-	ifj;kstuk dk uke	Lohd`fr fnukad	oueaMy	0;iofrZr ou Hkwfe ¼gs-eh-½
1	2	3	4	5
1	महुअर मध्यम सिंचाई परियोजना	5.6.2014	शिवपुरी	340.846
2	दतुनी सिंचाई परियोजना	3.5.2014	देवास	268.390
3	पवई जलाशय	9.10.2014	दक्षिण पन्ना	238.360
4	765 के.व्ही. विन्ध्याचल पुलिंग स्टेशन से सतना सर्किट–2 हेतु विद्युत लाईन का निर्माण	12.31.2014	सतना / उ.शहडोल / कटनी सिंगरौली	204.356
5	सड़क चौड़ीकरण म.प्र. राज्य सड़क विकास प्राधिकरण	2.18.2014	सतना / उत्तर पन्ना	38.397
6	महान कोल ब्लॉक –	2.12.2014	सिंगरौली	967.650
7	765 के.व्ही. बीना–ग्वालियर–3 सिंगल सर्किट विद्युत पारेषण लाईन	3.2.2014	शिवपुरी / ग्वालियर / अशोकनगर	80.317
8	सेमरी जलाशय	2.28.2014	रायसेन	92.550
9	ओझरनाला जलाशय	2.21.2014	धार	108.000
10	बान सुजारा जलाशय	9.18.2014	छतरपुर / टीकमगढ़	57.490
11	765 के.व्ही. विन्ध्याचल पुलिंग स्टेशन से सतना सर्किट –2 विद्युत पारेषण लाईन निर्माण	12.31.2014	सतना / उ.शहडोल / सिंगरौली / कटनी	204.356
12	55.2 मेगावाट विण्ड फार्म का निर्माण	12.22.2014	मंदसौर	95.3825

ifjf'k"V & 5

dEik en l oU; tho lj{k.k ,o ,u-ih-0gh- en d dk;k gr vkofVr jkf'k dk fooj.k

(राशि लाख रूपये में)

Ø-	dk;Z dk fooj.k	o"kZ 2010&11	o"kZ 2011&12	o"kZ 2012&13	o"kZ 2013&14	o"kZ 2014&15	;kx
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन		100.00	176.12			276.12
2	सूचना प्रौद्योगिकी	53.40	29.92	25.00			108.32
3	अनुसंधान एवं विस्तार	161.05	40.75				201.80
4	मानव संसाधन विकास	24.66	24.95		0.40	0.66	50.67
5	हाई इनपुट सागौन रोपण		400.00	1900.00	1279.46		3579.46
6	विस्थापन		1470.00	120.00			1590.00
7	बांस रोपण		20.00	20.00			40.00
8	वाहनों का क्रय		277.78		63.00	74.93	415.71
9	भू–प्रबन्ध शाखा का सुदृढ़ीकरण		0.17	33.98		1.47	35.62
10	वन्यप्राणी प्रयोगशाला की स्थापना				100.00		100.00
11	विदोहन कार्य			5.00			5.00
12	लेखा संधारण (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा)					0.01	0.01
;kx							6402-71

ifjf'k"V & 6

oRrokj] ou e.Myokj] o"kZokj vo/k dVkbZ ds ntZ izdj.k

Ø-	oRRk	ou e.My	2010	2011	2012	2013	2014
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	1389	1363	1383	1300	1251
		दक्षिण बालाघाट	1491	1539	1644	1541	2706
		;kx	2880	2902	3027	2841	3957
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	1035	952	897	920	965
		उत्तर बैतूल	1700	1533	1670	1401	1425
		दक्षिण बैतूल	1464	1584	1424	1252	1460
		;kx	4199	4069	3991	3573	3850
3	भोपाल	विदिशा	963	955	920	971	1245
		भोपाल	449	343	376	287	242
		रायसेन	11	2811	2491	2210	1969
		राजगढ़	1839	21	23	26	21
		सीहोर	1574	1390	1483	1323	1513
		औबेदुल्लागंज	1075	1195	1111	1043	1024
		;kx	5911	6715	6404	5860	6014
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	571	536	746	695	378
		दक्षिण पन्ना	821	863	1175	1132	1189
		छतरपुर	994	964	954	1089	1033
		टीकमगढ़	283	325	302	354	247
		;kx	2669	2688	3177	3270	2847
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	1593	1863	1643	1641	1474
		पूर्व छिंदवाड़ा	1722	2310	2000	1927	1570
		दक्षिण छिंदवाड़ा	1244	1471	1358	1276	1175
		;kx	4559	5644	5001	4844	4219
6	ग्वालियर	श्योपुर	1301	1091	1051	1374	1256
		मुरैना	136	80	116	126	89
		भिण्ड	14	45	29	20	28
		दतिया	41	32	103	102	99
		ग्वालियर	333	304	8	225	310
		;kx	1825	1552	1307	1847	1782
7	होशंगाबाद	हरदा	761	846	874	795	692
		होशंगाबाद	1585	1553	1777	1357	1026
		;kx	2346	2399	2651	2152	1718
8	इंदौर	धार	197	210	201	191	261
		झाबुआ	178	105	102	99	85
		इंदौर	937	810	775	871	669
		अलीराजपुर	161	301	315	193	214
		;kx	1473	1426	1393	1354	1229
9	जबलपुर	कटनी	564	808	831	842	612
		डिण्डौरी	1662	1661	1661	1601	1304
		पश्चिम मण्डला	1072	1250	1288	1251	1243
		पूर्व मण्डला	1074	1054	970	928	964
		जबलपुर	861	712	681	671	615
		;kx	5233	5485	5431	5293	4738
10	खण्डवा	खण्डवा	2083	2026	2166	1957	1865
		खरगौन	91	76	74	118	225
		बडवाह	598	646	701	710	642
		बडवानी	6	8	3	4	11
		बुरहानपुर	946	925	707	1192	1336
		सेंधवा	231	165	51	17	12
		;kx	3955	3846	3702	3998	4091
11	रीवा	सिंगरौली	470	499	611	817	628
		रीवा	58	89	90	57	94

		सीधी	502	351	505	506	578
		सतना		266	535	493	16
		;kx	1030	1205	1741	1873	1316
12	सागर	उत्तर सागर	872	1100	0	717	1024
		दमोह	1637	1466	1428	1608	1434
		दक्षिण सागर	1526	1429	1426	1410	1091
		नौरादेही	1341	1317	1239	1291	1240
		;kx	5376	5312	4093	5026	4789
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	1047	1307	1170	1260	977
		दक्षिण सिवनी	1474	1455	1479	1414	971
		नरसिंहपुर	1193	1207	1077	1150	1020
		;kx	3714	3969	3726	3824	2968
14	शहडोल	उमरिया	1171	1293	1312	663	610
		उत्तर शहडोल	1413	1354	1167	907	875
		दक्षिण शहडोल	703	720	806	585	667
		अनूपपुर	624	661	767	624	687
		;kx	3911	4028	4052	2779	2839
15	शिवपुरी	शिवपुरी	267	366	490	524	522
		अशोकनगर	52	133	60	39	21
		गुना	489	525	650	654	605
		;kx	808	1024	1200	1217	1148
16	उज्जैन	शाजापुर	1	0	1	0	3
		मंदसौर	28	44	28	33	57
		रतलाम	53	44	60	63	114
		उज्जैन	0	0	0	0	0
		देवास	2047	2217	2517	2727	2923
		नीमच	129	170	137	117	95
		;kx	2258	2475	2743	2940	3192
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया		16	17	240	250
		;kx	0	16	17	240	250
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	607	606	702	664	620
		;kx	607	606	702	664	620
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर					64
		;kx	0	0	0	0	64
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	61	55	109	59	20
		;kx	61	55	109	59	20
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर		108	113	224	334
		;kx	0	108	113	224	334
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	7	8	1	0	407
		;kx	7	8	1	0	407
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	15	32	21	10	2
		;kx	15	32	21	10	2
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	90	58	32	123	219
		;kx	90	58	32	123	219
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
		egk;kx	52927	55699	54634	54011	52613

oueMyokj vo/k pjkbZ ds ntZ izdj.k

Ø-	oRRk	ou e.My	2010	2011	2012	2013	2014
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	0	0	1	0	0
		दक्षिण बालाघाट	5	0	2	7	7
		;kx	5	0	3	7	7
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	17	6	4	17	7
		उत्तर बैतूल	4	1	5	2	7
		दक्षिण बैतूल	7	15	9	5	5
		;kx	28	22	18	24	19
3	भोपाल	विदिशा	11	9	5	7	8
		भोपाल	4	7	6	2	12
		रायसेन	4	4	7	5	2
		राजगढ़	2	2	8	7	2
		सीहोर	12	10	4	3	1
		औबेदुल्लागंज	15	15	3	0	2
		;kx	48	47	33	24	27
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	2	0	1	0	0
		दक्षिण पन्ना	1	2	0	0	3
		छतरपुर	2	11	6	3	0
		टीकमगढ़	2	6	4	3	4
		;kx	7	19	11	6	7
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	32	33	50	32	10
		पूर्व छिंदवाड़ा	14	8	0	2	0
		दक्षिण छिंदवाड़ा	4	5	0	2	0
		;kx	50	46	50	36	10
6	ग्वालियर	श्योपुर	91	61	56	54	43
		मुरैना	2	1	1	7	8
		भिण्ड	0	0	0	0	1
		दतिया	5	5	0	16	1
		ग्वालियर	9	14	15	4	2
		;kx	107	81	72	81	55
7	होशंगाबाद	हरदा	16	26	18	26	8
		होशंगाबाद	18	21	16	3	6
		;kx	34	47	34	29	14
8	इंदौर	धार	10	11	9	11	7
		झाबुआ	7	5	24	12	12
		इंदौर	8	11	20	24	5
		अलीराजपुर	1	0	3	3	9
		;kx	26	27	56	50	33
9	जबलपुर	कटनी	1	2	0	2	0
		डिण्डौरी	13	7	25	19	19
		पश्चिम मण्डला	6	1	30	4	10
		पूर्व मण्डला	11	6	16	16	10
		जबलपुर	1	1	4	0	0
		;kx	32	17	75	41	39
10	खण्डवा	खण्डवा	33	21	30	40	37
		खरगौन	32	13	12	21	11
		बडवाह	19	8	25	17	12
		बडवानी	1	0	0	0	0
		बुरहानपुर	64	50	51	24	48
		सेंधवा	1	1	0	1	0
		;kx	150	93	118	103	108
11	रीवा	सिंगरौली	17	36	25	16	10
		रीवा	9	6	1	3	2

		सीधी	8	24	7	34	22
		सतना		4	1	5	0
		;kx	34	70	34	58	34
12	सागर	उत्तर सागर	29	20	0	7	
		दमोह	3	9	8	3	10
		दक्षिण सागर	35	32	23	10	17
		नौरादेही	4	8	5	6	7
		;kx	71	69	36	26	34
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	11	22	8	11	11
		दक्षिण सिवनी	14	16	11	5	2
		नरसिंहपुर	7	0	3	3	0
		;kx	32	38	22	19	13
14	शहडोल	उमरिया	3	0	0	0	0
		उत्तर शहडोल	6	6	2	5	6
		दक्षिण शहडोल	14	13	18	6	17
		अनूपपुर	7	2	2	7	2
		;kx	30	21	22	18	25
15	शिवपुरी	शिवपुरी	4	9	7	10	6
		अशोकनगर	7	4	1	0	0
		गुना	9	1	4	5	0
		;kx	20	14	12	15	6
16	उज्जैन	शाजापुर	0	0	0	2	3
		मंदसौर	44	62	61	72	120
		रतलाम	14	164	124	59	22
		उज्जैन	0	0	0	1	0
		देवास	16	26	15	29	20
		नीमच	137	107	71	109	118
		;kx	211	359	271	272	283
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया		9	1	11	1
		;kx	0	9	1	11	1
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	3	10	1	12	8
		;kx	3	10	1	12	8
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर						14
		;kx	0	0	0	0	14
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	46	44	12	45	10
		;kx	46	44	12	45	10
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर		266	222	124	128
		;kx	0	266	222	124	128
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	2	3	0	0	0
		;kx	2	3	0	0	0
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	58	23	9	12	2
		;kx	58	23	9	12	2
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
		egk;kx	994	1325	1112	1013	877

ifjf'k"V & 8

oueMyokj vo/k ifjogu dk nt izdj.k

Ø-	oRRk	ou e.My	2010	2011	2012	2013	2014
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	10	9	6	8	14
		दक्षिण बालाघाट	67	37	40	74	68
		;kx	77	46	46	82	82
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	4	2	5	2	4
		उत्तर बैतूल	44	22	29	15	6
		दक्षिण बैतूल	3	10	14	9	9
		;kx	51	34	48	26	19
3	भोपाल	विदिशा	38	28	46	45	87
		भोपाल	15	21	24	19	28
		रायसेन	9	15	12	4	3
		राजगढ़	10	27	30	23	21
		सीहोर	58	60	62	65	101
		औबेदुल्लागंज	28	30	22	27	32
		;kx	158	181	196	183	272
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	75	86	116	70	28
		दक्षिण पन्ना	14	10	15	16	18
		छतरपुर	54	33	42	106	69
		टीकमगढ़	6	16	15	53	81
		;kx	149	145	188	245	196
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	2	13	8	18	9
		पूर्व छिंदवाड़ा	3	16	8	11	19
		दक्षिण छिंदवाड़ा	4	5	2	1	5
		;kx	9	34	18	30	33
6	ग्वालियर	श्योपुर	18	10	18	15	21
		मुरैना	9	4	7	4	50
		भिण्ड	12	20	9	15	4
		दतिया	10	10	10	20	12
		ग्वालियर	38	25	19	23	33
		;kx	87	69	63	77	120
7	होशंगाबाद	हरदा	45	26	19	17	18
		होशंगाबाद	167	185	172	123	80
		;kx	212	211	191	140	98
8	इंदौर	धार	69	59	30	29	16
		झाबुआ	2	5	0	2	4
		इंदौर	30	22	10	20	19
		अलीराजपुर	10	6	8	9	12
		;kx	111	92	48	60	51
9	जबलपुर	कटनी	18	7	19	4	1
		डिण्डौरी	6	4	2	9	7
		पश्चिम मण्डला	5	9	7	11	10
		पूर्व मण्डला	4	4	6	3	5
		जबलपुर	19	17	12	16	18
		;kx	52	41	46	43	41
10	खण्डवा	खण्डवा	35	36	46	21	19
		खरगौन	277	212	196	200	94
		बडवाह	23	5	24	11	11
		बडवानी	2	3	1	0	0
		बुरहानपुर	52	27	21	39	35
		सेंधवा	133	105	64	32	79
		;kx	522	388	352	303	238
11	रीवा	सिंगरौली	33	31	58	50	56

		रीवा	46	40	49	25	60
		सीधी	15	10	18	27	18
		सतना		53	106	103	13
		;kx	94	134	231	205	147
12	सागर	उत्तर सागर	86	95	0	61	0
		दमोह	23	46	46	59	50
		दक्षिण सागर	16	25	23	24	35
		नौरादेही	53	50	29	20	54
		;kx	178	216	98	164	139
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	10	27	17	12	75
		दक्षिण सिवनी	20	12	24	22	25
		नरसिंहपुर	139	87	120	91	61
		;kx	169	126	161	125	161
14	शहडोल	उमरिया	3	7	15	26	11
		उत्तर शहडोल	8	8	6	8	9
		दक्षिण शहडोल	15	3	12	15	7
		अनूपपुर	12	9	3	7	7
		;kx	38	27	36	56	34
15	शिवपुरी	शिवपुरी	179	166	134	156	199
		अशोकनगर	39	59	4	58	52
		गुना	234	130	127	122	109
		;kx	452	355	265	336	360
16	उज्जैन	शाजापुर	15	3	7	4	9
		मंदसौर	20	7	7	10	21
		रतलाम	31	12	3	11	7
		उज्जैन	9	1	1	5	9
		देवास	25	29	21	14	27
		नीमच	14	16	8	5	9
		;kx	114	68	47	49	82
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया		0	1	1	3
		;kx	0	0	1	1	3
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	2	1	4	3
		;kx	0	2	1	4	3
19	कुनो वन्यप्राणी व.मं. श्योपुर						14
		;kx	0	0	0	0	14
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	2	2	2	6	0
		;kx	2	2	2	6	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर		14	3	1	0
		;kx	0	14	3	1	0
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	3	1	3	0	9
		;kx	3	1	3	0	9
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	24	85	35	86	25
		;kx	24	85	35	86	25
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	23	11	3	17	10
		;kx	23	11	3	17	10
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वनविहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
		egk;kx	2525	2282	2082	2239	2137

ou e.Myokj e0i0 dk"B fpjku vf/kfu;e d mYYk?ku d idj.k

Ø-	oRRk	ou e.My	2010	2011	2012	2013	2014
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	0	0	0	0	0
		दक्षिण बालाघाट	2	5	0	0	0
		;kx	2	5	0	0	0
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	0	0	0	0	0
		उत्तर बैतूल	2	0	2	5	1
		दक्षिण बैतूल	0	1	0	1	0
		;kx	2	1	2	6	1
3	भोपाल	विदिशा	1	0	2	8	0
		भोपाल	7	9	0	0	0
		रायसेन	30	2	6	1	0
		राजगढ़	0	59	23	50	17
		सीहोर	6	7	2	0	3
		औबेदुल्लागंज	0	1	0	0	1
		;kx	44	78	33	59	21
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	1	0	1	0	0
		दक्षिण पन्ना	0	0	0	0	0
		छतरपुर	3	1	1	36	19
		टीकमगढ़	3	2	10	9	7
		;kx	7	3	12	45	26
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	0	0	0	0	1
		पूर्व छिंदवाड़ा	0	0	0	0	0
		दक्षिण छिंदवाड़ा	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	1
6	ग्वालियर	श्योपुर	4	1	3	2	0
		मुरैना	15	4	8	7	5
		भिण्ड	25	39	22	6	0
		दतिया	4	2	10	8	4
		ग्वालियर	3	21	22	2	2
		;kx	51	67	65	25	11
7	होशंगाबाद	हरदा	0	4	3	6	2
		होशंगाबाद	8	3	3	1	1
		;kx	8	7	6	7	3
8	इंदौर	धार	10	3	0	4	1
		झाबुआ	2	0	1	0	0
		इंदौर	23	1	0	0	2
		अलीराजपुर	0	0	0	0	0
		;kx	35	4	1	4	3
9	जबलपुर	कटनी	0	0	0	1	0
		डिण्डौरी	0	0	0	0	0
		पश्चिम मण्डला	0	0	0	0	0
		पूर्व मण्डला	0	0	0	0	0
		जबलपुर	4	1	0	1	1
		;kx	4	1	0	2	1
10	खण्डवा	खण्डवा	0	1	1	0	0
		खरगौन	26	4	13	0	0
		बडवाह	0	0	0	0	0
		बडवानी	0	0	0	0	0
		बुरहानपुर	0	0	1	0	0
		सेंधवा	1	0	0	0	0
		;kx	27	5	15	0	0
11	रीवा	सिंगरौली	0	0	0	0	0
		रीवा	8	10	4	7	1
		सीधी	6	1	2	0	0
		सतना		3	2	0	0
		;kx	14	14	8	7	1
12	सागर	उत्तर सागर	0	4	0	0	0
		दमोह	3	2	0	4	2
		दक्षिण सागर	1	0	3	0	0
		नौरादेही	0	0	0	0	0
		;kx	4	6	3	4	2
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	0	0	0	0	0
		दक्षिण सिवनी		1	0	0	0
		नरसिंहपुर		0	1	0	0

		;kx	0	1	1	0	0
14	शहडोल	उमरिया	0	0	0	0	0
		उत्तर शहडोल	1	0	0	0	0
		दक्षिण शहडोल	0	0	0	1	0
		अनूपपुर	0	3	1	1	0
		;kx	1	3	1	2	0
15	शिवपुरी	शिवपुरी	19	62	11	10	0
		अशोकनगर	5	2	0	0	15
		गुना	1	0	15	0	2
		;kx	25	64	26	10	17
16	उज्जैन	शाजापुर	123	54	74	62	43
		मंदसौर	18	22	1	4	7
		रतलाम	26	15	28	22	18
		उज्जैन	49	17	8	31	6
		देवास	22	3	3	5	2
		नीमच	24	15	14	10	14
		;kx	262	126	128	134	90
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया		0	0	3	0
		;kx	0	0	0	3	0
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर						0
		;kx	0	0	0	0	0
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर		0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	0	0	0	0	7
		;kx	0	0	0	0	7
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
		egk;kx	486	385	301	308	184

ifjf'k"V & 10

वन मण्डलवार अतिक्रमण के n t l प्रकरण

¼{k= gDV;j e½

Ø-	oRRk	ou e.My	2010		2011		2012		2013		2014	
			i<dj.k	vfrØfer	i<dj.k	vfrØfer	i<dj.k	vfrØfer	i<dj.k	vfrØfer	i<dj.k	vfrØfer
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	11	2	1	1	0	0	3	2	5	0
		दक्षिण बालाघाट	1	0	8	12	11	5	3	3	20	20
		;kx	12	2	9	13	11	5	6	5	25	20
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	78	43	20	23	15	29	7	3	30	45
		उत्तर बैतूल	1	0	97	11	1	0	62	66	1	0
		दक्षिण बैतूल	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
		;kx	79	43	117	34	17	29	69	69	32	45
3	भोपाल	विदिशा	51	38	30	18	54	25	149	92	367	238
		भोपाल	43	37	61	35	80	69	27	9	28	27
		रायसेन	2		31	20	6	2	2	1	10	8
		राजगढ़	41	51	8	0	2	0	3	100	5	0
		सीहोर	114	84	70	61	71	53	41	36	46	31
		औबेदुल्लागंज	41	15	41	20	43	85	32	21	30	10
		;kx	292	225	241	154	256	234	254	259	486	314
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	10	16	10	25	21	73	9	7	2	1
		दक्षिण पन्ना	21	44	12	23	17	51	10	24	12	5
		छतरपुर	9	39	10	14	14	7	32	74	42	57
		टीकमगढ़	17	29	6	6	23	14	16	20	10	1237
		;kx	57	128	38	68	75	145	67	125	66	1300
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पूर्व छिंदवाड़ा	10	8	4	2	4	10	0	0	3	3
		दक्षिण छिंदवाड़ा	0	0	4	15	10	5	1	1	53	78
		;kx	12	8	8	17	14	15	1	1	56	81
6	ग्वालियर	श्योपुर	88	456	48	79	54	96	6	7	15	60
		मुरैना	10	14	5	6	8	8	31	29	46	70
		भिण्ड	0	0	0	0	15	9	9	3	4	2
		दतिया	2	1	8	0	12	6	13	10	2	2
		ग्वालियर	409	143	54	74	11	123	74	51	78	1
		;kx	509	614	115	159	100	242	133	100	145	135
7	होशंगाबाद	हरदा	36	92	13	6	30	104	43	27	5	2
		होशंगाबाद	2	8	1	0	0	0	0	0	1	3
		;kx	38	100	14	6	30	104	43	27	6	5
8	इंदौर	धार	34	26	39	31	39	27	42	27	49	40
		झाबुआ	6	6	1	2	1	0	1	2	12	2
		इंदौर	61	60	58	26	79	55	27	18	2	8
		अलीराजपुर	0	0	2	2	24	20	19	9	2	6
		;kx	101	92	100	61	143	102	89	56	65	56
9	जबलपुर	कटनी	0	0	2	1	4	10	5	22	3	5
		डिण्डौरी	71	27	126	209	18	42	3	1	5	2
		पश्चिम मण्डला	1	0	17	6	1	0	0	0	0	0
		पूर्व मण्डला	0	0	2	3	6	26	7	3	2	1
		जबलपुर	1	0	13	18	5	12	3	15	1	0
		;kx	73	27	160	237	34	90	18	41	11	8
10	खण्डवा	खण्डवा	1	0	0	0	5	0	6	14	4	1

		खरगौन	3	0	3	0	3	2	133	7	4	0
		बडवाह	0	0	6	27	9	3	12	11	42	16
		बडवानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बुरहानपुर	11	25	20	33	32	104	119	2053	104	143
		सेंधवा	1	1	8	15	2	1	4	8	1	0
		;kx	16	26	37	75	51	110	274	2093	155	160
11	रीवा	सिंगरौली	28	19	54	63	133	114	194	87	119	42
		रीवा	5	1	8	0	11	7	17	17	8	17
		सीधी	17	6	12	0	28	7	29	10	9	4
		सतना			91	224	118	519	110	120	4	0
		;kx	50	26	165	287	290	647	350	234	140	63
12	सागर	उत्तर सागर	91	227	63	177	0	0	47	104	35	65
		दमोह	123	502	57	74	91	62	28	50	57	39
		दक्षिण सागर	29	58	13	30	46	40	42	13	5	5
		नौरादेही	1	0	2	4	7	35	2	44	5	36
		;kx	244	787	135	285	144	137	119	211	102	145
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	12	1	9	9	6	7	10	11	8	33
		दक्षिण सिवनी			0	0	0	0	0	0	0	0
		नरसिंहपुर	4	7	0	0	3	10	1	0	1	2
		;kx	16	8	9	9	9	17	11	11	9	35
14	शहडोल	उमरिया	68	113	12	28	6	2	2	2	6	5
		उ.शहडोल	10	28	27	30	40	68	13	14	30	23
		द. शहडोल	35	36	49	198	45	11	12	2	19	6
		अनूपपुर	14	10	37	16	13	2	10	1	42	61
		;kx	127	187	125	272	104	83	37	19	97	95
15	शिवपुरी	शिवपुरी	18	18	29	117	11	16	33	140	12	519
		अशोकनगर	37	104	47	86	28	124	7	7	14	7
		गुना		77	44	47	1036	2854	138	261	42	45
		;kx	55	199	120	250	1075	2994	178	408	68	571
16	उज्जैन	शाजापुर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		मंदसौर	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
		रतलाम	0	0	2	0	0	0	0	0	3	16
		उज्जैन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		देवास	45	58	25	24	44	43	43	14	83	61
		नीमच	5	4	2	1	1	0	2	1	4	7
		;kx	50	62	30	27	45	43	46	15	90	84
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया			0	0	0	0	0	0	3	1
		;kx	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर		0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
		;kx	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर			8	0	2	0	0	0	5	10
		;kx	0	0	8	0	2	0	0	0	5	10
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	सजंय टाईगर रिजर्व	सजंय टाईगर रिजर्व	43	158	23	56	11	0	2	5	4	3

	सीधी	सीधी										
		;kx	43	158	23	56	11	0	2	5	4	3
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		;kx	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		महायोग	1774	2692	1479	2010	2411	4997	1699	3679	1573	3140

ifjf'k"V & 11

वन मण्डलवार vo/k mR[kuu dk ntZ izdj.k

{k=Qy ¼gDVs;j½

Ø-	oRRk	ou e.My	2010		2011		2012		2013		2014	
			izdj.k	mR[kfur	izdj.k	mR[kfur	izdj.k	mR[kfur	izdj.k	mR[kfur	izdj.k	mR[kfur
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	5	9.00	4	0.5	6	17.13	2	1.8	0	0.00
		दक्षिण बालाघाट	15	17.91	6	0.0	16	0.79	8	1.305	7	0.01
		;kx	20	26-91	10	0-5	22	17-91	10	3-105	7	0-01
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	15	2.10	3	0.1	1	1.00	4	0	1	0.00
		उत्तर बैतूल	8	0.00	12	1.0	7	0.75	3	0	5	0.00
		दक्षिण बैतूल	5	4.71	3	0.0	1	0.00	0	0	0	0.00
		;kx	28	6-81	18	1-0	9	1-75	7	0	6	0-00
3	भोपाल	विदिशा	7	0.31	25	0.4	48	1.15	66	1.01	53	0.00
		भोपाल	3	0.02	4	0.6	2	0.66	4	2.897	1	0.01
		रायसेन	2	0.00	32	3.5	15	0.35	22	0	22	5.80
		राजगढ़	49	1.87	5	0.0	3	0.00	0	0	2	0.41
		सीहोर	9	0.41	10	970.3	5	3.50	6	1.911	8	0.01
		औबेदुल्लागंज	14	0.00	9	0.2	5	498.75	4	0.085	2	2.38
		;kx	84	2-61	85	975-1	78	504-41	102	5-903	88	8-60
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	26	38.60	39	3.9	39	9.75	56	8.714	16	0.45
		दक्षिण पन्ना	40	103.20	10	0.0	23	0.02	15	0.419	12	0.60
		छतरपुर	19	0.03	13	0.2	20	0.32	27	0.021	22	9.76
		टीकमगढ़	2	1.48	9	18.5	26	1.62	14	2.446	23	1.22
		;kx	87	143-30	71	22-7	108	11-71	112	11-6	73	12-04
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	4	0.00	12	8.0	8	0.00	7	0.012	5	0.01
		पूर्व छिंदवाड़ा	0	0.00	3	0.0	3	0.00	4	2.1	3	4.50
		दक्षिण छिंदवाड़ा	0	0.00	0	0.0	4	0.00	0	0	0	0.00
		;kx	4	0-00	15	8-0	15	0-00	11	2-112	8	4-51
6	ग्वालियर	श्योपुर	25	7.24	4	0.0	26	6.75	16	0.517	16	0.22
		मुरैना	55	2.25	31	0.0	38	0.00	121	0.4	46	7.71
		भिण्ड	1	0.00	2	0.0	2	0.00	0	0	0	0.00
		दतिया	0	0.00	7	0.0	11	0.00	8	0.325	15	6.00
		ग्वालियर	428	6.23	340	0.0	13	14.00	423	8.904	409	5.58
		;kx	509	15-73	384	0-0	90	20-75	568	10-146	486	19-51
7	होशंगाबाद	हरदा	4	0.00	4	0.0	4	3.52	2	3.519	4	46.40
		होशंगाबाद	2	1.75	4	0.5	8	1.28	2	3.8	1	0.00
		;kx	6	1-75	8	0-5	12	4-79	4	7-319	5	46-40
8	इंदौर	धार	6	1.50	15	7.7	14	1.20	4	0.05	3	0.10
		झाबुआ	0	0.00	0	0.0	1	0.00	2	0.64	3	0.20
		इंदौर	5	30.39	3	0.0	1	0.00	3	0.1	1	0.20
		अलीराजपुर	1		0	0.0	1	0.00	0	0	1	1.50
		;kx	12	31-89	18	7-7	17	1-20	9	0-79	8	2-00
9	जबलपुर	कटनी	0	0.00	3	0.0	3	0.03	0	0	0	0.00
		डिण्डौरी	18	19.15	4	2066.6	2	0.96	0	0	5	0.00

		पश्चिम मण्डला	0	0.00	0	0.0	4	0.02	0	0	2	0.00
		पूर्व मण्डला	1	0.04	3	1.0	0	0.00	3	150	1	0.38
		जबलपुर	3	0.00	7	0.0	10	0.80	4	0.006	1	0.00
		;kx	22	19-19	17	2067-6	19	1-81	7	150-006	9	0-38
10	खण्डवा	खण्डवा	7	2.00	6	0.0	7	30.00	10	2	14	3.27
		खरगौन	7	502.20	29	1036.0	40	0.55	23	3.326	49	7.01
		बडवाह	0	0.00	2	0.3	3	0.08	4	0.074	4	16.50
		बडवानी	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00
		बुरहानपुर	7	0.00	1	0.0	5	3.00	0	0	4	3.60
		सेंधवा	4	1.54	7	1.5	0	0.00	1	0.06	3	0.10
		;kx	25	505-74	45	1037-8	55	33-63	38	5-46	74	30-48
11	रीवा	सिंगरौली	15	0.18	13	2.2	11	0.13	12	1.028	21	0.04
		रीवा	24	0.88	9	0.0	6	0.00	11	0.002	2	0.23
		सीधी	7	260.33	5	1.1	12	23.19	11	3.541	5	0.07
		सतना			110	7.1	79	174.52	26	41.051	3	0.02
		;kx	46	261-39	137	10-4	108	197-84	60	45-622	31	0-36
12	सागर	उत्तर सागर	13	35.85	30	1.9	0	0.00	18	0.002	12	2.35
		दमोह	37	2.85	56	4.4	70	1.31	86	0.573	75	12.46
		दक्षिण सागर	9	0.02	12	0.0	14	618.16	13	2.019	8	0.00
		नौरादेही	0	0.00	2	0.0	0	0.00	3	0	5	1.00
		;kx	59	38-72	100	6-3	84	619-47	120	2-594	100	15-81
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	2	0.50	8	8.0	0	0.00	1	0.03	2	0.04
		दक्षिण सिवनी			1	1.0	0	0.00	2		1	0.05
		नरसिंहपुर	1	0.08	0	0.0	1	1.50	0	0	2	0.00
		;kx	3	0-58	9	9-0	1	1-50	3	0-03	5	0-09
14	शहडोल	उमरिया	5	0.02	4	0.0	2	3.24	0	0	2	0.00
		उत्तर शहडोल	4	56.28	4	2.0	4	1.01	20	1.405	11	0.12
		दक्षिण शहडोल	12	0.00	8	0.0	10	215.30	17	11.794	12	0.00
		अनूपपुर	5	0.00	6	0.0	5	0.32	11	11.505	5	0.65
		;kx	26	56-30	22	2-0	21	219-88	48	24-704	30	0-77
15	शिवपुरी	शिवपुरी	111	0.00	10	16.2	77	3.11	89	0.25	156	5.44
		अशोकनगर	25	1.50	25	0.0	8	1450.00	13	0	9	26.00
		गुना	51	871.25	19	8.3	13	4.53	18	0.8	18	0.48
		;kx	187	872-75	54	24-5	98	1457-64	120	1-05	183	31-92
16	उज्जैन	शाजापुर	0	0.00	2	0.0	0	0.00	1	0	2	1.00
		मंदसौर	1	0.00	3	0.0	2	0.00	1	0.015	2	0.00
		रतलाम	2	0.00	1	0.0	1	0.00	3	0	16	477.00
		उज्जैन	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00
		देवास	10	4.00	0	0.0	2	0.57	13	1.645	17	1.00
		नीमच	2	0.25	2	0.0	1	0.00	1	0	8	4.00
		;kx	15	4-25	8	0-0	6	0-57	19	1-66	45	483-00
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया			0	0.0	1	12.00	2	0.003	1	0.01
		;kx	0	0-00	0	0-0	1	12-00	2	0-003	1	0-01
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	0.00	1	0.5	0	0.00	1	0	0	0.00
		;kx	0	0-00	1	0-5	0	0-00	1	0	0	0-00
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर										8	0.23
		;kx	0	0-00	0	0-0	0	0-00	0	0	8	0-23
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	0.00	0	0.0	5	0.00	9	5	7	0.00
		;kx	0	0-00	0	0-0	5	0-00	9	5	7	0-00
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर			0	0.0	0	0.00	4	0.25	2	1.00
		;kx	0	0-00	0	0-0	0	0-00	4	0-25	2	1-00
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0	1	1.00
		;kx	0	0-00	0	0-0	0	0-00	0	0	1	1-00
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	8	0.01	11	200.7	9	0.00	3	0.006	9	0.80
		;kx	8	0-01	11	200-7	9	0-00	3	0-006	9	0-80
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00
		;kx	0	0-00	0	0-0	0	0-00	0	0	0	0-00
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0.00	0	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00

		;kx	0	0-00	0	0-0	0	0-00	0	0	0	0-00
		egk;kx	1141	1987-92	1014	4374-4	758	3106-84	1257	277-36	1186	658-91

ifjf'k"V & 12

oueMyokj vfXu iHkkfor {k=

Ø	oRRk	ou e.My	2010	2011	2012	2013	2014
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	405	477	136	58	50
		दक्षिण बालाघाट	102	84	70	69	104
		;ksx	507	561	206	127	154
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	226	1033	598	12	3
		उत्तर बैतूल	1504	445	493	78	0
		दक्षिण बैतूल	325	91	724	70	30
		;ksx	2055	1569	1815	160	33
3	भोपाल	विदिशा	464	290	183	32	30
		भोपाल	210	134	121	67	17
		रायसेन	2	286	104	2	2
		राजगढ़	42	44	6	85	0
		सीहोर	603	395	283	36	84
		औबेदुल्लागंज	610	733	632	109	330
		;ksx	1931	1882	1329	331	463
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	350	756	296	190	9
		दक्षिण पन्ना	428	259	477	218	11
		छतरपुर	374	487	246	6	9
		टीकमगढ़	17	4	4	2	1
		;ksx	1169	1506	1023	416	30
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	203	245	164	16	14
		पूर्व छिंदवाड़ा	86	745	419	30	28
		दक्षिण छिंदवाड़ा	179	182	33	2	0
		;ksx	468	1172	616	48	42
6	ग्वालियर	श्योपुर	424	319	307	190	42
		मुरैना	31	124	107	12	4
		भिण्ड	0	0	0	19	0
		दतिया	36	11	59	3	38
		ग्वालियर	20	50	25	35	50
		;ksx	511	504	498	259	134
7	होशंगाबाद	हरदा	290	276	280	2	7
		होशंगाबाद	182	544	978	28	16
		;ksx	472	820	1258	30	23
8	इंदौर	धार	18	67	66	58	23
		झाबुआ	62	25	9	5	20
		इंदौर	14	182	171	77	4
		अलीराजपुर	0	60	43	46	0
		;ksx	94	334	289	186	47
9	जबलपुर	कटनी	608	198	127	36	14
		डिण्डौरी	493	451	60	49	44
		पश्चिम मण्डला	159	119	38		0
		पूर्व मण्डला	698	216	13	5	16
		जबलपुर	228	245	86	30	32
		;ksx	2186	1229	324	120	106
10	खण्डवा	खण्डवा	312	309	595	184	133
		खरगौन	11	35	56	48	62
		बडवाह	48	729	211	181	321
		बडवानी	0	0	0	0	12
		बुरहानपुर	324	761	180	295	435
		सेंधवा	0	0	0	2	12
		;ksx	695	1834	1042	710	975
11	रीवा	सिंगरौली	334	155	96	27	8
		रीवा	37	98	326	10	87

		सीधी	504	134	28	3	0
		सतना		5	8	59	0
		;kx	875	392	458	99	95
12	सागर	उत्तर सागर	94	753	0	34	39
		दमोह	252	164	422	71	48
		दक्षिण सागर	380	337	173	28	28
		नौरादेही	5445	504	521	60	110
		;kx	6171	1758	1116	193	225
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	98	181	1410	9	28
		दक्षिण सिवनी	137	200	63	19	17
		नरसिंहपुर	124	358	229	1	22
		;kx	359	739	1702	29	67
14	शहडोल	उमरिया	479	208	132	2	52
		उत्तर शहडोल	391	417	246	34	48
		दक्षिण शहडोल	150	136	106	16	3
		अनूपपुर	125	23	15	3	0
		;kx	1145	784	499	55	103
15	शिवपुरी	शिवपुरी	0	38	84	0	199
		अशोकनगर	197	166	86	11	1
		गुना	736	235	101	30	12
		;kx	933	439	271	41	212
16	उज्जैन	शाजापुर	0	0	0	0	0
		मंदसौर	4	20	3	41	0
		रतलाम	0	0	0	0	0
		उज्जैन	0	0	0	4	0
		देवास	287	894	597	158	59
		नीमच	60	113	68	34	2
		;kx	351	1027	668	237	61
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया		1912	207	164	33
		;kx	0	1912	207	164	33
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	1345	329	321	1554	399
		;kx	1345	329	321	1554	399
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर						104
		;kx	0	0	0	0	104
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	1009	34	144	5	0
		;kx	1009	34	144	5	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर		177	257	80	160
		;kx	0	177	257	80	160
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	39	0	38	0	1
		;kx	39	0	38	0	1
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	690	27	271	34	0
		;kx	690	27	271	34	0
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	21	26	72	14	23
		;kx	21	26	72	14	23
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
		egk;kx	23026	19055	14424	4892	3490

ifjf'k"V & 13

oueMyokj ntZ ou vijk/k izdj.k

Ø-	oRRk	ou e.My	2010	2011	2012	2013	2014
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	1519	1490	1452	1352	1315
		दक्षिण बालाघाट	1658	1680	1804	1707	2931
		;kx	3177	3170	3256	3059	4246
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	1184	1086	997	956	1012
		उत्तर बैतूल	1895	1763	1810	1512	1458
		दक्षिण बैतूल	1550	1661	1584	1280	1491
		;kx	4629	4510	4391	3748	3961
3	भोपाल	विदिशा	1172	1128	1132	1275	1797
		भोपाल	600	495	522	362	333
		रायसेन	65	3015	2610	2265	2015
		राजगढ़	1982	143	95	124	82
		सीहोर	1906	1684	1724	1461	1715
		औबेदुल्लागंज	1326	1478	1356	1159	1148
		;kx	7051	7943	7439	6646	7090
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	771	776	1021	919	441
		दक्षिण पन्ना	1034	979	1371	1242	1244
		छतरपुर	1176	1145	1120	1328	1215
		टीकमगढ़	321	371	385	457	382
		;kx	3302	3271	3897	3946	3282
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	1689	1997	1753	1712	1507
		पूर्व छिंदवाड़ा	1782	2489	2104	1972	1613
		दक्षिण छिंदवाड़ा	1296	1540	1403	1283	1234
		;kx	4767	6026	5260	4967	4354
6	ग्वालियर	श्योपुर	1609	1281	1290	1512	1370
		मुरैना	239	134	191	314	255
		भिण्ड	53	110	78	59	42
		दतिया	76	72	167	181	151
		ग्वालियर	1243	780	26	763	851
		;kx	3220	2377	1752	2829	2669
7	होशंगाबाद	हरदा	901	981	1032	896	771
		होशंगाबाद	1840	1864	2119	1507	1130
		;kx	2741	2845	3151	2403	1901
8	इंदौर	धार	336	353	305	295	342
		झाबुआ	198	125	132	119	118
		इंदौर	1087	946	905	962	713
		अलीराजपुर	176	322	360	233	252
		;kx	1797	1746	1702	1609	1425
9	जबलपुर	कटनी	688	885	943	900	640
		डिण्डौरी	1979	1963	1741	1654	1367
		पश्चिम मण्डला	1178	1341	1355	1275	1270
		पूर्व मण्डला	1215	1152	1010	965	993
		जबलपुर	955	809	751	715	662
		;kx	6015	6150	5800	5509	4932
10	खण्डवा	खण्डवा	2213	2189	2431	2085	1989
		खरगौन	441	352	350	503	397
		बडवाह	658	691	812	811	776
		बडवानी	10	11	4	4	12
		बुरहानपुर	1151	1173	932	1448	1616
		सेंधवा	373	286	121	57	102
		;kx	4846	4702	4650	4908	4892
11	रीवा	सिंगरौली	647	675	858	1112	853

		रीवा	173	176	201	143	190
		सीधी	624	443	614	631	648
		सतना	0	547	861	771	38
		;kx	1444	1841	2534	2657	1729
12	सागर	उत्तर सागर	1126	1374	0	870	1209
		दमोह	1898	1703	1775	1837	1656
		दक्षिण सागर	1683	1606	1596	1522	1172
		नौरादेही	1492	1470	1390	1344	1345
		;kx	6199	6153	4761	5573	5382
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	1128	1454	1289	1323	1089
		दक्षिण सिवनी	1568	1564	1569	1472	1021
		नरसिंहपुर	1388	1372	1272	1251	1094
		;kx	4084	4390	4130	4046	3204
14	शहडोल	उमरिया	1389	1388	1421	724	668
		उत्तर शहडोल	1519	1477	1262	986	960
		दक्षिण शहडोल	825	844	930	660	743
		अनूपपुर	690	740	824	673	760
		;kx	4423	4449	4437	3043	3131
15	शिवपुरी	शिवपुरी	626	662	746	828	1019
		अशोकनगर	185	287	124	122	114
		गुना	874	767	1870	952	791
		;kx	1685	1716	2740	1902	1924
16	उज्जैन	शाजापुर	143	59	84	74	62
		मंदसौर	114	149	112	124	208
		रतलाम	126	241	217	159	189
		उज्जैन	61	19	12	41	21
		देवास	2262	2492	2781	2898	3143
		नीमच	331	338	246	252	253
		;kx	3037	3298	3452	3548	3876
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया		85	53	280	277
		;kx	0	85	53	280	277
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	795	725	798	825	723
		;kx	795	725	798	825	723
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर						138
		;kx	0	0	0	0	138
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	259	130	148	134	56
		;kx	259	130	148	134	56
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	0	474	381	392	493
		;kx	0	474	381	392	493
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	25	19	15	0	435
		;kx	25	19	15	0	435
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	181	220	115	122	51
		;kx	181	220	115	122	51
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	120	84	48	147	240
		;kx	120	84	48	147	240
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
		egk;kx	63792	66514	64910	62293	60411

ifjf'k"V & 14

oueMyokj tIr okgukas dh la[;k

Ø-	oRRk	ou e.My	2010	2011	2012	2013	2014
1	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	10	9	5	6	12
		दक्षिण बालाघाट	93	42	61	109	89
		;kx	103	51	66	115	101
2	बैतूल	पश्चिम बैतूल	4	1	4	2	3
		उत्तर बैतूल	37	20	27	7	4
		दक्षिण बैतूल	4	10	14	10	11
		;kx	45	31	45	19	18
3	भोपाल	विदिशा	32	21	36	26	63
		भोपाल	10	21	16	21	25
		रायसेन	3	17	12	6	0
		राजगढ़	11	12	10	9	0
		सीहोर	50	69	47	69	105
		औबेदुल्लागंज	28	24	25	17	0
		;kx	134	164	146	148	193
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	9	13	35	15	10
		दक्षिण पन्ना	9	8	7	9	7
		छतरपुर	14	17	15	10	45
		टीकमगढ़	6	16	15	43	43
		;kx	38	54	72	77	105
5	छिंदवाड़ा	पश्चिम छिंदवाड़ा	2	8	8	18	9
		पूर्व छिंदवाड़ा	2	13	9	11	19
		दक्षिण छिंदवाड़ा	1	2	2	1	5
		;kx	5	23	19	30	33
6	ग्वालियर	श्योपुर	20	9	5	16	23
		मुरैना	6	4	7	4	48
		भिण्ड	12	20	9	0	4
		दतिया	10	8	8	16	11
		ग्वालियर	15	11	20	10	6
		;kx	63	52	49	46	92
7	होशंगाबाद	हरदा	24	28	14	6	20
		होशंगाबाद	31	13	48	20	12
		;kx	55	41	62	26	32
8	इंदौर	धार	10	51	24	6	4
		झाबुआ	2	3	0	2	2
		इंदौर	26	16	10	20	20
		अलीराजपुर	11	11	12	11	10
		;kx	49	81	46	39	36
9	जबलपुर	कटनी	8	7	19	4	1
		डिण्डौरी	6	4	2	9	7
		पश्चिम मण्डला	5	9	8	11	10
		पूर्व मण्डला	3	2	6	3	3
		जबलपुर	19	19	13	16	23
		;kx	41	41	48	43	44
10	खण्डवा	खण्डवा	26	24	40	21	18
		खरगौन	6	11	218	29	13
		बडवाह	9	0	11	3	4
		बडवानी	0	2	1	0	0
		बुरहानपुर	23	27	6	13	12
		सेंधवा	11	10	109	5	86
		;kx	75	74	385	71	133
11	रीवा	सिंगरौली	15	22	33	33	57
		रीवा	45	40	49	27	52
		सीधी	14	10	18	27	18

		सतना		28	57	38	11
		;kx	74	100	157	125	138
12	सागर	उत्तर सागर	4	5	0	4	21
		दमोह	14	18	18	34	26
		दक्षिण सागर	12	9	15	5	15
		नौरादेही	2	0	3	22	35
		;kx	32	32	36	65	97
13	सिवनी	उत्तर सिवनी	10	10	18	13	9
		दक्षिण सिवनी	20	12	24	22	25
		नरसिंहपुर	19	14	9	11	15
		;kx	49	36	51	46	49
14	शहडोल	उमरिया	3	10	14	26	10
		उत्तर शहडोल	7	6	7	8	8
		दक्षिण शहडोल	6	2	6	9	2
		अनूपपुर	14	5	3	5	4
		;kx	30	23	30	48	24
15	शिवपुरी	शिवपुरी	99	0	65	66	19
		अशोकनगर	6	51	63	0	10
		गुना	41	27	164	41	38
		;kx	146	78	292	107	67
16	उज्जैन	शाजापुर	14	2	6	0	9
		मंदसौर	12	2	7	5	8
		रतलाम	27	12	3	7	13
		उज्जैन	8	1	0	3	9
		देवास	26	31	21	14	29
		नीमच	14	13	5	5	8
		;kx	101	61	42	34	76
17	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया		0	1	1	3
		योग	0	0	1	1	3
18	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	0	0	1	2	3
		;kx	0	0	1	2	3
19	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर					1
		;kx	0	0	0	0	1
20	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	0	3	0	0	0
		;kx	0	3	0	0	0
21	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर		1	3	1	0
		;kx	0	1	3	1	0
22	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	3	0	3	0	8
		;kx	3	0	3	0	8
23	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	22	52	32	79	25
		;kx	22	52	32	79	25
24	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	2	3	6	4	17
		;kx	2	3	6	4	17
25	वन विहार रा.उ. भोपाल	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	0
		;kx	0	0	0	0	0
		egk;kx	1067	1001	1592	1126	1295

ifjf'k"V & 15

oRRkokj U;k;ky; e iLrqr idj.k

v0Ø0	oRRk	2010	2011	2012	2013	2014
1	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर			10	10	18
2	शहडोल	86	100	160	89	86
3	खण्डवा	92	103	89	174	154
4	इंदौर	153	193	203	124	134
5	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	23	28	24	23	37
6	बालाघाट	51	46	39	38	42
7	बैतूल	107	47	43	57	211
8	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	53	50	44	29	17
9	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	6	2	11	23	14
10	शिवपुरी	60	106	37	683	741
11	सिवनी	54	59	77	58	37
12	छिंदवाड़ा	47	89	153	50	27
13	होशंगाबाद	202	115	117	36	34
14	भोपाल	403	363	460	306	327
15	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	12	13	6	8	26
16	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर			23	57	49
17	रीवा	131	202	253	381	275
18	सागर	134	110	54	106	112
19	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	6	16	11	18	16
20	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	31		49	84	233
21	उज्जैन	25	51	22	166	217
22	छतरपुर	82	62	95	181	150
23	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	
24	जबलपुर	85	170	56	60	48
25	ग्वालियर	103	185	77	124	175
	;kx	**1946**	**2110**	**2113**	**2885**	**3180**

ifjf'k"V & 16

oRrokj ou vijk/k e: oly jkf'k

v0Ø0	oRRk	2010	2011	2012	2013	2014
1	कुनो वन्यप्राणी वन मंडल श्योपुर	0		107406	200793	215420
2	शहडोल	1023281	1409422	1730110	1753571	1437075
3	खण्डवा	413763	821536	1346340	1490998	1322802
4	इंदौर	861775	1246700	1057885	1648673	1266668
5	बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया	46817	0	0	29989	203962
6	बालाघाट	724214	606490	836294	629540	669944
7	बैतूल	849935	703318	1985627	2539122	3259648
8	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	134651	92437	153630	125771	131049
9	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी	140800	0	286250	394911	258365
10	शिवपुरी	1952532	2420207	2829219	3314847	3366468
11	सिवनी	1327841	2030755	2102843	3829450	0
12	छिंदवाड़ा	596475	1590072	1780338	1882308	1844324
13	होशंगाबाद	576318	1509982	1514849	1822793	622601
14	भोपाल	2973570	2560774	3019991	3754784	6590770
15	पेच टाईगर रिजर्व सिवनी	35387	46874	31916	35288	0
16	पन्ना टायगर रिजर्व छतरपुर	25044		228022	5214	0
17	रीवा	1081856	1946773	2759684	3392258	2917445
18	सागर	1274781	1400486	1143971	2134205	3491246
19	सतपुड़ा टायगर रिजर्व पचमढ़ी	30081	12055	0	500	66932
20	सजंय टाईगर रिजर्व सीधी	167732		351983	107035	18676
21	उज्जैन	4566780	3212721	3292177	2893309	5896813
22	छतरपुर	779959	858639	993851	1729025	2951017
23	वन विहार रा.उ. भोपाल	0	0	0	0	
24	जबलपुर	1349195	1302646	1365405	1737322	4082187
25	ग्वालियर	3828497	5874797	2980021	7535191	4536043
	;kx	24761284	29646684	31897812	42986897	45149455

ifjf'k"V & 17

ou mRiknu ¼bekjrh dk"B घ.मी.½

Ø-	ou eMy dk uke	o"kZ				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
1	उत्तर बालाघाट उत्पा.	13103	11917	19736	23409	12752
2	दक्षिण बालाघाट उत्पा.	3776	10106	12235	15750	9640
3	पश्चिम बालाघाट उत्पा.	13930	5872	0	0	0
4	बैतूल उत्पादन	23721	18901	19800	17292	14185
5	भोपाल सा.	83	0	48	29	0
6	रायसेन उत्पादन	9628	9941	9774	6251	5728
7	विदिशा	631	461	332	262	0
8	सीहोर	3716	3796	2725	3618	1960
9	छतरपुर	1481	673	290	152	22
10	दक्षिण पन्ना	64	45	226	68	0
11	उत्तर पन्ना	348	151	120	28	0
12	टीकमगढ़	1	33	102	29	1
13	छिन्दवाड़ा उत्पादन	9003	5853	6888	6408	2684
14	होशंगाबाद	6804	6217	5601	2535	300
15	हरदा उत्पादन	39887	19948	14732	15825	3388
16	इन्दौर	96	157	154	139	100
17	अलीराजपुर	4	1	0	1	0
18	जबलपुर	77	79	36	280	0
19	कटनी	1938	1649	1380	1088	0
20	डिण्डोरी उत्पादन	32283	42358	39733	36332	19397
21	मंडला उत्पादन	33253	39791	38871	36573	16662
22	खण्डवा उत्पादन	24611	19026	39844	26796	207
23	रीवा	0	0	136	42	0
24	सतना	58	0	157	242	0
25	सिंगरौली	7948	4812	3253	2992	100
26	सीधी	4541	0	0	0	300
27	दमोह	92	18	0	35	0
28	उत्तर सागर	2088	744	808	670	861
29	दक्षिण सागर	1635	2632	600	1895	247
30	दक्षिण सिवनी उत्पा.	7372	6275	7349	15933	4138
31	उत्तर सिवनी उत्पा.	7001	7661	9423	0	0
32	नरसिंहपुर	0	0	2220	2009	682
33	उत्तर शहडोल	7979	4783	6238	4705	2018
34	दक्षिण शहडोल	2843	2639	2514	3519	762
35	उमरिया	4598	3360	3244	804	258
36	अनूपपुर	3219	1128	1054	1648	0
37	शिवपुरी	3	0	0	0	0
38	देवास उत्पा.	10265	12330	3850	8098	1744
	;ksx	278083	243357	253474	235456	98136

ifjf'k"V & 18

tykÅ ydMh mRiknu

Ø-	ou eMy dk uke	o"k				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
1	उत्तर बालाघाट उत्पा.	21466	18491	25428	28370	14041
2	दक्षिण बालाघाट उत्पा.	8087	25903	18899	23764	14732
3	पश्चिम बालाघाट उत्पा.	28529	10049	0	0	0
4	बैतूल उत्पादन	5364	3345	4988	5053	3383
5	भोपाल सा.	76	0	119	141	0
6	रायसेन उत्पादन	8111	11325	9773	6984	0
7	विदिशा	370	322	241	55	0
8	सीहोर उत्पादन	3898	2576	2377	2348	0
9	छतरपुर	2698	3066	1120	435	57
10	दक्षिण पन्ना	160	164	484	307	0
11	उत्तर पन्ना	505	401	265	177	0
12	टीकमगढ़	1	11	30	14	7
13	छिन्दवाड़ा उत्पादन	4190	3833	4354	3866	567
15	श्योपुरकला	45	0	91	69	0
16	होशंगाबाद	6983	5183	4211	1670	167
17	हरदा उत्पादन	8781	7370	4757	4977	238
18	इन्दौर	137	224	194	146	74
19	झाबुआ	0	0	0	127	0
20	अलीराजपुर	59	12	0	13	0
21	जबलपुर	105	89	63	130	0
22	कटनी	4498	3728	2572	2168	0
23	डिण्डोरी उत्पादन	21993	32310	27081	27289	11829
24	मंडला उत्पादन	18522	22497	23831	18429	4368
25	खण्डवा उत्पादन	17783	12003	26541	16897	147
26	रीवा	94	98	591	105	0
27	सतना	183	0	600	439	0
28	सिंगरौली	9281	7712	4125	3642	142
29	सीधी	5366	0	0	0	1200
30	दमोह	1056	1046	0	530	191
31	उत्तर सागर	4421	1767	1626	1596	1029
32	दक्षिण सागर	1092	1394	400	1015	174
33	दक्षिण सिवनी उत्पा.	6405	6434	6938	11203	1864
34	उत्तर सिवनी उत्पा.	5499	4637	5131	0	0
35	नरसिंहपुर	0	0	2381	1948	0
36	उत्तर शहडोल	4794	2804	3321	2772	363
37	दक्षिण शहडोल	2398	2218	1591	2408	342
38	उमरिया	8889	5773	3345	539	98
39	अनूपपुर	3360	1412	1062	1291	0
40	शिवपुरी	24	39	38	0	0
41	गुना	100	12	12	2	0
42	अशोकनगर	100	74	8	0	0
43	देवास उत्पा.	5373	5874	1494	2728	430
45	नीमच	24	31	45	36	0
	;kx	220819	204227	190125	173680	55443

ifjf'k"V & 19

vk|kfxd ckl mRiknu ¼uk-Vu½

Ø-	ou eMy dk uke	o"k				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
1	उत्तर बालाघाट उत्पा.	13527	15415	15646	14266	1761
2	दक्षिण बालाघाट उत्पा.	13560	8454	25014	23219	773
3	पश्चिम बालाघाट उत्पा.	6370	15697	0	0	0
4	बैतूल उत्पादन	1808	1305	1123	572	62
5	सीहोर उत्पादन	0	0	0	2	0
6	छतरपुर	0	2	4	5	0
7	उत्तर पन्ना	0	0	0	5	0
8	छिन्दवाड़ा उत्पादन	63	102	97	103	0
9	होशंगाबाद	170	165	117	78	36
10	हरदा उत्पादन	1488	1394	2227	1741	40
11	जबलपुर	374	449	26624	0	0
12	कटनी	24	98	16	85	0
13	मंडला उत्पादन	1200	1955	3405	0	0
14	खण्डवा उत्पादन	806	1469	1809	1506	37
15	रीवा	0	0	0	177	0
16	सतना	0	0	7	15	0
17	सिंगरौली	6	19	48	61	0
18	सीधी	22	0	0	0	0
19	उत्तर सागर	0	16	9	0	0
20	दक्षिण सिवनी उत्पा.	182	215	215	623	45
21	उत्तर सिवनी उत्पा.	264	224	140	0	0
22	उत्तर शहडोल	24	120	191	46	1
23	दक्षिण शहडोल	25	0	21	11	0
24	अनूपपुर	1	1	0	3	0
	;kx	39915	47102	76712	42517	2755
1	जबलपुर (सामान्य)	2549	4804	0	742	0
2	मंडला उत्पादन	0	0	0	10782	0
	egk;kx	42464	51906	76712	54040	2755

ifjf'k"V & 20

0;kikfjd ckl mRiknu ¼uk-Vu½

Ø-	ou eMy dk uke	o"k				
		2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
1	उत्तर बालाघाट उत्पा.	5725	7685	8193	9499	1255
2	दक्षिण बालाघाट उत्पा.	7923	3277	14656	12131	1009
3	पश्चिम बालाघाट उत्पा.	3670	7524	0	0	0
4	बैतूल उत्पादन	1505	1410	1008	793	347
5	सीहोर उत्पादन	25	23	223	38	0
6	छतरपुर	0	13	0	0	0
7	छिन्दवाड़ा उत्पादन	341	872	365	284	0
8	होशंगाबाद	131	113	166	69	26
9	हरदा उत्पादन	900	575	1530	608	17
10	जबलपुर	115	15	373	0	0
11	कटनी	121	251	113	83	0
12	मंडला उत्पादन	19	143	0	0	0
13	खण्डवा उत्पादन	330	934	813	455	32
14	रीवा	0	0	33	0	0
15	सतना	0	0	37	25	0
16	सिंगरौली	156	140	294	90	0
17	सीधी	90	0	0	0	21
18	उत्तर सागर	0	81	67	0	0
19	दक्षिण सिवनी उत्पा.	237	437	347	860	94
20	उत्तर सिवनी उत्पा.	239	279	175	0	0
21	उत्तर शहडोल	8	52	156	12	1
22	दक्षिण शहडोल	13	0	95	17	0
23	अनूपपुर	34	15	0	17	0
	;kx	21582	23838	28646	24982	2802
1	जबलपुर (सामान्य)	131	170	0	0	0
2	मंडला उत्पादन	0	0	0	145	0
	egk;kx	21713	24008	28646	25128	2802

ifjf'k"V & 21

jktLo izkfIr

¼jkf'k : i;s gtkj esa½

Ø-	o`r dk uke	oueaMy dk uke	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15 ¼uoEcj 2014 rd½
1	बालाघाट	उ. बालाघाट सा0	15797	18696	18836	18618	12819
		द. बालाघाट सा0	19608	22233	30218	29724	26574
		उ. बालाघाट उत्पादन	379873	302839	349305	554095	549613
		द. बालाघाट उत्पादन	120130	259898	309881	507006	398362
		प. बालाघाट उत्पादन	330729	251151	294106	0	0
		प्रचार्य वनक्षेत्रापाल महाविद्यालय	1737	1734	1447	94	0
2	बैतूल	बैतूल उत्पादन	923954	906066	912952	955918	615383
		बैतूल उत्तर सामा	33064	40399	33898	39971	21777
		बैतूल दक्षिण सामा.	20286	21307	10742	5315	2386
		बैतूल पश्चि. सामा.	1269	1208	2927	2412	797
		व0सं0 अनु/विस्तार	3132	2686	2722	2282	580
		संचालक वन विघालय बैतूल	15	8	558	56	0
		व0सं0 कार्य आयोजना बैतूल	0	0	0	5	0
3	होशंगाबाद	होंशंगाबाद सामा.	161125	214622	312746	297489	191274
		हरदा उत्पादन	1315795	1419138	1192672	859940	677792
		हरदा सामा.	8673	8792	7749	9641	6133
		सं0सतपुडा टाईगर रिजर्व	115	47	48	502	66
4	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा उत्पादन	283198	282005	310101	358514	252976
		पूर्व छिंदवाडा सामा.	6591	5857	16919	21831	3247
		पश्चि. छिंदवाडा सामा.	22791	28000	35808	48154	24192
		दक्षिण छिंदवाडा सामा	5143	5855	14198	4057	2150
5	भोपाल	सीहोर सा0	3420	96451	145595	263954	247857
		सीहोर उत्पादन	93353	0	0	0	0
		रायसेन उत्पादन	221331	272537	320373	340779	171705
		रायसेन सामा.	4642	4037	3781	5780	4559
		ओबेदुल्लागंज सामा.	1775	2155	1568	2626	2115
		विदिशा सा.	32420	29052	26058	25865	19047
		राजगढ़ सा0	1106	2013	1194	1563	1067
		भोपाल सा0	12120	15006	18662	17748	6825
		मु0व0सं0 अनु/विस्तार	3359	1906	2719	2512	908
		मु0व0सं0 कार्य आयोजना	0	9	0	4	0
		सचालक वन विहार	9	15	22	18	20
6	छतरपुर	उत्तर पन्ना	453	638	2420	2217	1501
		छक्षिण पन्ना	16985	13990	22563	19587	14263
		छतरपुर सा0	21281	32030	24999	21587	33021
		टीकमगढ़	3252	4447	7626	8307	6778
		सं0 पन्ना रा0उद्यान	641	732	490	694	0
7	ग्वालियर	ग्वालियर सा0	1130	6419	5256	4601	2213
		श्योपुर सा0	3409	3058	7167	7551	3604
		भिंड सा0	785	1623	869	1120	505
		दतिया सा0	665	694	329	682	1002
		मुरैना सा0	3229	2755	2783	1809	1057
		व0सं0 अनु/विस्तार	3655	4083	5039	2735	685
		व0म0अ0कूनों(वन्य प्राणी)	217	168	155	295	248
8	इन्दौर	इन्दौर	17553	11507	15554	11166	10098
		धार	2381	2224	2021	1247	1768
		झाबुआ	3894	926	1110	1254	745
		अलीराजपुर सा0	501	3464	2456	1547	1445
		व0सं0 अनु/विस्तार इन्दौर	4926	1991	3028	1355	475

Ø-	or dk	oueMy dk uke	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
		व0सं0 अनु/विस्तार झाबुआ	6364	1504	1526	639	419
		व0सं0 इन्दौर	23	153	1	0	0
		व0सं0 कार्य आयोजना इन्दौर	12	0	0	114	43
9	जबलपुर	जबलपुर	41973	45101	77131	206201	50727
		मंडला उत्पादन	997289	958999	1057303	1443312	953294
		पूर्व मंडला सामा.	3686	8637	8967	7148	5167
		पश्चि. मंडला सामा.	4173	5474	7066	7656	5383
		डिंडोरी उत्पादन	396610	439709	653720	747904	689679
		डिंडोरी सामा.	2047	2505	3282	3948	2227
		कटनी	2823	3333	4570	4052	1893
		व0सं0 अनु/विस्तार जबलपुर	4684	5767	4473	3295	2500
		संचालक बफर जोन मंडला	3089	2999	4801	6180	3200
		संचालक कान्हा टा0मंडला	3026	6677	879	1497	1500
10	खंडवा	खंडवा सा0	12610	12120	13218	11530	10163
		खरगोन सा0	1654	2005	1982	1820	4273
		बुरहानपुर	6150	12081	4624	4297	3089
		बड़वानी	613	526	529	1168	4105
		बड़वाहा	2948	1783	2412	1875	1492
		सेंधवा	3262	5496	5258	3619	1333
		खंडवा उत्पादन	665320	792184	846904	1200055	868750
		व0स0 अनु0विस्तार	1822	1367	2086	2065	0
		व0सं0 कार्य आयोजना	0	0	0	3	0
11	श्रीवा	सिगरोली सा0	136645	239033	251004	301551	196922
		सीधी	80828	76330	87118	85197	66771
		रीवा	3032	2970	2924	4574	5920
		सतना	6830	7617	10205	19387	9778
		व0सं0 अनु/विस्तार	13414	2292	2402	1862	495
		सं0 संजय गांधी उद्यान	232	231	653	2289	1275
12	सिवनी	दक्षिण सिवनी उत्पा.	98375	169487	156305	212247	417538
		उत्तर सिवनी उत्पादन	202351	254721	293192	387361	
		उत्तर सिवनी सामा.	25765	5225	7041	6900	5223
		दक्षिण सिवनी सामा.	17596	20523	21801	18800	16048
		नरसिंहपुर	61139	26480	21626	82138	64897
		व0सं0 अनु/विस्तार	2145	1900	2482	1862	836
		सं. पेंच टाइगर कर. सिवनी	209	84	140	4	20
		उ.व.सं. ईको डेव्हलपमंट सिवनी	0			135	0
13	Lkkxj	दक्षिण सागर	67412	117176	178771	174505	118722
		उत्तर सागर	3241	6662	2776	10636	3034
		दमोह	14526	13720	10350	18009	13495
		व0म0अ0नौरादेही(वन्य प्राणी	685	1047	833	784	274
		व0सं0 अनु/विस्तार	764	738	358	1054	839
		व0सं0 कार्य आयोजना	2	0	0	14	0
14	शहडोल	उत्तर शहडोल	97483	117179	91943	125679	71378
		दक्षिण शहडोल	85173	101072	100426	106742	82650
		अनुपपुर	23139	22500	14486	14192	7626
		उमरिया	55166	48959	60310	39381	27626
		संचालक बांघवगढ	110	75	67	149	392
15	शिवपुरी	शिवपुरी	4126	4015	6643	6297	2744
		गुना	3416	2948	6544	5487	2324
		अशोकनगर	574	477	1307	1304	487
		संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान	227	222	645	472	136
		संचालक वन विघालय शिवपुरी	0	0	42	16	0
16	उज्जैन	देवास उत्पा.	179113	223045	326722	206448	173577
		देवास सामान्य	5455	4578	4276	6676	11854

Ø-	or dk	oueMy dk uke	2010&11	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15
		शाजपुर	1773	1041	815	920	642
		रतलाम	1626	1978	1206	1693	686
		नीमच	2054	1541	1269	1499	892
		मंदसौर	2493	960	1833	1823	1669
		उज्जैन सा0	1900	1409	354	3038	463
		व0सं0 अनु/विस्तार रतालम	5633	3604	3413	2367	1331
17	e[;ky;	वनमंड़ल नई दिल्ली	41031	43493	45487	38781	41841
		उप वन संरक्षक रोकड मुख्यालय भेापाल में राजस्व (वन विकास निगम एवं लघुवनोपज संध टैक्स एवं लीज रेंट) की है।	854097	572283	995965	977491	42567
18		संयुक्त संचालक सामुदायिक वन प्रवधनन	0	0	474	55831	0
		;kx	8371475	8712506	9896610	11048200	7321841
19		वन विकास उपकर की राशि	0	0	0	0	0
		egk;kx	8371475	8712506	9896610	11048200	7321841

ifjf'k"V & 22

e/;izns'k dk oU;izk.kh lajf{kr {ks=

Øekd	lajf{kr {ks= dk uke	fVIi.kh
1	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	कान्हा टाइगर रिजर्व
2	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
3	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	पेंच टाइगर रिजर्व
4	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	पन्ना टाइगर रिजर्व
5	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
6	संजय राष्ट्रीय उद्यान	संजय टाइगर रिजर्व
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान	
8	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	
9	फासिल राष्ट्रीय उद्यान	
10	डायनासौर फासिल राष्ट्रीय उद्यान	
11	संजय दुबरी अभयारण्य	संजय टाइगर रिजर्व
12	पनपथा अभयारण्य	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
13	पेंच अभयारण्य	पेंच टाइगर रिजर्व
14	पंचमढ़ी अभयारण्य	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
15	बोरी अभयारण्य	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
16	घाटीगांव अभयारण्य	
17	राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य	
18	रातापानी अभयारण्य	
19	रालामंडल अभयारण्य	
20	सरदारपुर अभयारण्य	
21	सोनघड़ियाल अभयारण्य	
22	सैलाना अभयारण्य	
23	वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य	
24	फेन अभयारण्य	
25	नरसिंहगढ़ अभयारण्य	
26	नौरादेही अभयारण्य	
27	ओरछा अभयारण्य	
28	गांधीसागर अभयारण्य	
29	करेरा अभयारण्य	
30	केन घड़ियाल अभयारण्य	
31	कूनो अभयारण्य	
32	खिवनी अभयारण्य	
33	सिंघौरी अभयारण्य	
34	बगदरा अभयारण्य	
35	गंगऊ अभयारण्य	

ifjf’k"V & 23

e/; izns’k jkT; tSofofo/krk cksMZ dh ’kkldh; ,oa v’kkldh; lnL;

1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2	पदेन सदस्य	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3	पदेन सदस्य	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
4	पदेन सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
5	पदेन सदस्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल
6	पदेन सदस्य	सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, भोपाल
7	अशासकीय सदस्य	श्री व्ही. आर. खरे, भोपाल
8	अशासकीय सदस्य	पद्मश्री श्री टी. जी. के. मेनन, इंदौर
9	अशासकीय सदस्य	श्री जयप्रकाश नारायण पाठक, उज्जैन
10	अशासकीय सदस्य	श्री अशोक मालपानी, इंदौर
11	अशासकीय सदस्य	श्री दीपक वल्लभदास सचदे, देवास

ifjf'k"V& 24

जिलेंवार बांस योजनाओं का क्रियान्वयन वर्ष 2014–15

(राशि लाख रूपये में)

कार्य					
जिला	नर्सरी भौतिक संख्या (राशि)	बिगड़े बांस वनों का सुधार (हे0) (राशि)	रोपण़रखरखाव (हे0) (राशि)	दक्षता निर्माण/ प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थी सख्या (राशि)	बांस बाजार/ कार्यशाला संख्या (राशि)
जबलपुर	02 (40)	–	964 (188.25)	60 (0.105)	1 (12)
मंडला	–	–	2375 (265)	15 (0.25)	–
खंडवा	–	–	300 (37.5)	15 (0.15)	–
खरगोन	–	–	200 (25)	15 (0.150)	–
सागर	–	–	500 (62.5)	15 (0.25)	–
सिवनी	–	400 (80)	800 (125.5)	15 (0.250)	–
सीधी	–	–	–	70 (2)	–
उज्जैन	–	~700 भिर्रे (1)	–	15 (0.75)	–
इन्दौर	–	–	–	50 (0.25)	–
ग्वालियर	–	–	–	15 (0.105)	–
भोपाल	–	–	–	250 (0.105)	4 (16)
हरदा	–	–	–	50 (1.035)	–
होशंगाबाद	–	–	–	10 (0.360)	–
बालाघाट	–	–	–	50 (1.250)	–
उमरिया	–	–	–	15 (1.150)	–
नरसिंहपुर	–	–	–	15 (1.150)	–
कटनी	–	–	–	15 (1.150)	–
पन्ना	–	–	–	15 (0.250)	–
छिंदवाड़ा	–	–	–	15 (1.150)	–

ifjf'k"V& 25

Hkkjrh; ou losZ{k.k nsgjknwu ls izdkf'kr izfrosnu vuqlkj oukPNknu

District wise Forest Cover (Madhya Pradesh)

District	Forest Cover											
	Very Dense Forest				Moderate Dense Forest				Open Forest			
	2005	2009	2011	2013	2005	2009	2011	2013	2005	2009	2011	2013
Balaghat	1022	1339	1334	1328	2368	2711	2705	2690	1467	946	958	960
Barwani	0	0	0	0	362	189	189	188	530	802	802	794
Betul	94	201	201	201	1825	1967	1967	1967	1604	1404	1404	1402
Bhind	0	0	0	0	37	29	29	29	79	69	69	69
Bhopal	0	0	0	0	116	128	128	128	208	238	238	237
Chhatarpur	18	184	184	184	845	822	822	821	834	742	743	738
Chhindwara	115	575	575	575	2335	2044	2044	2039	1946	1920	1922	1917
Damoh	3	2	2	2	867	862	862	862	1803	1741	1742	1742
Datia	0	0	0	0	81	78	78	78	77	79	79	79
Dewas	17	13	13	13	986	955	955	953	754	931	930	928
Dhar	0	0	0	0	176	137	137	137	419	597	597	596
Dindori	605	1033	1033	1032	1450	1175	1175	1171	642	559	559	553
Nimar East	22	200	200	200	2000	1831	1830	1826	1420	1387	1381	1376
Guna	10	2	2	2	713	699	699	698	1348	1409	1410	1402
Gwalior	3	1	1	1	538	327	327	328	772	865	865	864
Harda	0	19	19	19	592	546	546	542	434	463	463	458
Hoshangabad	198	274	274	274	1328	1373	1373	1373	868	777	777	777
Indore	0	0	0	0	319	370	370	369	268	334	336	335
Jabalpur	40	36	36	36	407	514	514	514	630	619	620	620
Jhabua	0	0	0	0	295	254	255	255	541	682	682	682
Katni	94	102	102	102	435	607	607	606	641	570	573	572
Mandla	746	751	751	751	965	1207	1204	1204	1060	876	875	880
Mandsaur	0	0	0	0	83	40	40	40	177	220	220	220
Morena	0	0	0	0	238	98	98	98	541	632	632	632
Narsingpur	43	60	60	60	550	665	665	665	766	632	632	632
Neemuch	0	0	0	0	199	121	121	121	685	706	706	706
Panna	29	85	85	85	1586	1501	1501	1497	1122	1068	1072	1070
Raisen	39	22	22	22	1612	1331	1331	1331	1061	1383	1382	1377
Rajgarh	0	0	0	0	26	39	39	39	155	114	114	114
Ratlam	0	0	0	0	27	4	4	4	156	54	54	54
Rewa	46	65	65	65	251	398	398	397	394	314	314	315
Sagar	1	2	2	2	1707	1178	1178	1174	1207	1726	1726	1714
Satna	18	13	13	13	972	942	942	938	712	795	794	782
Sehore	0	25	25	25	756	654	654	653	686	703	703	703
Seoni	169	241	240	240	1312	1812	1806	1803	1527	1031	1037	1039
Shahdol	86	245	245	244	1330	1255	1255	1253	1047	1224	1224	1222
Shajapur	0	0	0	0	1	5	5	5	120	24	24	24
Sheopur	7	6	6	6	1904	1394	1394	1393	1723	2121	2121	2112
Shivpuri	36	19	19	19	1090	786	786	784	1316	1645	1645	1631
Sidhi	524	717	717	717	2032	1936	1935	1934	1403	1449	1447	1441
Tikamgarh	0	1	1	1	96	93	93	93	208	309	309	309
Ujjain	0	0	0	0	0	4	4	4	21	26	26	26
Umaria	240	412	411	411	1110	1091	1086	1084	524	530	537	537
Vidisha	14	1	1	1	503	363	363	361	365	505	505	503
Nimar West	0	1	1	1	418	472	472	472	670	825	825	825
Total	**4239**	**6647**	**6640**	**6632**	**36843**	**35007**	**34986**	**34921**	**34931**	**36046**	**36074**	**35969**

'kghn ve`rk nsoh fo'uksbZ iqjLdkj

प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 में शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार का वितरण नही हुआ है। अंतिम बार वर्ष 2009 के शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिनांक 15 नवंबर, 2011 को वितरित किये गये है। विवरण निम्नानुसार है :–

1. **lkLFkkxr iqjLdkj** – वन सुरक्षा समिति जम्बुपानी, सामान्य वन मंडल बुरहानपुर व्दारा समिति को आवंटित 4212 हेक्टेयर क्षेत्र में समिति सदस्यों की सक्रियता से 400 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराकर वहां 55 हजार पौधों का रोपण किया गया। वर्ष 2007–08 में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में असिंचित मिश्रित फलदार व उच्च तकनीक वृक्षारोपण तथा वर्ष 2008–09 में 100 हे.क्टेयर क्षेत्र में कन्टूर ट्रेंच का निर्माण, वर्ष 2009–10 में समिति सदस्यों तथा ग्रामवासियों की आवश्यकता को देखते हुए कच्चा स्टाप डेम निर्माण कर पानी की व्यवस्था की गई। वन समिति को वन रक्षा एवं वन संवर्धन कार्य हेतु रु. 1.00 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया ।

2. **O;fDrxr ¼v'kkldh;½ iqjLdkj &**

   1. श्री संजय कश्यप, राजगढ़ को जीरापुर क्षेत्र में स्वयं वृक्षारोपण करने, बच्चों तथा आम नागरिकों को प्रेरित कर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करने के फलस्वरुप वन संवर्धन कार्य हेतु रु. 50,000/– की राशि से पुरुस्कृत किया गया।
   2. श्री वनराज जडेजा, छिंदवाड़ा को वन्य प्राणि संरक्षण क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्य के लिये रु. 50,000/– की राशि से पुरुस्कृत किया गया ।

3- **O;fDrxr ¼'kkldh;½ iqjLdkj ½&**

   1. श्री ओम प्रकाश पटेल, वन परिक्षेत्राधिकारी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मण्डला को प्रशासकीय नियंत्रण के पश्चात वनों की सुरक्षा, अवैध उत्खनन रोकने आदि कार्यो के लिये वन संवर्धन हेतु रु. 50,000/– की राशि से पुरुस्कृत किया गया ।
   2. श्री ऋषिराज तिवारी, दैनिक वेतन भोगी, वन मंडल कटनी को वर्ष 2004 में अर्न्तराज्यीय शिकारी को पकड़ कर तेन्दुये की खाल आदि जप्त करने आदि कार्यो के लिये वन्य प्राणी रक्षा पुरस्कार रु. 50,000/– की राशि से पुरुस्कृत किया गया।

clkeu ekek Le`fr iqjLdkj

प्रतिवेदन वर्ष में बसामन मामा स्मृति पुरस्कार का वितरण नही किया गया है। प्रथम बार 17 सितंबर, 2011 को निम्नानुसार पुरस्कारों का वितरण किया गया –

1- **foU/; {ks= jkT; Lrjh; iqjLdkj ¼'kkldh;½**

   1. श्री मुनिराज पटेल, उप वन क्षेत्रपाल, सतना वन मंडल को विभिन्न प्रकार के वानिकी, वन संरक्षण तथा वन्य प्राणी संरक्षण की दिशा में प्रभावी एवं साहसिक कार्य करने हेतु प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख की राशि से पुरुस्कृत किया गया।
   2. श्री रोहित प्रसाद मिश्रा, वनपाल उमरिया वन मंडल को जन सहभागिता सुनिश्चित कर श्रमदान द्वारा 300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई क्षमता में वृध्दि, ग्राम पंचायत गौवर्दा में शैक्षणिक क्षमता में विकास, सामूहिक अतिक्रमण विफल करने, शिकारियों को पकडने, वन राजस्व सीमा विवाद कार्य में सराहनीय कार्य के लिये व्दितीय पुरस्कार रु. 1.00 लाख की राशि से पुरुस्कृत किया गया।

2- **foU/; {ks= jkT; Lrjh; iqjLdkj ¼v'kkldh;½**

   1. श्री बालेन्दु कुमार द्विवेदी, ग्राम किरहाई जिला सतना को कृषि के साथ–साथ हरियाली को बढ़ावा देने हेतु स्वयं की भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर

वृक्षारोपण करने हेतु वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख की राशि से पृरुस्कृत किया गया है।

2. श्री इन्द्रभान सिंह बुन्देला, ग्राम जनकपुर जिला पन्ना को वन्य प्राणियों की सुरक्षा में विभाग को सहयोग करने, शिकार रोकने, वन्य प्राणियों के शिकार के लिये कुख्यात पारधी, बहेरिया जाति के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिये वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण व्दितीय पुरस्कार रु. 1.00 लाख की राशि से पृरुस्कृत किया गया है।

3. श्री रामानुज प्रसाद शुक्ल, रीवा को हरियाली को बढ़ावा देने के लिए तृतीय पुरस्कार रु. 50 हजार की राशि से पृरुस्कृत किया गया है।

3- jkT; Lrjh; iqjLdkj ¼5 gsDVs;j ls vf/kd futh {ks= esa o`{kkjksi.k½

1. श्री नरसिंह रंगा, जबलपुर को वर्ष 1992 से लगातार अपनी भूमि पर बिना किसी वित्तिय सहयोग के सफल वृक्षारोपण करने हेतु प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख की राशि से पुरुस्कृत किया गया।

2. श्री बृजेन्द्र तिवारी, ग्वालियर को निजी भूमि में वर्ष 2001–02 में 13.60 हेक्टेयर में हाईब्रिड आंवला का सफल रोपण करने हेतु व्दितीय पुरस्कार रु. 1.00 लाख से पुरुस्कृत किया गया।

3. श्री महेन्द सिंह, शिवपुरी को वर्ष 2005–08 में कुल 11 हेक्टेयर निजी भूमि में कृल 8200 फलदार पौधों का सफल रोपण करने के लिये तृतीय पुरस्कार रु. 50 हजार की राशि से पुरुस्कृत किया गया।

4- jkT; Lrjh; iqjLdkj ¼5 gsDVs;j ls de futh {ks= esa o`{kkjksi.k½

1. श्रीमती महारानी बहू, जिला सागर को निजी भूमि में विभिन्न प्रजातियों का सफलतापूर्वक रोपण करने हेतु प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख की राशि से पुरुस्कृत किया गया।

2. श्रीमती किर्ति सिंह जिला सागर को वर्ष 2003 में 3.24 हेक्टेयर निजी भूमि में 1021 आंवला के पौधों का सफल वृक्षारोपण करने हेतु द्वितीय पुरस्कार रु. 1.00 लाख की राशि से पुरुस्कृत किया गया।

3. श्री लुणाजी काग, गुलाटी जिला धार को वर्ष 2002 एक बीघा कृषि भूमि में 400 सागौन एवं 200 नीलगिरी का सफल रोपण करने हेतु तृतीय पुरस्कार रु. 50 हजार की राशि से पुरुस्कृत किया गया ।

&&&&&&&&